

विश्व व्याप्त अधिमान्य चयन...

भारतीय तम्बाकू आपके सभी रुचियों का समाहार





तम्बाकू बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

गुण्टूर - 522 004 (आं.प्र), इंडिया । फोन : +91 863 2358068, 2358399 । फैक्स : +91 863 2354232 ई-मेईल : info@tobaccoboard.co.in । exports@tobaccoboard.co.in । वेवसाईट : www.tobaccoboard.com

विषयसूची

बोर्ड र	संघटन	5
वरिष्ट	5 प्रबंध	6-7
2020	-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन	8
2020	-21 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 3	१/०३/२०२१ तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	11
तम्बा	कू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट	12
फसट	न योजना & नियंत्रण	
l.	भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	13
II.	2020-21 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13
III.	2020-21 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टिताएँ	14
IV.	2020-21 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टिताएँ	14-15
V.	2020-21 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार विस्तार तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15-16
VI.	उत्पादन नियंत्रण अभियान	16
VII.	2020-21 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण	16
VIII.	2020-21 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-18
IX.	२०२०-२१ आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	19-22
X.	2019-20 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री	22
XI.	तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	22-23
	कर्नाटका में २०२०-२१ फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	23
	आन्ध्र प्रदेश में २०२०-२१ फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	24-25
विञ्त	ार और परामर्श सेवाएँ	
l.	विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	26-28
II.	2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी)	
	तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ	29-38
III.	हरियाली की वृद्धि	38
IV.	प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	39-45

V.	2020-21 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	45
	2020-21 फसल मौसम-विस्तार&विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलिब्धयाँ	46
	2020-21 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत	
	अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयरों को कवरेज	47-49
ग्रोय	ार कल्याण पहलू (सूत्रपात)	
i)	तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि	50
ii)	किसानों को उत्पादन सम्बधित सेवाएँ	50-51
	दि.31/03/2021 तक योजना का आरंभ से अनुदान / व्याज मुक्त ऋण के रूप में	
	वित्तीय सहायता	52
प्लेट	फार्मों पर नीलामकार की सेवाएँ	
l.	आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	53-59
II.	कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	59
III.	कर्नाटका में २०२०-२१ एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	59-62
IV.	आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	62-64
V.	2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित कुल तम्बाकू परिमाण	64
	01/04/2020 से 31/03/2021 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और	
	कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण ।	65-66
	2021 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - 31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार	
	नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	67
	2020 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार	
	नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	68
	01/04/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि के दौरान	
	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार खरीदी	69-70
	2019-20 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - एपीमार्कफेड द्वारा श्रेणी वार & मिट्टी क्षेत्र वार खरीदी	71-72
व्याप	गर स्कंध	
l.	प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू	
	तथा तम्बाक उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाक डीलर के रूप में पंजीकरण	73

भार	त से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के निर्यात	
I.	भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण	74
II.	निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	80
राज	भाषा कार्यान्वयन	
l.	राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशाला	81
वित्त	एवं लेखा	
l.	आंतरिक साधन	82
II.	बजट अनुमान	82-83
	दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट	84-86
	तम्बाकू निधि लेखा - 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र	87
	31 मार्च, 2021 अंत तक वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा	88
	उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र)	89-91
	अनुसूची - 24:31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	92-96
	अनुसूची - 25:31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकरिमक देयताएँ तथा नोट	97
	लेखाओं पर टिप्पणी	98-109
	31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान	110-118
	2009-10 से 2020-21 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण	119
	संकेताक्षर	120

बोर्ड संघटन

(दि. 31/03/2021 तक)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री यड्लपाटी रघुनाध बाबू, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री वंडी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री वल्लभनेनी वालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री आर.के. सिन्हा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ।

श्रीमती नीतिका बन्साल, निदेशक (वाणिज्य सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्रीमती रूपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार (वित्त सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग ।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

श्री पूनमचंद परमार, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

श्री बी.वाई. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटका सरकार।

डॉ.(श्रीमती) पूनम मालकोंडय्या, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

रिक्त - कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार

रिक्त - निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिषा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

- 1. श्री गुंडाल कोंडा रेड्डी, उपाध्यक्ष
- 2. श्री पोलिशेट्टि श्याम सुन्दर
- 3. श्री शफीक यू.आर. रहमान खान
- 4. श्री यार्लगड्डा अंकम्मा चौधरी
- 5. श्री कोडवटि वासुदेव राव

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री पी. के. खैन, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

धारा ४ की उपधारा ४ (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर

वरिष्ठ प्रबंध

(दि.31/03/2021 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

अध्यक्ष

कार्यपालक निदेशक

सचिव

निदेशक (नीलाम)

प्रबंधक (वित्त व लेखा)

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

प्रबंधक (विस्तार)

प्रबंधक (नीलाम) (प्रभारी)

प्रबंधक (उत्पादन) (प्रभारी)

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि, ओंगोल)

प्रादेशिक प्रबंधक (दहिम, ओंगोल)

प्रादेशिक प्रबंधक (उ.ह.मि, राजमहेन्द्रवरम)

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियापट्ना)

सहायक प्रबंधक (यो व स)

कार्मिक अधिकारी

ओ.एस.डी. (सतर्कता)

कर्मचारी गण

डाक पता :

दूरभाष सं/फेक्स ई-मेल & वेबसाईट : श्री वाई. रघुनाध बाबू

श्री आर. मुत्तुराजू, भा.व्या.से., ३ दिसंबर २०२० तक

श्री अद्दंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., 3 दिसंबर 2020 से

श्री अद्दंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

श्रीमती एम. अश्वनी नायुडू, भा.वि.से., ७ अक्तूबर २०२० से

श्रीमती पी. मीना कुमारी

श्री सीएच. वी. मारूती प्रसाद, दि. 31/07/2020 तक

श्री के.एस.आर. कृष्णा रेड्डी, दि. 01/08/2020 से

श्री एम. हनुमंत राव

श्री के. मधुसूधन राव

डॉ. (श्रीमति) एम. कृष्णश्री

श्री आर. श्रीनिवासुलु नायुडू

श्री डी. वेणु गोपाल

श्री के.वी. राजप्रकाश

श्री बी. मंजुनाध

श्री बी. मारन्ना

श्री सी. गोपीनाथ, दि. 30/06/2020 तक

श्री ए.वी.एस. रामकृष्णा रेड्डी

श्री जी. दामोदर

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 76

मध्य श्रेणी प्रबंध : 88

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 214

कुल : 378

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय


वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं. ३२२, जी.टी. रोड, गुण्टूर - ५२२ ००४ (आन्ध्र प्रदेश)

0863-2358399/0863-2354232

info@tobaccoboard.co.in/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



वाई. रघुनाध बाबू अध्यक्ष



अहंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक



एम. अश्वनी नायुडू, भा.वि.से., निदेशक (नीलाम)



प्रबंधक (वित्त व लेखा)



पी.मीना कुमारी के.एस.आर.कृष्णारेड्डी प्रबंधक (विपणन & निर्यात)



एम. हनुमंत राव प्रबंधक (विस्तार)



के. मधुसूधन राव प्रबंधक (प्रभारी) (नीलाम)



डॉ. एम. कृष्ण श्री प्रबंधक (प्रभारी) (उत्पादन)



बी. मंजुनाध प्रादेशिक प्रबंधक मैसूर



आर. श्रीनिवासुलनायुडू डी. वेणुगोपाल प्रादेशिक प्रबंधक द का मि, ओंगोल



प्रादेशिक प्रबंधक द ह मि, ओंगोल



के.वी. राज प्रकाश प्रादेशिक प्रबंधक राजमहेन्द्रवरम



बी. मारन्ना प्रादेशिक प्रबंधक पेरियपट्ना

2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, ''तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975'' के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सिक्रय खेतीबारी पद्धित की सुविधा (सुचारू) प्रणाली का सुनिश्चयन है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यक फसलों में एक हैं । वर्ष २०२०-२१ के दौरान यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 6,305.94 करोड रूपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देती है। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का एक विशिष्ट स्थान है । भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा और निर्यात में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आग्रे जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त 123 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधिकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (उहिम), दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहिम) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (कहिम) में किया जाता है। भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस) तथा गुणता न्यूट्रल फिल्लर (केएलएस & एसएलएस) और अच्छे फिल्लर (टीबीस) प्रकारों का उत्पादन हुआ था । तम्बाकू बोर्ड ने २०२०-२१ फसल मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 203 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को, जो पिछले वर्ष 236 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 33 मि.कि.ग्रा. कम निर्धारित किया था । तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 328.53 लाख की राशि व्यय की है । 2020-21 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में 222.02 मि.कि.ग्रा. को ₹ 122.25 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणित हुआ था । 2020-21 के दौरान, भारत से ₹ 6,305.94 करोड (851.10 यूएसडी मिलियन) मूल्य के 2,11,631 मेट्रिक टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ हैं। 2020-21 के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात परिमाण के शब्दों में 1% और रूपये के शब्दों में 3% पिछले वर्ष की तुलना में घट गये । फिर भी, यह पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य रूपयों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 1% की वृद्धि हुए ।

ग्रोयरों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से सबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डीएनवी - जीएल-बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया और यह प्रमाणपत्र 18/03/2022 तक मान्य है ।

2020-21 के दौरान बैठकें

(दि. 01/04/2020 से दि. 31/03/2021 तक)

क) सांविधिक बैठकें

तीन बोर्ड की बैठकें और तीन सिमिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

- वोर्ड की 150वीं विशेष बैठक वर्चुवल विधान याने., विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि. 22 अप्रैल, 2020 को पूर्वाहन् 11.30 बजे (बुधवार) को संपन्न हुई ।
- 2. बोर्ड की 151वीं बैठक वर्चुवल विधान याने., विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि. 05 अगस्त, 2020 को पूर्वाहन् 11.00 बजे (बुधवार) को संपन्न हुई ।
- 3. बोर्ड की 152वीं विशेष बैठक वर्चुवल विधान याने., विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि. 18 अगस्त, 2020 (बुधवार) को संपन्न हुई ।

ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन सिमति :

- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रिजस्ट्रेशन सिमिति की 92वीं बैठक दि. 18/08/2020 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
- 2. ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रिजस्ट्रेशन सिमिति की 93वीं बैठक दि. 08/01/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रिजस्ट्रेशन सिमित की 45वीं बैंठक दि. 30/09/2020 को अपराह्न् 3.00 बजे मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।



दि.18/08/2020 को संपन्न 152वीं बैठक के दृश्य


ख) असांविधिक बैठकें :

- कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और व्यापारियों व ग्रोयरों द्वारा सामना किये जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करने ग्रोयर भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.08/04/2020 को संपन्न हुई ।
- 2. आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटका में नीलाम बिक्रियों को पुनरारंभ पर चर्चा करने ग्रोयर और भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.20/04/2020 को संपन्न हुई ।
- 3. चालू 2020 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों पर चर्चा करने (श्री के. कन्ना बाबू, माननीय कृषि व सहयोग मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षा) भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.26/05/2020 को संपन्न हुई ।
- 4. दहिम व दकामि क्षेत्रों के गरीब किसानों के साथ और एफसीवी तम्बाकू खेती में उनके समस्याओं पर चर्चा करने एक बैठक विडियो कान्फरेन्स के द्वारा दि.02/06/2020 को संपन्न हुई ।
- 5. 2020-21 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित विषयों पर चर्चा करने आं.प्र. के ग्रोयर प्रतिनिधियों, भा तं सं व प्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.08/02/2021 को संपन्न हुई ।
- 6. छोटा डीलरों द्वारा सामना किये जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करने छोटा डीलरों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.17/02/2021 को संपन्न हुई ।
- 7. नीलाम बिक्रियों की तैयारियों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने व्यापारी प्रतिनिधियों और सभी प्रादेशिक प्रबंधक और नीलामी अधीक्षकों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.12/03/2021 को संपन्न हुई ।

31/03/2021 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

संख्या	ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध	कुल मंजूर	मौजूदा
1	ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध		
1			
	अध्यक्ष	1	1
2	कार्यपालक निदेशक	1	0
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	1
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	9
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	45
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	19
9	सांख्यकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	76
	ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध	,	
11	प्रोग्रामर	1	0
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	0
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	61
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - l	1	1
17	लेखाकार -	33	23
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संख्यिकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
,	उप कुल	146	88
	ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध		
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	20
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उ. श्रे. लि.	43	23
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	13
28	क्षेत्र सहायक	158	66
29	नि. श्रे. लि	52	36
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	17
32	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	35
	उप कुल	503	214
	महायोग	754	378


तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट



फसल योजना और नियंत्रण

भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ:

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छःवर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढता जा रहा हैं। यह विस्तृत अस्थिरता उपज पर वातावरण का प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करता है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2015-16 से 2019-20 तक) 4.31% और इस वर्ष 2020-21 को मिलाकर 0.83% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज किया था।



*2020-21-आकलित

॥) 2020-21 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

दि.28/02/2020 को संपन्न 149वीं बोर्ड में बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका के लिए 99.00 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया था। कोविड-19 की संकट स्थित को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने दि.22/04/2020 को गुण्टूर में संपन्न 150वीं विशेष बैठक में फसल परिमाण को 99.00 मि.कि.ग्रा. से 88.00 मि.कि.ग्रा. तक संशोधित किया था।

2020-21 फसल मौसम के दौरान, दि.18/08/2020 को संपन्न बोर्ड की 152वीं विशेष बैठक में कोविड-19 संकट स्थित को ध्यान में रखते हुए, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2019-20 के दौरान निर्धारित 136.00 मि.कि.ग्रा. के लिए 115.00 मि.कि.ग्रा. निर्धारित किया था ।

2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2019-20 फसल परिमाण के दौरान निर्धारित 236.00 मि.कि.ग्रा के लिए कुल फसल परिमाण 203 मि.कि.ग्रा. को निर्धारित किया । मिट्टी क्षेत्र वार निर्धारित फसल परिमाण विवरण 2019-20 की तुलना से 2020-21 फसल मौसम के दौरान

निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र	2020-21 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा)	2019-20 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा)
उहिम क्षेत्र	40.45	46.00
दहिम क्षेत्र	37.91	46.00
दकामि क्षेत्र	33.43	40.00
उकामि क्षेत्र	3.21	4.00
उपकुल	115.00	136.00
कहिम क्षेत्र	88.00	100.00
महाकुल	203.00	236.00

III) 2020-21 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतयाँ :

2020-21 फसल मौसम के दौरान उत्पादन नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की नीति-ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफसीवी तम्बाकू खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना ।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्रोयरों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चितता करना ।
- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमित न देना । इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्किप फसलों के लिए परिवर्तित कराना ।
- वोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रोयरों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया है और अप्रधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये है, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना ।

IV) 2020-21 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टितयाँ :

2020-21 फसल मौसम के दौरान ग्रोयरों के लिए रिजस्ट्रेशन नवीकरण या रिजस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखे गये थे ।

- 2019-20 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रोयरों/बखारों को वर्ष 2020-21 में, बशर्ते कि ग्रोयर एक फिट बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड की अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रिजस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे ।
- नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू खेती को अपनाने के लिए कोई नये ग्रोयर को अनुमित नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमितत नहीं किया जायेगा । (नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दिया जायेगा ।)
- ग्रोयरों, जिन्होंने 2019-20 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/ अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रिजस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2019-20 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - || & ||| में रिटनों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान करने के अंतर्गत रिजस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2019-20 फसल मौसम केलिए पंजीकृत किये थे, लेकिन 50% का कोटा या कम को बिक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान के अधीन रिजस्ट्रेशन केलिए विचार किया जायेगा ।
- पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफन्कशन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे।

- ग्रोयर आवेदकों, जो अनुज्ञप्तित क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रिजस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञाप्ति के लिए मॉंग/3 वर्षों से अधिक अविध के लिए ब्रेक-इन रिजस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2020-21 फसल मौसम के दौरान रिजस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।
- 2020-21 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान भारत सरकार के पत्र दि.02/07/2020, सं.09/11/2016 ई.पी. (अग्री-VI) के आदेशों के अनुसार एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत नया बखार का निर्माण या अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के द्वारा एक प्लैटफार्म से दूसरे प्लैटफार्म को शिफ्टिंग के आधार पर बखारों की बिक्री/खरीद करने के लिए दि.31/08/2020 तक अनुमति दी ।
- भारत सरकार के पत्र दि.14/06/2021, सं.09/11/2016 ई.पी. (अग्री-VI) के आदेशों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के दौरान, ग्रोयरों से प्राप्त लंबित आवेदनों की स्थिति में एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत नया बखार या अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के द्वारा अनुशातित बखारों को शिफ्टिंग करने के लिए 15/06/2021 से अनुमित दी ।

V) 2020-21 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश :

दि.18/08/2020 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न 92वीं रिजस्ट्रेशन सिमित की बैठक में आन्ध्रप्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार प्रित बखार उत्पादन परिमाण को निम्नानुसार निर्धारित किया और वहीं क्षेत्र के अंतर्गत ग्रोयरों को, जिन्होंने पंजीकृत किये और फार्म-॥ रिटर्नें को बाद में प्रस्तुत किये थे, को शून्य रोपित ग्रोयर परिमाण और बचे हुए प्राधिकृत फसल को आबंदित करने का निर्णय लिया था। इस विषय को दि.19/04/2021 को संपन्न 153वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया था। रिजस्ट्रेशन सिमित के निर्णयानुसार शून्य रोपित ग्रोयर कोटा और बचे हुए फसल परिमाण / प्राधिकृत परिमाण को ग्रोयरों को, जो वही मिट्टी क्षेत्र में तम्बाकू को रोपित किये थे, को वितरित किया था। शून्य रोपित ग्रोयर परिमाण और बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार प्राधिकृत प्रित बरवार के लिए अंतिम परिमाण निम्नानुसार रहा है:

	पंजीकृत		3	त्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)	
मिट्टी क्षेत्र	2020-21	2019-20	प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	2020-21 शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण के बाद अंतिम कोटा	2019-20
उत्तरी हल्की मिट्टी (उहिम)	1.30	1.50	2,900	3,020	3,300
दक्षिणी हल्की मिट्टी (दकामि)	2.30	2.60	2,900	3,050	3,500
दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि)	1.40	1.60	2,900	3,020	3,460
उत्तरी काली मिट्टी (उकामि)	1.00	1.20	2,106	2,707	2,600

^{*} उहिम में पूहिम भी शामिल है ।

कर्नाटका राज्य

बखार	_	पंजीकृत क्षेत्र उत्पादन कोटा (हे.) (कि.ग्रा/बखार)		
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
सिमप्लेक्स बखार	1.24	1.30	1,552	1,750
डुप्लेक्स वखार	2.48	2.60	3,104	3,500

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2020-21 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा संकेन्द्रित उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयरों को अपील करने के लिए सार्वजानिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेकट्रानिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये। 2020-21 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 325 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 168 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये और इस उत्पादन नियंत्रण अभियान को आयोजित करने ₹ 1.76 लाख खर्च किये गये।

VII) 2020-21 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 93,604.63 बखारों को कबर करते हुए कुल मिलाकर 86,051 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे। इस में आन्ध्र प्रदेश में 39,294.63 बखारों को कवर करते हुए 44,209 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 63,947.23 है. क्षेत्र के लिए वास्तव में 65,142.40 है. के क्षेत्र में रोपण हुआ था। कर्नाटका में, 54,310 बखारों को कवर करते हुए 41,842 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। कर्नाटका में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत 67,344.40 है. क्षेत्र प्राधिकृत किया गया और 73,609 है. क्षेत्र में. रोपण हुआ था।

कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए, 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान नीलाम प्लैटफार्म में ग्रोयरों की उपस्थित से बचने के लिए, पंजीकरण सामाग्री की पूर्व मुद्रण करने का एक कार्यक्रम को विकसित किया गया था । आन्ध्र प्रदेश में ग्रोयरों को पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण को गाँवों में क्षेत्र सहायकों द्वारा पूर्व मुद्रित आवेदन फार्म वितरण और ग्रोयरों से संग्रह करने के द्वारा अनुमित दिया गया था ।

2020-21 फसल मौसम के लिए कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रोयरों के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र विवरण पृष्ठ सं. 23 से 25 में दिये गये।

VIII) 2020-21 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

2020-21 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 609.17 हेक्टार था, जो पिछले वर्ष की (666.71 हे.) की तुलना में 8.63% कम हुई । अधिकाधिक ग्रोयर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने ट्रे नर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही और कुछ नर्सरी बीजों में भिगोना को छोडकर पेस्ट तथा

नसेरी के अंतर्गत बीआई क्षेत्र 6.71 हे.) की तुलना में 8.63% अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि गोना को छोडकर पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा था।

इस मौसम के दौरान बीजों की अपूर्ति रिथित अच्छी रही ।

कंचन एक बोया हुआ प्रधान किस्म है, जो बोया हुआ नर्सरी क्षेत्र याने., 342.71 हे. से लगभग 56.26% का हिस्सा अपना लिया साथ-साथ सीएच-3 और एफसीएच-222 संकर किस्मों क्रमश : 259.78 हे. (42.64%) और 6.68 हे. (1.10%) क्षेत्र में बोया गया ।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष के दौरान, कर्नाटका में रोपण मई महीने के प्रथम पक्ष में प्रारंभ हो गया और मई के अंत तक समाप्त हो गया । मैसूर क्षेत्र में, प्रधान क्षेत्र का रोपण मई के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होने पर भी मई के द्वितीय पक्ष के दौरान पर्याप्त वर्षाओं की प्राप्ती से मई 2020 की अंतिम सप्ताह के दौरान रोपण किया गया था । प्रथान क्षेत्र में वीजों की स्थापना अच्छी रही थी । 2020-21 के दौरान कर्नाटका में कुल 73,609 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपण हुआ था, जो पिछले वर्ष में रोपित 80,364 हे.



की तुलना में 8.41% कम रहा है । कुल रोपित क्षेत्र में लगभग 40,080.98 हे. (54.45%) कंचन किस्म के अंतर्गत रहा था, सीएच-3 (44.95%) के अन्तर्गत 30,085 हे. और एफसीएच-222 (0.60%) के अन्तर्गत 443 हे. रहा था ।

प्लानटेशन रिथति	2020	-21	2019	-20
प्रारंभ प्लानटेशन (31 मई तक)	72,119.00	98%	69,976	87%
मध्य प्लानटेशन (15 जून तक)	1,490.00	2%	-	-
विलंब प्लानटेशन (15 जून के बाद)	-	-	10,388	13%
कुल :	73,609.00	100%	80,364	100%

कर्नाटका में फसल वृद्धि :

प्रारंभ रोपण के अंतर्गत 98% क्षेत्र रहा था। फसल की प्लानटेशन के बाद तुरंत जून महीने में पयाप्त वर्ष नहीं प्राप्त हुए। 35-40% क्षेत्र में, किसानों फसल को जीवन रक्षा मिंसाई दी है। बाद में, जुलाई अंतिम सप्ताह और अगस्त महीने के प्रथम पक्ष के दौरान फसल को लगातार वर्षा प्राप्त हुई। अगस्त की प्रथम पक्ष के दौरान लगातार वर्षा के कारण फसल में निचली पत्तियों का पीलापन दिखाया दी, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यम और निम्न श्रेणियों का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त हुई। कुल मिलाकर, फसल की वृद्धि संतोषजनक रही थी।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट और बीमारियों की कोई घटना नहीं की गई । कुछ क्षेत्रों में तम्बाकू मोजाईक वैरस की आपतन देखी गई और ग्रोयरों को इसकी आगे फैलाव से बचने के लिए स्वच्छता और निवारक उपायों को करने के लिए सलाह दी गई । कुछ क्षेत्रों में ब्लाक शान्ख बीमारी और स्पोडोप्टेरा की उत्पीडन की घटना देखी गयी । पेरिपपटना 04, 05 & 06 के कुछ क्षेत्रों के प्रधान क्षेत्र में पत्ता का तीव्र विकृत आकार का आपतन को देखा गया और कृषि महाविद्यालय, माव्या से विशेषज्ञ दल प्रभावित प्रांतों को विजिट किया और यह पाया गया कि यह विकृत रिथित मिट्टी में गन्धक की संचयन, जो अम्मोनियम सल्फैट उर्वरक का लगातार उपयोग के कारण हुआ है ।

फसल & क्यूरिंग :

प्रति बखार के लिए औसत 6 से 7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। क्यूरड पत्ता नींबू से नींबू नारंगी रंग के साथ अधिकाधिक मध्य श्रेणियाँ रहे गये।





पैदावार :

पिछले वर्ष की उत्पादकता 1,321 कि.ग्रा./हे. की तुलना में 2020-21 के दौरान पैदावार लगभग 1,201 कि.ग्रा/हे. कम हुई थी । 2019-20 में 14:44:42 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 106.18 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 15:41:44 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 88.42 मिलियन कि.ग्रा. का आकलित फसल विपणन हुआ था ।

IX. 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 के दौरान, जो पिछले वर्ष में बोया गया 446.60 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 358.81 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडिंलिंगों का मूल्य, दहिम और दकािम क्षेत्रों में लगभग ₹ 800/- से ₹ 1,500/- प्रति गठरी (6,000 सीडिलिंग) के लिए मूल्य रहे। उहि मि क्षेत्र में, प्रति गठरी के मूल्य लगभग ₹ 4,000/- तक रहे।





किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों में बोयी जाने वाली 'सिरी' एक प्रधान किस्म है, जो कुल क्षेत्र में लगभग 80% का हिसाब रहा है । अन्य बोया जाने वाले किस्मों में एफसीआर-15, जी-11 (हेमा), वीटी-1158 और सुलक्षणा आदि., रहे हैं । उ ह मि क्षेत्र में बोया जाने वाले प्रधान किस्म एल-7, जो लगभग 55% और क-326 लगभग 3.5% क्षेत्र में बोया गया है ।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष देरी से वर्षा प्राप्ती के कारण सभी क्षेत्रों में प्रारंभ प्लानटेशन बहुत कम रहा था। प्लानटेशन नवंबर 2020 महीने के दौरान प्रारंभ हुआ था। प्लानटेशन के बाद तुरंत 'निवार' चक्रवात वर्षा के कारण फसल को मध्य से भारी वर्षा प्राप्त हुई। दह मि, दका मि & उका मि क्षेत्र में अभी-अभी रोपित फसल चक्रवात वर्षा के कारण डामेज हुआ था।


2019-20 फसल मौसम के दौरान, रोपित 79,294 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 65,142 हे., जो 18% कम क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्तूबर से पहले), मध्य (15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 3:40:57 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी, दिक्षणी काली मिट्टी और उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 47,705.60 है. क्षेत्र में सिरी एक प्रधान बोया जाने वाला किरम, जो कुल रोपित क्षेत्र में 98.16% का हिसाब रहा था। बाकी क्षेत्र एफ सी आर-15, सुलक्षना, एन-98, जी-11 (हेमा), सीएच-3 और वीटी-1158 आदि., किरमों के अन्तर्गत रहा था। उत्तरी हल्की मिट्टियों में एलवी-7 संकर (8,035.22 है.) जो प्रधान किरम है, लगभग 48.56% क्षेत्र का हिसाब रहा था। के-326 अन्य बोयी जाने वाली किरम था।

प्लानटेशन रिथति	2020	-21	2019	-20
प्रारंभ प्लानटेशन (१५ अक्तूबर तक)	1,932.60	3%	7,748.80	10%
मध्य प्लानदेशन (15 नवंबर तक)	25,946.10	40%	43,437.20	55%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	37,263.70	57%	28,107.51	35%
कुल :	65,142.40	100%	79,293.51	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल की वृद्धि : उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 16,546.50 हे. क्षेत्र, जो 2019-20 में रोपित 17,911.60 हे. क्षेत्र की तुलना में 7.62% कम रहा था। देरी से मानसूस प्रारंभ होने के कारण इस मौसम के दौरान मध्यम और देरी चरणों में अधिकांश फसल लगाये गये थे।





दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

इस वर्ष दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 29,409.30 हे. के क्षेत्र, जो 2019-20 के दौरान रोपित 37,220.61 हे. क्षेत्र की तुलना में 20.99% कम रहा था। अधिकाधिक फसल मध्य और देरी चरणों में रोपित किये गये थे।

द ह मि क्षेत्र में फसल की स्थिति अनुकूल वातावरण स्थिति और पर्याप्त वर्षा के कारण अधिक चमकील श्रेणी आऊटटर्न प्रतिशतता के साथ पिछले फसल की तुलना में उत्तम रहा था। पिछले वर्ष की तुलना में इस फसल मौसम के दौरान ओरेबान्खे परजीवी उत्पीडना कम रहा था।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल:

इस वर्ष, दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 17,988.30 हे. के क्षेत्र,जो 2019-20 के दौरान रोपित 22,744.20 हे. क्षेत्र की तुलना में 20.91% कम रहा था। दकामि क्षेत्र के अंतर्गत अधिकाधिक फसल मध्य और देरी चरणों में रोपित किये गये थे। इस वर्ष निम्न श्रेणियों के उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम रहा था।

TEDIT NOTE SPRICE HIS LALL CANEDA

2020-21 के दौरान उत्तरी काली मिट्टियों

(एन बी एस) में रोपित कुल 1,198.30 हे. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,417.10 हे. क्षेत्र की तुलना में 15.44% कम रही है । इस वर्ष फसल की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी आऊटटर्न के साथ बहुत अच्छा रही है ।

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2020 - 2021

पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगों को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 6-8 क्यूरिंगों को अपनाये गये। उहिम क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए आकिलत श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 54:26:20 रहा था और दक्कामि क्षेत्र में क्रमशः 53:27:20 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा है। उक्कामि क्षेत्र और उहिम क्षेत्र में क्रमशः 70:20:10 और 53:33:14 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा है।





उपज:

2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में अनुमानित एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 111.44 मिलियन कि.ग्रा रहा है। उहिम क्षेत्र में अनुमानित उत्पादन 38.10 मिलियन कि.ग्रा रहा है। दहिम और दकािम क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन क्रमशः 36.09 और 34.75 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। उकािम क्षेत्र में 2.50 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रहा है। दिक्षण हल्की मिट्टी क्षेत्र में 1,227 कि.ग्रा/हे. और दिक्षण काली मिट्टी क्षेत्र में 1,932 कि.ग्रा./हे. उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,303 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी काली मिट्टी में 2,086 कि.ग्रा./हे. का अनुमानित औसत पैदावार रहे थे।

'निवार' चक्रवात वर्षा के कारण एफसीवी तम्बाकू फसल डामेज :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, नेल्लुरू, गुण्टूर, पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलाओं में 26 से 27 नवंबर, 2020 को प्राप्त 'निवार' चक्रवात वर्षा के कारण कुल 10,099.69 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू फसल को डामेज हो गयी थी।

बोर्ड ने, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रोयरों को आवश्यक रात उपलब्ध कराने सरकार के विशेष प्रधान सचिव, कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को पत्र सं. 4(9)/ 2020-21/उत्पा, दि.02/12/2020 और 22/12/2020 द्वारा अनुरोध किया। कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य कृषि विभाग द्वारा 1184.67 हे. को कवर किया गया और एसडीआरएफ के अंतर्गत 1392 ग्रोयरों को ₹ 118.467 लाख की राशि रीलीज हुआ था। जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रभावित ग्रोयरों की संख्या	33% से अधिक डामेजड क्षेत्र (हे.)	इन्पुट सब्सिडी राशि (₹ लाख)
1.	पूर्व गोदावरी	443	462.59	46.259
2.	पश्चिम गोदावरी	16	24.64	2.464
3.	गुण्टूर	11	6.08	0.608
4.	प्रकाशम	777	621.36	62.136
5.	नेल्लुरु	145	70.00	7.000
	कुल	1392	1184.67	118.467

वाकी एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को मुआवजा भुगतान करवाने के संबंध में कार्यपालक निदेशक ने दि. 29 दिसंबर, 2020 को माननीय कृषि मंत्री से मुलाकत हुआ। माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार दि. 30 दिसंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एपीआईआईसी भवन, मंगलिगिर में माननीय कृषि मंत्री द्वारा आरवीके पर आयोजित पूर्व समीक्षा में तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों भाग लिये। विशेष प्रधान सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार और कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश उक्त बैठक में भाग लिये। इस समीक्षा बैठक के दौरान, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के ध्यान में लाया गया कि सभी एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों, जिनके फसल प्रकाशम जिला में 'निवार' चक्रवात वर्षाओं के कारण डामेज हुआ था, को मुआवजा राशि जारी नहीं किया गया था।

प्रकाशम जिला में 33% से अधिक 2,912.82 हे. क्षेत्र के 6,838 एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के डामेन्ड इकहरा फसल के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला । एसडीआरएफ के अंतर्गत इन एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को मुआवजा प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हुए इन ग्रयरों की सूची, जो इकहरा फसल के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला था, को पत्र दि.17/03/2021 द्वारा कृषि संयुक्त सचिव, प्रकाशम जिला और कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया था।

X. 2020-21 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के दौरान, प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 5% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमित दिया गया। प्राधिकृत 10% कोटा सीमा से अधिक पंजीकृत ग्रोयरों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्रोयरों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 10% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमित दिया गया । यह कोटाओं को पुनः समायोजन और पंजीकृत ग्रोयरों के नाम पर अतिरिक्त तम्बाकू के रूप में, जो अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री से दूर कराने में बोर्ड को सहायता दी ।

XI. तम्बाकू के लिए वैकप्लिक फसलों की प्रोन्नति :

तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रधान परिणाम क्षेत्र (केआरए) के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 5/2/2018 - ईपी (अग्रि -VI), दि. 20/05/2019 द्वारा के तं अ सं के साथ समन्वय से प्रधान तम्बाकू क्षेत्रों में एफसीबी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर और राज्य कृषि और बागवनी विभाग, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के समन्वय से फसल विविधीकरण योजनाओं / वैकल्पिक फसल खेती को अपनाने के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोगित करने के द्वारा वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करने बोर्ड को निदेश दिया।

2020-21 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.अ. सं. और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के कृषि विभाग के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश राज्य के दहिम क्षेत्र में कन्दुकुरु, पोदिली, विंजमूर गाँव, दकािम क्षेत्र में ओंगोल, कोंडेपी और टंगुटूर, उहिम क्षेत्र में कोय्यलगूडेम, देवरपल्ली और जंगारेड्डिगूडेम में एफसीवी तम्बाकू के स्थान में अन्य अर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकप्लिक फसलों की खेती को बढावा देने के लिए ग्रोयरों केलिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये थे। इस फसल विविधता कार्यक्रमों आयोजन से संबंधित बोर्ड द्वारा ₹ 0.67 लाख को राशि व्यय हुआ था।

कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन और प्लानदेशन विवरण

क्र. सं	नीप्लैसं का नाम	ग्रोयर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
मैसृ	र क्षेत्र :					
1	एच.डी.कोटे - 1&65	3,563	4,723	5,856.52	7.85	7,086
2	हुन्सूर-2	3,188	4,035	5,003.40	6.31	6,150
3	हुन्सूर-3	3,231	3,923	4,864.52	6.20	5,370
4	हुन्सूर-64	2,571	3,303	4,095.72	5.36	4,990
5	कंपलापुरा-६१	3,285	4,203	5,211.72	6.64	5,560
6	चितकुंदा-62	4,511	5,916	7,335.84	9.35	7,229
	उप कुल	20,349	26,103	32,367.72	41.71	36,385
पेरि	यपट्ना क्षेत्र :					
7	पेरियपट्ना-४	4,400	6,293	7,803.32	10.55	8,100
8	पेरियपट्ना-5	4,844	6,338	7,859.12	9.85	8,332
9	पेरियपट्ना-6	4,351	5,660	7,018.40	9.13	7,530
10	रामनाथपुरा-७	4,345	5,382	6,673.68	9.25	6,849
11	रामनाथपुरा-६३	3,553	4,534	5,622.16	7.52	6,413
	उप कुल	21,493	28,207	34,976.68	46.29	37,224
	महा योग	41,842	54,310	67,344.40	88.00	73,609

नोट : प्रति बखार प्राधिकृत कोट 1,552 कि.ग्रा., और प्रति बखार क्षेत्र 1.24 हे. है ।

आब्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण तम्बाकू बोर्ड : : गुण्टूर (भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग)

विवरण	ग्रोह	ग्रोयरों की सं.	ਜ਼ ਲ	वरु	बखारों की	सं	पंजीकृत	<u>কু</u>	(हेक्टे.)	निधारित फर	फसल परिमाण	परिमाण(मि.कि.ग्रा.)	शीपत	' क्षेत्र (हेक्टे.)	क्टे.)
	ह.मि	ह.मि का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुव	ह.मि	部.研	कुल	ह मि	का मि	कुल
उहिम क्षेत्र															
देवरपल्ली	1822	1354	3176	2093.17	1437.67	3530.84	2721.16	1437.67	4158.83	6.26	3.21	9.47	2294.90	1198.30	3493.20
जंगारेड्डी गुडेम-I	2387	0	2387	2893.00	0.00	2893.00	3760.92	00:00	3760.92	8.44	00:00	8.44	3756.60	00:00	3756.60
जंगारेड्डी गुडेम-II	2739	0	2739	2892.09	0.00	2892.09	3759.71	00:00	3759.71	8.74	0.00	8.74	3764.00	00:00	3764.00
कोय्यलगूडेम	2519	0	2519	2856.60	0.00	2856.60	3713.70	00:00	3713.70	8.48	00:00	8.48	3906.00	00:00	3906.00
गोपालपुरम	2372	0	2372	2860.50	0.00	2860.50	3718.65	00:00	3718.65	8.52	0.00	8.52	2760.00	00:00	2760.00
उप कुल	11839	1354	13193	13595.36	1437.67	15033.03	17674.14	1437.67	19111.81	40.45	3.21	43.66	16546.50	1198.30	17744.80
दकामि क्षेत्र															
वेल्लमपल्ली-11	1098	1583	2681	880.64	1465.62	2346.26	2026.22	2051.86	4078.08	2.63	4.27	06.9	1922.20	2206.80	4129.00
अोंगोल-।	981	1959	2940	630.17	2000.72	2630.89	1320.93	2809.61	4130.54	1.84	5.83	79.7	1796.80	3523.40	5320.20
अोंगोल-॥	0	2108	2108	00:00	2260.33	2260.33	0.00	3164.47	3164.47	0.00	6.61	6.61	00:00	2940.00	2940.00
टंगुदूर-।	0	2839	2839	0.00	2732.54	2732.54	0.00	3825.54	3825.54	0.00	8.07	8.07	00:00	4364.70	4364.70
कोंडेपी	2018	2012	4030	1196.79	1502.09	2698.88	2717.41	2105.58	4822.99	3.53	4.42	7.96	2901.50	2359.00	5260.50
उपकुल	4097	4097 10501	14598		2707.60 9961.30	12668.90	6064.56	13957.06	20021.62	8.00	29.20	37.20	6620.50	15393.90 22014.40	22014.40

विवरण	À	ग्रोयरों की सं.	यः	वस	बखारों की	ਲ	पंजीकृत ६	ज्	(हेक्टे.)	निधारित फसल	सल परिमाण	परिमाण(मि.कि.ग्रा.)	शेपित	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.	祖 (元)
	丙.语	का.मि	कु	丙.研	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुव	ह.मि	का.मि	ञ्च	ह मि	श स	केल
द ह मि क्षेत्र															
पोदिली-1	4516	253	4769	2504.89	215.85	2720.74	5768.12	302.20	6070.32	7.46	0.62	8.08	5283.00	324.00	5607.00
कनिगिरी	1561	0	1561	1280.46	00.00	1280.46	2945.97	0.00	2945.97	3.79	0.00	3.79	2915.00	0.00	2915.00
कंदुक्रुरू-1	2576	770	3346	1787.89	636.25	2424.14	3686.72	890.75	4577.47	5.18	1.86	7.04	4470.00	1187.00	5657.00
कंदुक्रुरू-11	2134	785	2919	1515.68	538.17	2053.85	3356.91	753.43	4110.34	4.45	1.59	6.04	3755.00	1000.00	4755.00
कल्निगिरी	1559	55	1614	1297.60	59.75	1357.35	2985.78	83.65	3069.43	3.84	0.17	4.02	2635.80	83.40	2719.20
डी सी पल्ली	2209	0	2209	1756.16	00.00	1756.16	4040.27	0.00	4040.27	5.18	0.00	5.18	3730.00	00:00	3730.00
उप कुल	14555	1863	16418	10142.68	1450.02	11592.70	22783.77	2030.03	24813.80	29.91	4.24	34.14	22788.80	2594.40	25383.20
महा योग	30491	13718	44209	26445.64	26445.64 12848.98	39294.63	46522.47	46522.47 17424.76	63947.23	78.36	36.64	115.00	45955.80	19186.60	65142.40

			••	सार		(क्षेत्र हे. प्र	(क्षेत्र हे. परिमाण कि.ग्रा. में)
क्षेत्र	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	ग्रोचर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	टोपित क्षेत्र (हे.)	प्रति बरवार को पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	प्रति बरवार कोटा (हे.)
उ ह मि	40.45	11,839	13,595.36	17,674.14	16,546.50	1.30	2,900
द ह मि	37.91	18,652	12,850.28	28,848.33	29,409.30	2.30	2,900
द का मि	33.43	12,364	11,411.32	15,987.09	17,988.30	1.40	2,900
उ का मि	3.21	1,354	1,437.67	1,437.67	1,198.30	1.00	2,106
कुल	115.00	44,209	39,294.63	63,947.23	65,142.40		

विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रितयोगी बनाने तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नये और बेहतर पैकेज पद्धितयों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केतंअसं), राजमहेन्द्री, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपेनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रिशिक्षत तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलाप निम्नानुसार है :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति। (बीज, सक्करआऊट, उर्वरक)
- तम्बाकू उत्पादन को बढावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

उत्तम कृषि प्रयासों (जीएपी) के अनुसार एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है ।

(i) एफसीवी तम्बाकू बीज :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को के तं अ सं, राजमहेन्द्री और आई टी सी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्री के द्वारा 2,010.05 कि.ग्रा. अनुमोदित किस्मों के बीजों की आपूर्ति की ।

(परिमाण (कि.ग्रा. में)

				वि	रम				
राज्य	कंचन (सीटीआरआई)	कंचन (आईडीसी)	सीएच3	जी11	सिरी	एफसीएच 222	वीटी 1158	सीटीआरआई सुलक्षणा	कुल
कर्नाटका	369.00	361.50	658.50	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	1400.25
आन्ध्र प्रदेश	2.00	0.00	220.80	9.00	368.00	0.00	7.00	3.00	609.80
कुल	371.00	361.50	879.30	9.00	368.00	11.25	7.00	3.00	2010.05

(ii) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ) के द्वारा बोर्ड की भागीदारी के बिना उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया। यह नई प्रणाली आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 फसल मौसम के दौरान और कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के दौरान विकसित हुआ था। यह नवीन प्रणाली में पंजीकृत ग्रोयरों को (उर्वरकों को) अपने स्वयं प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है। यह आन्ध्र



प्रदेश में उत्तरी मिट्टी क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाईटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरू और कर्नाटका में कर्नाटका राज्य सहकारी फेडरेशन लिमिटेड मार्केटिंग (केसीएसएमएफ) की सेवाओं को उपयोग करके सफलतापूर्वक लागू किया । तम्बाकू बोर्ड ने, आपूर्ति के सभी पहलूओं में याने., मॉगपत्रों और अग्रिमों के संग्रह से लेकर इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को उपलब्ध कराना आदि., में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था । बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमित के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति समय सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे । बाहरी स्रोत एजेन्सियों और किसानों की सिमित ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता का मोनिटरिंग किये थे ।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये थे :

कर्नाटका :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम. टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फेक्ट	10,957.95	11250.00	1232.77
	उप कुल	10,957.95		1232.77
	सीआईएल	2,631.90	22647.50	596.06
डै अम्मोनियम	जीएसएफसी	280.00	22000.00	61.60
फास्फेट	आईपीएल	740.75	22250.00	164.82
	उप कुल	3,652.55		822.48
सल्फेट आफ	आईपीएल	7,188.60	41000.00	2947.33
पोटाश	टीडब्लू	3,769.35	40000.00	1,507.74
	उप कुल	10,957.95		4,455.07
	महा योग	25,568.55		65,10.32

आन्ध्र प्रदेश :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	2,986.75	12,140.00	362.59
	उप कुल	2,986.75		362.59
डै अम्मोनियम	सीआईएल	925.45	24,527.00	226.99
फास्फेट	आईपीएल	256.45	22,900.00	58.73
	उप कुल	1,181.90		285.72
सल्फेट ऑफ पोटाश	आईपीएल	2,404.00	42,300.00	1,016.89
(प्रधान क्षेत्र)	ट्रान्सवरल्ड	457.65	41,200.00	188.55
,	फ्लोरिस	220.55	35,000.00	77.19
	उप कुल	3,082.20		1,282.63
सल्फैट ऑफ पोटाश	ट्रान्सवरल्ड	397.92	42,000.00	167.13
(फर्टिगेशन)	फ्लोरिस	4.55	42,000.00	1.91
	उप कुल	402.47		169.04
कालशियम नैट्रेट	ट्रान्सवरल्ड	155.15	27,000.00	41.89
47/6/16/34/19/0	उप कुल	155.15		41.89
	महा योग	7,808.47		2,141.87

(iii) सक्कर नियंत्रण रसायन :

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए गठित किसानों की सिमति ने सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रण और वेंडर मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भाग लिये ।

कर्नाटका वर्जीनिया तम्बाकू बेलिगररा संघ (केवीटीबीएस) के निर्णय के अनुसार 2020-21 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी द्वारा प्रित 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 870/- के हिसाब से 89,845 लीटर परिमाण के सक्करआऊट को योग्य पंजीकृत ग्रोयरों को आपूर्ति की है ।

आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के दौरान, सीओएफ में लिये गये निर्णयों के अनुसार, मेसर्स. हाईग्रो प्लोरीस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹900/- के हिसाब से इच्छुक ग्रोयरों को 39,822.49 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन (सी-10) और मेसर्स आई टी सी लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹910/- के हिसाब से 71,859.69 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति की हैं।

II. 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ:

(i) स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन - ट्रे बीज तकनीकी और शेड नेटों की व्यवस्था :

एफसीवी तम्बाकू खेती में ट्रे नर्सरी तकनीकी को मानकीकरण किया गया है, जो मिट्टी जानत बीमारी समस्या और ट्रान्सप्लानटेशन प्रघातों को रोकने से दूर रहने स्वास्थ्य तम्बाकू पौधें को उत्पादन किया जा सकें । ट्रे नर्सरी पौधें, जो पारंपरिक रूप में सीड बेड नर्सरी के अंतर्गत उगाये गये पौधें के लिए फसल में न्यूनतम अंतराल भरने के साथ एक रूपता सुनिश्चितता और इस के परिणाम स्वरूप क्यूरड पत्ता में उपज और गुणवत्ता में वृद्धि को प्रदान करते हैं । 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में बोर्ड ने, किसान सिमितयों को बेहतर गुणता प्रो ट्रे को खरीदने और प्रोत्साहन के रूप में सिक्सडी को बढाने के द्वारा सहायता देती है । 2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में इच्छुक ग्रोयरों को ट्रे की आपूर्ति पर सिक्सडी का प्रावधान से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	ट्रे की संख्या	ग्रोयरों की संख्या	सब्सिडी (₹ लाखों में)
कर्नाटका	7,97,677	3,547	39.78
आन्ध्र प्रदेश	6,98,866	1,904	29.17
कुल	14,96,543	5,451	68.95





ट्रे नर्सिरयों को प्रतिकूल वातावरण अनियमितताओं जैसे., हवा, ठंड, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक तापमान, कीट और बीमारियों की घटनाओं से रक्षा करने के लिए ट्रे में पौधों को नियंत्रण परिस्थितियों में रखना पडता है। इस अभ्यास को अपनाने प्रोत्साहन के उद्देश्य से बोर्ड ने दहिम और दकािम क्षेत्रों के 136 ग्रोयरों को 141 यूनिट शेड नेटों की आपूर्ति से संबंधित ₹ 0.54 लाख की सिब्सडी नढा दी गई।

(ii) मिट्टी स्वास्थ्य की वृद्धि - एफसीवी तम्बाकू बढती मिट्टियों में हरित खाद फसल रैजिंग के लिए प्रोत्साहन :

तम्बाकू की मिट्टियाँ ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्द्रिय कार्बन से होते हैं और निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण नैट्रोजन उपलब्ध होती हैं। अतः तम्बाकू बोर्ड ने, हरी खाद के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को सुधार करने के लिए आवश्यक कदम अपनायी हैं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य सरकार की कृषि विभाग के समन्वय से तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को उनके क्षेत्रों में हरित खाद की प्रथा को अपनाने के लिए मौसम से पहले ही किसानों को हरित खाद बीजों को उपलब्ध कर रही है। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, सेन्द्रीय कार्बन के साथ मिट्टियों को समृद्ध करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 7,585.66 हे. के क्षेत्र में और कर्नाटका में 2,232.10 हे. के क्षेत्र में हरी खाद की फसलों को उगाये गये थे।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	हरित खाद फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (हे.)
कर्नाटका	कहिम क्षेत्र	2,232.10
	उहिम क्षेत्र	2,700.36
आन्ध्र प्रदेश	दहिम क्षेत्र	2,140.90
	दकामि क्षेत्र	2,744.40
	उप कुल (आं.प्र)	7,585.66
	महा कुल	9,817.76

(iii) तम्बाकू की उपज व गुणता में वृद्धि :

क. संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास - फोरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्राप :

संघिटत कीट प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है, जहां प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण विधियाँ याने., जैविक, संवर्धन, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघिटत कीट प्रबंध का उद्देश्य यह है कि कृषि - रसायनों के उपयोग को कम करना, अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के तहत, बोर्ड ने तम्बाकू क्षेत्रों में कीटों की संख्या पर निगरानी और आईपीएम योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने में सहायता देने के लिए फेरोमोन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति की।



2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति के लिए
सिब्सिडी बढाने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

फसल	ग्रोयरों व	ही संख्या	भौतिक (ट्रापों र्क	उपलब्धि ो संख्या)	वित्तीय : (₹ लार	
मौसम	फोरोमेन	पीला चिपचिपा	फोरोमेन	पीला चिपचिपा	फोरोमेन	पीला चिपचिपा
	ट्राप	ट्राप	ट्राप	ट्राप	ट्राप	ट्राप
2020-21	1,098	1,120	26,896	16,855	3.50	0.67

ख. जैव - कीटनाशक :

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सहयोग से ग्रोयरों को जैव कीटनाशकों की आपूर्ति किये जाते हैं, तािक मिट्टी जिनत रोगों की घटनाओं को रोका जा सके और कीटनाशकों/कवकनाशकों के उपयोग को कम कर सकें। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, कहिम क्षेत्र में 1,062 ग्रोयरों को 1,176 लीटर जैव-कीटनाशकों की आपूर्ति किये गये थे और सिब्सडी से संबंधित ₹ 0.86 लाख की राशि बढायी गयी। उहिम क्षेत्र में 1,352 ग्रोयरों को 4,734 लीटर जैव-कीटनाशक आपूर्तित किये गये और सिब्सडी से संबंधित ₹ 3.35 लाख की राशि बढायी गयी।



एनआईपीएचएम, हैदराबाद के विशेषज्ञ कर्नाटका के नीलाम प्लैटफार्मों को विजिट किये और जैव-कीटनाशक की व्यापक गुणन प्रक्रिया और एफसीवी तम्बाकू कृषि में जैव-कीटनाशकों का उपयोग पर ग्रोयरों को प्रशिक्षित किया था।

ग. गेंदा पोधा :

गेंदा को तम्बाकू क्षेत्र के आसपास या क्षेत्र के भीतर, एक जाल फसल के रूप में उगाया जा सकता है, जो गेंदा के फूल हेलियोतिस कीटों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते हैं और यदि गेंदा पर अंडे और लार्वा को समय-समय पर कलेक्ट करके और इस नष्ट किये जाने पर होलियोतिस संक्रमण से तम्बाकू फसल को रोकने में सहायता करती हैं। बोर्ड ने, कन्दुकुरु और जीलुगुमिल्ली में स्थित केतंअसं अनुसंधान स्टेशनों से 8,06,500 गेंदा पौधे खरीदी और आपूर्ति की और इसे आन्ध्र प्रदेश के



सभी क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को वितरित किया था इस के लिए ₹ 6.05 लाख खर्च हुआ था । कर्नाटका में ₹ 1.23 लाख व्यय में केतंअसं अनुसंधान क्षेत्र, हुन्सूर से 1,63,500 गेंदा पौधे खरीदे और पंजीकृत ग्रोयरों के बीच वितरित किये गये थे । यह गेंदा पौधा ग्रोयरों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी ।

घ. जवार और बाजरा बीज :

तम्बाकू फसल के चारों ओर 4 पंक्तियों में सीमा फसल के रूप में बोया जाने वाली जवार और बाजरा सफेद मक्खी के हमले से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और पराजीवी और परभिक्षयों की आश्रय के रूप में कार्य करता है। बोर्ड ने कर्नाटका राज्य बीज निगम, कर्नाटका सरकार से 1,899 कि.ग्रा. बाजरा बीज और 198 कि.ग्रा. जवार बीज खरीदी और कहिम क्षेत्र के 925 ग्रोयरों को रक्षा फसल उगाने के लिए िशुल्क आपूर्ति की और इस बीज की व्यय से संबंधित ₹ 83,133/- (₹ 0.83 लाख) खर्च किया गया था।

(iv) ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान परिवार को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने केलिए क्यूरिंग की लागत को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन की कुल लागत में 30% होती है। क्यूरिंग की लागत को कम करने और तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी ईधन की उपयोग से बचाने केलिए, कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंदुरी भट्टी से बदलना आदि., ईधन दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इस उपाय से क्यूरिंग लागत में 30% की बचत सुनिश्चित होती है। बोर्ड, इस उर्जा संरक्षण उपायों को किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रही है। 2020-21 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने इस ऊर्जा संरक्षण उपायों पर ₹106.26 लाखों की राशि खर्च किये।

क. परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंदुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना :

फर्नेस व्यवस्था का संशोधित अभिकल्प है-वेंदुरी फर्नेस, जो ईधन और गर्मी स्थानांतरण का बेहतर दहन की सुविधा देती है, तािक प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सिजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करती है और इससे ईधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग के सहयोग से 2020-21 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 172 लाभभोगियों को कवर करते हुए 139 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों में पुराने फर्नेस को वेंदुरी फर्नेस से प्रतिस्थापन किया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयरों को बोर्ड और व्यापारी वर्ग द्वारा सिव्सडी से संबंधित प्रति बखार को ₹5,000/- की रािश बढा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2020-21 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 6.90 लाख रािश खर्च हुई।

ख. बखारों को ग्लास ऊन पृथककरण और दर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टिंग :

बखारों के छत के लिए ग्लास उन पृथक्करण के द्वारा एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करना और लाभभोगी ग्रोयरों को सिव्सिडी की राशि बढाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर को प्रोवैड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना से 25 से 27% तक लकडी ईंधन की बचत होती है और प्रति हेक्टार के लिए लगभग ₹6,500/- तक कृषि लागत कम होती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और पत्ता सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई। 16×16 से 16×20 परिमाण के प्रति बखार के लिए ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर की फिट्टिंग करने के लिए लगभग ₹23,762.48 से ₹31,034.58 प्रति बखार के लिए कुल लागत होता था।

बोर्ड ने, व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको एंटरप्राईजेस) की सहायता से दहिम/दकािम क्षेत्र में 16×20 बखार के लिए ₹7,758.64 और उहिम और उकािम क्षेत्रों में 16×16 और 16×20 परिमाण बखार के लिए ₹5,940.62 और ₹6,514.02 बखार के लिए वित्तीय सहायता बढाने के द्वारा इस योजना को आन्ध्र प्रदेश में फोकसड़ मोड में कार्यन्वित किया था। व्यापारी वर्ग ने वित्तीय

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2020 - 2021

सहायता के रूप में ₹10,000/- मूल्य का योगदान दिया और बाकी पृथक्करण की लागत को लाभभोगी ग्रोयरों के द्वारा अपना गयी थी । 2020-21 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 657 पंजीकृत ग्रोयरों के 516 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सिव्सडी की राशि के रूप में ₹38.51 लाख खर्च किया था ।

ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टेड क्षेत्र वार बखार विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र	लाभभोगी ग्रोयर	पृथक्करण किये बखार	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
उहिम क्षेत्र	111	104	6.54
दहिम क्षेत्र	336	241	18.70
दकामि क्षेत्र	210	171	13.27
कुल	657	516	38.51

ग. दर्बी वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार को धान तृण पृथक्करण के माध्यम से एफसीवी तम्बाकू की क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और बखार में मुफ्त वायु परिसंचरण के लिए टर्बो वेंटीलेटर को ग्रोयर लाभभोगियों को सिव्सडी प्रदान करने के द्वारा उपलब्ध करना इस योजना का उद्धेश्य रहा है । धान तृण की पुथक्करण की कुल लागत ₹15,000/- प्रति बखार होगी।

बोर्ड ने ₹ 5,000/- प्रति बखार को सब्सिडी देकर इस योजना को व्यापारी वर्ग (मेसर्स.आईटीसी) की सहायता से कर्नाटका में कार्यान्वित किया । इस तकनीकी से औसतन 30% ईधन की बचत प्राप्त हुई ।

वर्ष	ग्रोयर लाभयोगियों की	बखारों की	सब्सिडी
	संख्या	संख्या	₹ लाख
2020-21	1,069	1,097.00	54.85

मुक्त पत्ता बखार तकनीकी :

तम्बाकू ग्रोयर के अनुभवों और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान के आधार पर, पारंपरिक बखार की अपेक्षा कम ईंधन लकडी की उपयोगिता और कम श्रामिक आवश्यकता को देखते हुए, एफसीवी तम्बाकू उत्पादन लगातों को कम करने और पर्यावरण की संरक्षण में सहायता के लिए मुक्त पत्ता तम्बाकू क्यूरिंग की नवाचार तकनीकी पर विचार की गई है। मुक्त पत्ता बखार से साधारण बखार की क्यूरिंग क्षमता दुगुनी होती है और यह दुहरा ऊर्जा स्रोत (लकडी और बिजली) का उपयोग करता है।

केतंअसं ने इस परीक्षण के किमयों को दूर करने के लिए विभिन्न एफसीवी तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में डेटा को रिकार्डिंग के साथ इस तरनीकी के परीक्षण के लिए सिफारिश की है। इस संदर्भ में, तम्बाकू बोर्ड ने लागत मितव्ययता को मूल्यांकन करने और शारीरिक श्रम रोजगारी और लकडी ईधन को कम करने में तकनीकी की प्रभावकारिता को मूल्यांकन करने परीक्षण के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों में चार मुक्त पत्ता बखारों की पृथक्करण/निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है। तम्बाकू बोर्ड ने, ग्रोयरों को ₹ 3.00 लाख प्रति ग्रोयर के हिसाव से वित्तीय सहायता बढाने के द्वारा व्यापारी वर्ग (मेसर्स. अईटीसी लिमिटेड) के सहयोग से मुक्त पत्ता बखार पृथक्करण को अपनाया है।

पृथक्करण के लिए प्रस्तावित मुक्त पत्ता बखारों के क्षेत्र वार विवरण नीचे दिरे	ता बखारों के क्षेत्र वार विवरण नीचे दिये :
--	--

मिट्टी क्षेत्र	लाभयोगी ग्रोयर	बखारों की संख्या
उहिम क्षेत्र	2	2.00
दकामि क्षेत्र	1	1.00
दहामि क्षेत्र	1	1.00
कुल	4	4.00

2020-21 फसल मौसम के दौरान, दकामि और दहमि क्षेत्रों के 2 ग्रोयरों को ₹ 3.00 लाख के हिसाब से कुल ₹ 6.00 लाख की वित्तीय सहायता मिला है । उहमि क्षेत्र में दो बखारों का निर्माण कार्य प्रगताधीन है ।





ड. ''अपने ईंधन स्वयं तैयार करें'' योजना - त्वरित पैदा होने वाले वृक्ष पौधों की आपूर्ति :

सतत तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के सिद्धांतों में तम्बाकू क्यूरिंग के लिए कोयला और जलाऊ लकडी जैसे., गैर-टिकाऊ स्रोतों के उपयोग को समाप्त करने पर विचार (परिकल्पना) की गई है। क्यूरिंग के लिए उपयोग लकडी को टिकाऊ लकडी स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है और वैकप्लिक जैव-द्रव्यमान ईधनों को भविष्य में प्रमोट किया जाना है। इस पहलू के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को प्राकृतिक लकडी के संसाधनों को प्रभावित



किये बिना स्वयं अपने प्लानदेशन को करने के द्वारा तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने, तेजी से पैदा होने वाले पेडों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वास्तव में, तम्बाकू बोर्ड यह अनिवार्य बना दिया था कि तम्बाकू के सभी पंजीकृत ग्रोयरों को अपने रिजस्ट्रेशन को नवीकरण करने के लिए प्रित वर्ष कम-से-कम 10 पौधों को लगाना होगा।

तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत ग्रोयरों को त्वरित गति से बढने वाले पेड पैथों को, जो न केवल क्यूरिंग समय में ग्रोयरों की ईधन लकडी की आवश्यकता को पूरा करता है, बिल्क प्राकृतिक लकडी रिजर्व पर निर्भरता को भी कम करता है।

आन्ध्र प्रदेश में, ग्रोयरों की पट्टादार पासबुक की प्रस्तुतीकरण पर स्थानीय वन विभाग नर्सरियों से मुफ्त में पैधे प्राप्त किये थे । तम्बाकू बोर्ड ने, वन विभाग से पौधों को परिवहन करने और अन्य विविध व्ययों के लिए ₹ 1.57 लाख रूपये खर्च किया है ।



कोविड-19 बाधाओं और प्रतिबंधों के कारण आन्ध्र प्रदेश में ग्रोयरों ने 2020-21 के दौरान केवल 8,700 पौधों को रोपित किये थे ।

(v) पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

क. गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पालिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा है। तम्बाकू अखंडता की रक्षा करने के लिए एनटीआरएम स्रोत को निष्कासन और एनटीआरएम का पता लगाना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फार्म स्तर पर एनटीआरएम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हांडलिंग प्रधाओं जैसे., कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि., में एनटीआरएम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा विधान रहा है। इन दशाओं में उत्पाद की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए एनटीआरएम से दूर रहने कटाई, परिवहन, क्यूरिंग, भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए कर्नाटका में 1,719 ग्रोयरों को 1,719 कान्वास टार्पालीनों और आन्ध्र प्रदेश में 2,054 ग्रोयरों को 2,054 कान्वास टार्पालीनों को सिक्सडी लागत पर आपूर्ति की। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटका में ₹ 17.19 लाख और आन्ध्र प्रदेश में ₹ 21.17 लाख रुपये राशि खर्च हुआ था। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में अन्य संवर्ग के ग्रोयरों को सिक्सडी के रूप में ₹ 1,000/- प्रति टार्पालीन/ग्रोयर और अ.जा./अ ज जा ग्रोयरों के लिए ₹ 1,400/- टार्पालीन/ग्रोयर के लिए दिया गया था।

ख. बल्किंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेंडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण को निर्माण करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाओं से किसानों को एनटीआरएम को रोकने में और ''उत्पाद की सफाई'' को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयरों को बिल्कंग शेड भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए 2020-21 फसल मौसम के दौरान, वित्तीय सहायता और वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यक ऋण बढाने के द्वारा प्रोत्साहित की थी। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में बल्क-शेड के परिमाण के अनुसार बिल्कंग शेड का निर्माण से संबंधित प्रति यूनिट को ₹6,500/- से ₹16,000/- के हिसाब से प्रति यूनिट को वित्तीय सहायता बढा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 12 बिल्कंग शेड निर्माण केलिए कुल ₹1.65 लाख रुपये राशि व्यय किये गये।

ग. पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) अवशेषों की मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों का अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों का



उपयोगिता आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं । क्यूरड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कडे शर्ते लगाये थे । हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विक्रित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं ।



तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉटस्पॉट के होते है, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाया है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉटस्पॉट मध्यस्ता को अपनाये गये। बोर्ड ने हॉटस्पॉट को पहचान करने पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग करना तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने केलिए एनआईपीएचएम, हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के 176 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं को और मेसर्स. यूरोफिन्स अनिलिटिकल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूर में उहिम क्षेत्र के 182 नमूनाओं को विश्लेषण करने का कार्य अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण के लिए ₹33.65 लाख व्यय हुआ था।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये गये व्यय (₹)	विश्लेषित केंद्र
19-20	आं.प्र.	76	8,96,800	एनआईपीएचएम
19-20	आं.प्र.	182	12,88,560	यूरोफिन्स
20-21	कर्नाटका	100	11,80,000	एनआईपीएचएम
कु	ल	358	33,65,360	

घ. निकोटिन, शक्कर और क्लोरैंड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

तम्बाकू बोर्ड ने निकोटिन, शक्कर और क्लोरैंड को निर्धारण करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों को विश्लेषण भी कराती है, तािक विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता का निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2020-21 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की बिक्री केलिए नीलािमयाँ प्रारंभ होने से पहले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी प्लैटफार्मों से एकित्रत 279 पत्ते नमूनाओं का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रासायिनक संघटकों को निर्धारण करने के लिए केतंअसं, राजमहेन्द्री में विश्लेषण कराया था । इस लेखा के अंतर्गत ₹ 6.42 लाख कुल व्यय किये गये ।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठायेगये व्यय (₹)	विश्लेषित केंद्र
19-20	आं.प्र.	179	4,11,879.00	सीटीआरआई
20-21	कर्नाटका	100	2,30,100.00	सीटीआरआई
कु	ल	279	6,41,979.00	

(vi) 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने बोर्ड द्वारा अपनाये गये पहलू :

(i) तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढावा देना :

विश्व भर में, ग्राहकों के निरंतर बढते हुए चिंताओं को दृष्टि में रखते हुए, सुरक्षित तम्बाकू उत्पादन के लिए रथायी तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के लिए तम्बाकू ग्राहक आग्रह रहे हैं । स्थायी खेती में एक भाग के रूप में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढावा, जो मिट्टी की सूक्ष्म जैविक गतिविधियों में सुधार करके मिट्टी कार्बनिक सामग्री को समृद्ध करने में मदद कर सकती है। यह खेती की प्रणाली पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और कम इनपुट प्रभावी है । यह प्रणाली प्राकृतिक संसाधन जैसे., मिट्टी और पानी को रसायनों की संदूषण से रक्षा करती है । इस प्रणाली में रसायनिक उर्वरकों और रसायनिक फसल सुरक्षा एजेटों की अनुपयोग से कीटनाशी अवशेष मुक्त तम्बाकू को उत्पादन करने में मदद मिलेगी और लागत बचत करने में भी मदद मिलेगी ।

तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी मिट्टी क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू खेती में तम्बाकू ग्रोयरों को प्राकृतिक खेती से लाभों को प्रदर्शित करने के लिए, ग्रोयरों के क्षेत्रों में परीक्षणों को अपनाया है। यह परीक्षण आन्ध्र प्रदेश में 186.63 एकड़ (74.65 हे.) और कर्नाटका में 104.00 एकड़ (41.60 हे.) क्षेत्रों में इच्छुक 60 ग्रोयरों के क्षेत्रों में और कर्नाटका में 104 ग्रोयरों के क्षेत्रों में यह परीक्षण किये थे। फसल

विशेषज्ञों द्वारा विकसित और सूचित प्राकृतिक खेती प्रथाओं को अनुसरण करते हुए, एफसीवी तम्बाकू उगाने के लिए अपनाया था। ग्रोयरों, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाये थे, को प्रति ग्रोयर को ₹ 5,000/- और आर्गीनक इनपुट संबंधित ₹ 10,000/- नकद प्रोत्साहन बढाये गये।

नियंत्रण प्लाटों की वृद्धि, पत्ता विस्तार, कीट प्रतिरोध, चमकीला श्रेणी आऊट टर्न और सुंगध आदि., के संदर्भ में सामान्य (अकार्बनिक) क्षेत्रों के साथ जडबीएनएफ फसल की तुलना करने के लिए मौजूदा समरूप किरमों के साथ चयन किये गये थे। नियंत्रण प्लाट की तुलना में जडबीएनएफ प्लाट उत्तम वृद्धि दर्ज की। पत्ता विस्तार अकार्बनिक क्षेत्रों की तरह अच्छी रही है। रंग समृद्ध है और क्यूरड़ पत्ता में सुगंध अच्छी रही और सामान्य फसल से बेहतर रही है। जडबीएनएफ प्लाटों में फसल पर प्राकृतिक रूप से फुहार के साथ कीटों तथा बीमारियों के बिना पूरी नियंत्रण में रहे गये। पैदावार भी सामान्य क्षेत्रों के बराबर रही है और नियंत्रण प्लाटों की तुलना में जडबीएनएफ प्लाटों में चमकीला श्रेणी तम्बाकू की प्रतिशत अधिक है।





(ii) अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन :

दुनिया भर में, बढती हुई स्वास्थ्य चिंताओं के सम्बन्ध में, क्यूरड़ तम्बाकू में हानीकारक पदार्थ जैसे., कीटनाशक अवशेषों और नमनशील टोबाकोस के उत्पादन को कम करना एक उभरती हुई आवश्यकता है। मार्गदर्शन अविशष्ट स्तर (जीआरएल) के नीचे सीपीए अवशेषों को कम करना ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले गंभीर क्षेत्रों में से एक हैं। तम्बाकू बोर्ड सीपीए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बडे पैमाने पर सीपीए लघुकरण अभियान चला रहा है, जहाँ उच्च फसल संरक्षण एजेंट (सीपीए) अवशेष पाये गये थे, में अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन करने और एक प्रभावी मार्ग और खोज को स्थापित किया है।

2020-21 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने उत्पाद की अखंडता में सुधार लाने, पत्ता की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और कीटनाशक अवशेषों को नियंत्रण करने बडे पैमाने पर अभियान चलाये थे। बोर्ड ने, 90 सम्भाव्य गाँवों, जहाँ उहिंम में 80% फसल आने वली है, से पत्ता नमूनाओं को कलेकट किये थे और इसे यूरोफिन्स अनिलिटकल सर्वीसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, बेंगलूर में विश्लेषण करवाये गये थे।

किसानों द्वारा 100% पेंडिमेथालीन अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन (कोरेस्टा के जीआरएल के अनुसार) होना इस अभियान का प्रधान उपलब्धि रही है ।

III. हरित क्षेत्र की वृद्धि :

तम्बाकू बोर्ड ने, कार्बन पृथक्करण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और जैव-विविधता में सुधार जैसे., प्रधान मुद्दों को पता लगाने के लिए अपनी हरित ड्राईव पहलूओं में एक भाग के रूप में हरित क्षेत्र में सुधार करने पर ध्यान केंन्द्रित कर रही हैं। तम्बाकू बोर्ड ने पूरोगामी उपक्रम जैसे., 'अपने ईंधन स्वयम रैज करे कार्यक्रम', और सामूदायिक वृक्षारोपण जैसे., अग्रगामी पहलूओं को अपनाने द्वारा हरित क्षेत्र को सुधार करने के लिए बढावा दे रही है।

IV. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

तम्बाकू बोर्ड किसानों को व्यक्तिगत संपर्को, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म ट्रयलों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा समय पर फसल सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी को स्थानांतरण करने द्वारा सफलता पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है ।

(i) किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना यह विस्तार अभिकल्पना और योजना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों में से एक हैं । इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग की अपार संभावनाएं प्राप्त होती हैं । इस प्रकार की प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है । यह प्रशिक्षण किसानों को तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धितयों को लागू करने में कुशल बनाती है, जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है । यह प्रशिक्षण विस्तार कर्मचारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है ।

इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाली विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयरों और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया था ।





आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों के किसानों को उत्तम कृषि प्रयासों पर जानकारी पैदा करने फसल वृद्धि की विभिन्न चरणों में याने., नर्सरी प्रबंध से फसल पैदावार, क्यूरिंग और ऑन-फार्म स्टोरेज आदि., तक 166 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 8,494 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे। दोनों राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 5.03 लाख की राशि खर्च हुई। • एनआईपीएचएम, हैदराबाद ने बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों को वर्चुवल मोड के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था । इसका विवरण निम्नानुसार है :

	प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि
आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म	पेस्ट प्रबंध में एआईएसए और परिस्थितिकी इंजनियरिंग	11 क्षे.अ.	5 दिन 02/11/2020 से 06/11/2020 तक
आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म	तम्बाकू बोर्ड वरिष्ठ श्रेणीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण	22 नी.अ./व.श्रे.अ	3 दिन 17/02/2021 से 19/02/2021 तक
आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म	जैव नियंत्रण एजेंटों और मैक्रोवियल पेरिटसाईडों की ऑन-फार्म उत्पादन	31 क्षे.अ. (2 वैचों में)	3 दिन 03/03/2021 से 05/03/2021 तक और 08/03/2021 से 10/03/2021 तक

• केतंअसं ने अपने अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु और राजमहेन्द्री में ''एफसीवी तम्बाकू की खेती और उत्पाद पोषण और लाभकारिता के लिए आईपीएस संबंधित उत्तम प्रबंध प्रयासों'' पर आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत् बाहरी स्रोत क्षे.स/क्षेत्र सहायकों/विरष्ठ क्षेत्र सहायकों व क्षेत्र अधिकारियों/वश्रेअ/नीलाम अधीक्षकों को निम्नलिखित तारिखों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया :

अनुसंधान केन्द्र का नाम	लक्षित अधिकारी	अवधि
	बाहरी स्रोत क्षे.स / क्षेत्र सहायक / वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	07/12/2020 से 10/12/2020 तक 21/12/2020 से 24/12/2020 तक
कन्दुकुरु	क्षेत्र अधिकारी / व.श्रे.अ / नीलाम अधीक्षक	28/12/2020 से 31/12/2020 तक
	बाहरी स्रोत क्षे.स / क्षेत्र सहायक / वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	25/11/2020 से 28/11/2020 तक
राजमहेन्द्री	क्षेत्र अधिकारी / व.श्रे.अ / नीलाम अधीक्षक	28/12/2020 से 31/12/2020 तक

इस कार्यक्रम के द्वारा 70 वक्षेस, क्षेस, वक्षेस और 48 क्षे.अ/नीअ/वश्रेअ को प्रशिक्षण प्रदान किये गये थे । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रू. 12.55 लाख (18% जीएसटी को मिलाकर) खर्च हुई थी ।

उहिम क्षेत्र में सीपीए अवशेष नियंत्रण संबंधित अपनाये गये विस्तार कार्यक्रम-कार्यान्वित कार्यवाही योजनाः

- बोर्ड ने तम्बाकू में काटनाशी अवशेषों को पता लगाने नियमित अन्तरालों में उद्योग के सभी पणधारियों याने.,
 व्यापारि वर्ग, ग्रोयर और विशेषज्ञ, केतंअसं, राजमहेन्द्री के साथ बैठकें आयोजित की ।
- व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों, केतंअसं के विशेषज्ञ, प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री और उहिम क्षेत्र के सभी नीलाम प्लैटफार्मों के नीलाम अधीक्षकों, उहिम क्षेत्र के सभी ग्रोयर प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.15/12/2020 को वर्चुवल मोड के द्वारा मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई। यह बैठक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई सीपीए अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कार्यवाई योजना तैयार किया गया था।

- उहिम क्षेत्र के ग्रोयरों और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक उद्य प्रभावी बैठक, जो एफसीवी तम्बाकू निर्यातों पर सीपीए अवशेषों का प्रभाव और इस समस्या को पता लगाने के लिए इस फसल मौसम के लिए कार्यवाई योजना से संबंधित ग्रोयरों को जानकारी देने दि.23/12/2020 को कोय्यलगूडेम नीलाम प्लैटफार्म में संपन्न हुई। इक बैठक में उहिम क्षेत्र नीलाम प्लैटफार्मों से 275 ग्रोयर भाग लिये। इस बैठक को आयोजित करने प्रादेशिक प्रवंधक, राजमहेन्द्री को ₹ 60,970/- खर्च हुई थी।
- प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री ने सीपीए अवशेष विश्लेषण के लिए पत्ता नमूना प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक का कार्यालय, राजमहेन्द्री में अपेक्स सिमित की बैठक दि.19/02/2021 को संपन्न हुई। इस बैठक के लिए ₹ 2,400/- खर्च हुआ था ।
- उहिम क्षेत्र के ग्रोयरों के साथ पत्ता में सीपीए अवशेष नियंत्रण की कार्यवाही योजना से संबंधित एक पारस्परिक बैठक दि.25/02/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई । इस बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक ने किया था और मुख्य कार्यालय के सभी प्रबंधकों इस बैठक में भाग लिये थे । बोर्ड सदस्य और उहिम क्षेत्र के सभी नीलाम प्लैटफार्म से तम्बाकू ग्रोयर इस बैठक में भाग लिये ।
- नीलाम अधीक्षकों ने सीपीए विषयों पर संकेन्द्रित ग्रामीण स्तर के जानकारी बैठकें आयोजित किये थे ।
- तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाले विज्ञाप्तियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और इसे ग्रोयरों को वितरित किये गये ।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्रोयरों को तम्बाकू में सिफारिश नहीं किये गये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने और कार्बेन्डिजम, डाइथियोकार्बोंनेट्रस और पेंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किया गया था ।
- प्रत्येक नीलाम प्लोर में और 90 पहचानित गाँवों में कार्बेन्डिजम, डाईथियोकार्बों मेड्स और पेंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा ग्रोयरों को अपील किये गये ।
- ग्रोयरों को सीपीए की प्रबंध पर पोस्टर/करपत्रों के रूप में, जिसमें कीट की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर
 और पूवपैदावार अन्तराल की अविध आदि., पर प्रचार सामग्री आपूर्तित किये गये ।
- कीट नियंत्रण उपायों को सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये और ग्रोयरों की एकत्रित स्थानों में इसे रखे गये ।
- तम्बाकू में कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक की दुकानों को सिफारिश कीटनाशकों के विवरण पर
 फ्लेक्सियों को प्रदान किये गये थे । कीटनाशक दुकानदारों को जानकारी बैठक/प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
- वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए, सीपीए अवशेषों को पहचान करने पत्ता तम्बाकू का परीक्षण किया गया था, तािक उपज की स्थापना को पता लगा सके एतद्वारा उहिंम क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को कम करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए अधिक जोखिम वाले गाँवों को पहचाह किया जा सकें ।
- ग्रोयरों को उपयों जैसे., सिफारिश मात्राओं में सिफारिश कीटनाशकों का प्रयोग, झूठी परिपक्वता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों की स्प्रे से दूर रहना, सिफारिश परिमाणों से अधिकाधिक नैट्रोजेन उर्वरकों के उपयोग को सीमीत रखना, अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशीयों के उपयोग से दूर रहना, कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक संघटकों के साथ गाढा (कानकोक्शन) का प्रयोग आदि., पर शिक्षित करना ।

ii. कार्यशाला :

आन्ध्र प्रदेश :

- प्रादेशिक प्रबंधक, उहिम व उकािम क्षेत्र ने संबंधित क्षेत्रों के ग्रोयरों और कर्मचािरयों को केतंअसं अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरू में क्रमशः दि.08/01/2021 (दहिम) और 11/01/2021 (दकािम) को ''तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि अभ्यासों'' पर कार्यशालाओं को आयोजित किये थे। इस कार्यशाला में विभिन्न पहलूओं जैसे., समेकित पोषकतत्व प्रबंध (आईएनएम), प्लानटेशन के लिए ट्रे नर्सरी पौधों की उपयोग से लाभ, आरेबान्खे पराजीवी प्रबंध, उर्वरक उपयोग दक्षता (एफयूई) में वृद्धि करने उपाय, नमी के दबाव और सूखे की स्थिति में अपनाये जाने वाली प्रथाओं के लिए विशिष्ट पैकेज, पोस्ट हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध (पीएचपीएम), समेकित पेस्ट प्रबंध (आईपीएम) और एफसीवी तम्बाकू में फसल संरक्षण एजेंट (सीपीए) प्रबंध आदि., से संबंधित केतंअसं के विशेषज्ञ, बोर्ड की तकनीकी पदाधिकारियों, व्यापारी वर्ग के आर एण्ड डी विशेषज्ञों द्वारा ग्रोयरों को सूचित किये गये थे। दकािम क्षेत्र में इस कार्यशाला आयोजन करने के लिए ₹ 32,150/- और दहिम क्षेत्र में कार्यशला आयोजन करने के लिए ₹ 47,624/- की राशि खर्च हुई।
- सीपीए और एनटीआरएम को कम करने तम्बाकू में उत्तम खेती प्रयासों पर दि.10/02/2021 को केतंअसं अनुसंधान केन्द्र, जीलुगुमिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला को आयोजित करने
 ₹ 40,720/- की राशि खर्च हुई।

कर्नाटका :

• प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर में केतंअसं से विशेषज्ञों, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को सिम्मिलत करते हुए दि. 05/08/2020 को नी.प्लै.सं.61, कंपलापुरा में कर्नाटका के कर्मचारियों और क्षेत्र कर्मचारियों को ''उत्तम कृषि अभ्यासों'' पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया था। इस कार्यशाला के दौरान, तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि अभ्यासों, सूखा और अत्यधिक नमी स्थितियों के दौरान फसल प्रबंध, उर्वरक प्रयोग और पोस्ट हार्वेस्ट उत्पादन प्रबंध (पीएचपीएम) आदि., से संबंधित ग्रोयरों को शिक्षित किया गया। इस कार्यशाला को आयोजित करने प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर को ₹ 48,082/- की राशि खर्च हुई।

ii. आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को अध्ययन यात्रा :

- दहिम व दकािम क्षेत्रों के नीलाम अधीक्षकों ने तम्बाकू प्रोसेिसंग प्रचालनों और थ्रेशिंग मेशिनरी पर एनटीआरएम का प्रतिकूल प्रभाव के बारे में ग्रोयरों को निरूपण करने थ्रेशिंग प्लान्टों को अध्ययन यात्रा आयोजित किये थे। ग्रोयरों को उत्तम निर्यात के लिए तम्बाकू में एनटीआरएम की समस्था को पता लगाने की आवश्यकता के बारे में समझाया गया।
- उहिम क्षेत्र के नीलाम अधीक्षकों ने वैकल्पिक फसल उत्पादन, प्राकृतिक खेती के लाभों को प्रदर्शित करने और रिथरता के लिए कृषि के विविधीकरण करने की तरीका पर ग्रोयरों को शिक्षित करने बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटरामन्नगूडेम, ऑयल पॉम अनुसंधान केन्द्र, पेदवेगी, श्री सुब्रहमण्येश्वर प्रकृति व्यवसाय क्षेत्रम, गुंडुगोलनुकुण्टा और तिरुमलमपालेम गाँव में बहुमंजिल फार्मिंग मोडल प्लाट को अध्ययन यात्राओं को आयोजित किये ।
- 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 15 अध्ययन यात्रा और इस यात्रा में 464 ग्रोयर भाग लिये
 थे । इन अध्ययन यात्राओं को आयोजित करने के लिए ₹ 2.44 लाख की राशि खर्च हुई ।

क्षेत्र	अध्ययन यात्रा व्यय (₹)
दकामि	71,270.00
दहिम	77,054.00
उहिम	95,483.00
कुल	2,43,807.00



iv) प्रचार सामग्री :

2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने ''ओरोबन्खे पराजीवी का प्रबंध'' और ''नियंत्रण और एफसीवी तम्बाकू पैदा करने में हरित खाघ फसलों का महत्व'' विषयों पर 18,000 बहु रंगीन करपत्र और 'एफसीवी तम्बाकू से पर तम्बाकू कम्बंधी सामग्री (एनटीआरएस) उन्मूलन पर 18,000 तेलुगु ब्रोचर बहुरंगीन मुद्रित करके आन्ध्र प्रदेश राज्य के ग्रोयरों को वितरित की । इस के लिए ₹ 81,144/- (टीडीएस को मिलाकर) राशि खर्च हुई ।

एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या से संबंधित उहिम क्षेत्र में ग्रोयरों को शिक्षित करने के लिए फसल संरक्षण एजेंट (सीपीए) और उसकी डोसेजों पर 1,000 करपत्र मुद्रित किये गये थे और इसके मुद्रण व्ययों से संबंधित ₹ 1,200/-राशि खर्च हुई थी।



v) क्षेत्र मित्र दल:

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलूओं पर ग्रोयरों को समय पर सलाह और सुझाव देने के.तं.अ.सं., से विशेषज्ञों, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड एओआई, पीएसएसएम के क्षेत्र कर्मचारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे। तम्बाकू में संभाव्य विस्तार संभरकों को पहचान किये जायेंगे और इसे क्षेत्र मित्र दल कार्यक्रम में भागीदार बनाया जायेगा। आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के दौरान सभी क्षेत्रों में क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे और यह दल समयसारणी के अनुसार यात्रा किये थे और इस के लिए ₹ 0.44 लाख खर्च हुई।

vi) ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

किसानों के प्रबंधन के अंतर्गत, जो नियंत्रण के रूप में किसानों की अपनी प्रथाओं की तुलना में किसानों की क्षेत्र में एक नयी तकनीकी नवाचार, या एक नवीन मध्यस्थता का परीक्षण होता है।

तम्बाकू बोर्ड ने ग्रोयरों के क्षेत्रों में प्राकृतिक फार्मिंग के प्रभाव पर ''आन-फार्म परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षणों'' को कार्यान्वित किया है । इस एफसीवी तम्बाकू की कृषि के प्राकृतिक खेती मोड में रसायनिक उर्वरुक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किये जाते हैं और प्राकृतिक रूप में इनपूटों का ही उपयोग किया जाता हैं ।

2020-21 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटक में 104.00 एकडों में (41.60 है.) प्राकृतिक खेती के ऑन-फार्म परीक्षण के लिए 104 ग्रोयर आगे आये और 186.63 एकडों में (74.05 है.) प्राकृतिक फार्मिंग का ट्रयलों को अपनाये गये। बोर्ड ने, इस ट्रयलों को अपने क्षेत्रों में आयोजित कराने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ग्रोयरों को बढाने और क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित कर्नाटका में ₹10.33 लाख और अन्ध्र प्रदेश में ₹9.11 लाख व्यय की थी। इस क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों में आन्ध्र प्रदेश में कुल 918 ग्रोयर और कर्नाटका राज्यों मे कुल 691 ग्रोयर भाग लिये और उन्हें प्राकृतिक फार्मिंग की अवधारणा के लाभों के बारे में शिक्षित किये गये।

बोर्ड ने तम्बाकू ग्रोयर क्षेत्रों में 365 दिनों की फसल उगाने की अवधारणा को बढावा दी, यह प्रथा, जो ग्रोयर को पूरे वर्ष में क्षेत्र से नियमित आय को प्राप्त करने में मदद करती है और फसल रोटेशन के अभ्यास के द्वारा मिट्टी को संवर्धन करने में भी सहायता कर सकती है । बोर्ड ने, 6 ग्रोयरों, जो 6.20 हे. क्षेत्र में सभी मौसमों में पूरे वर्ष में (365 दिन) बहु फसलों को उगाने के लिए आगे आये थे, को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड द्वारा ₹ 0.97 लाख का व्यय किया था ।





vii) नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 18 गाँवों में और कर्नाटका के 12 गाँवों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को वढाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित की थी। मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, डक्कन टोबाको कंपेनी और आलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी इस एमपीए गाँवों में विकासात्मक गतिविधियों को करने में शामिल रहे थे। इस योजना को कार्यान्वित करने ₹ 10.60 लाख खर्च हुई।

2020-21 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए ₹ 328.53 लाख कुल व्यय खर्च किये थे ।

(₹ लाखों में)

विस्तार योजनाएँ	2020-21
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	126.05
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	107.83
एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	38.36
पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध	1.65
किसानों और तकनीकी कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	23.63
ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	20.41
नमूना परियोजना क्षेत्र	10.60
कुल	328.53

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 46 से 49 में दिये गये ।

2020-21 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

		भा।त	क आर	वित्तार	। उपला	ष्यया			•	0.
क्र. सं.	योजना का नाम		ोगियों र्क	ो संख्या		तिक उपट	नब्धि		ात्तीय उपत् (₹लाख)	नार्द्ध
ਰ.		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & व्	गुणवत्ता वृ	द्धे करना							
क	पेस्टिसाईड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	0	0	0	437	200	637	25.97	14.10	40.07
ख	संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धतियाँ									
ख 1	फोरोमेन ट्राप	1098	0	1098	26896	0	26896	3.50	0.00	3.50
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप	1120	0	1120	16855	0	16855	0.67	0.00	0.67
ख 3	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	1904	3547	5451	698866	797677	1496543	29.17	39.78	68.95
ख 4	शेड नेट	136	0	136	141	0	141	0.54	0.00	0.54
ख 5	बयो-पेरिटसाईडों की आपूर्ति	1352	1062	2414	4734	1176	5910	3.35	0.86	4.21
ख 6	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति				806500	163500	970000	6.05	1.23	7.28
ख 7	जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति	0	925	925	0	2097	2097	0.00	0.83	0.83
	उप कुल	5610	5534	11144				69.25	56.80	126.05
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि									
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय									
i	ग्लास वूल छत पृथक्करण	657	0	657	516	0	516	38.51	0.00	38.51
ii	वेंन्दुरी फर्नेस	172	0	172	139	0	139	6.90	0.00	6.90
iii	पेद्दी स्ट्रा इन्सुलेशन	0	1069	1069	0	1097	1097	0.00	54.85	54.85
ख	लूज लीफ बखार	2	0	2	2	0	2	6.00	0.00	6.00
ग	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रैज करना (पौधों की संख्या)	0	0	0	8700	0	8700	1.57	0.00	1.57
	उप कुल	831	1069	1900				52.98	54.85	107.83
3	पी एच पी एम उपाय									
i	वित्कंग शेड का निर्माण	12	0	12	12	0	12	1.65	0.00	1.65
4	एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पालीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	2054	1719	3773	2054	1719	3773	21.17	17.19	38.36
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम									
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
i	कार्यशाला	273	75	348	3	1	4	1.21	0.48	1.69
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	5202	3292	8494	100	66	166	2.89	2.15	5.04
iii	एनआईपीएचएम/सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	182	0	182	4	0	4	12.55	0.00	12.55
iv	सीपीए अवशेष समस्याओं पर ग्रोयरों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	295	0	295	2	0	2	0.63	0.00	0.63
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	0	0	0	37000	0	37000	0.84	0.00	0.84
ग	अध्ययन यात्रा	464	0	464	15	0	15	2.44	0.00	2.44
घ	क्षेत्र मित्र दल	0	0	0	3	0	3	0.44	0.00	0.44
	उप कुल	6416	3367	9783			0	21.00	2.63	23.63
6	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल									
क	प्राकृतिक फार्मिंग पर प्रदर्शन	60	104	164	74.65	41.60	116.25	9.11	10.33	19.44
ख	ओएफटी-३६५ दिन ग्रीन कवर	6	0	6	6.20	0	6.20	0.97	0.00	0.97
	उप कुल	66	104	170				10.08	10.33	20.41
7	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	0	0	0	18	12	30	5.96	4.64	10.60
	महा योग	14989	11793	26782				182.09	146.44	328.53

2020-21 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रोयरों को कवरेज

										r	ज्याञ्चाहराजाँ					
ŀ				- Allendary	性			1.6					4		7 * 4	
8	योजना का नाम		<u>ี้</u>	<u> </u>	_ ਹ		-	. P	मावक (बाबर	्राबट)			<u>ਹ</u>	विताय (साब्सडा < म)	51 < H)	
য়		एस सी एस टी		अहिला 3	अब्द	कुल	एस सी ए	एस दी	महिला	अन्य	। स्थ	ਦੁਲ ਲੀ	ਦੁਕ ਟੀ	महिला	अन्य	कुल
-	एफसीवी तम्बाकू															
	की पैदावार & गुणवत्ता															
	की वृद्धि करना															
B	पेरिटसाईड और रसायनिक															
	अंशभूतों केलिए															
	पत्ता विश्लेषण	:	:	:	:	:	:	:	:	÷	637	÷	÷	i	Ē	4007339.00
ঙ্গ	संघटित पेस्ट															
	प्रबंध पद्धति															
ख्य 1	फोरेमेन ट्राप	45 2	27 2	249	.	1098	829	834	6127	19076	26896	11167.00	10842.00	79651.00	247988.00	349648.00
ख 2	ख 2 पीला चिपचिपा ट्राप	48	27 2	264	781	1120	518	451	4032	11854	16855	2072.00	1804.00	16128.00	47416.00	67420.00
ন	ट्रे और कोकोपिट															
	की आपूर्ति	285 1	179 13	1358 3	3629	5451 6	68820 47153		396128	984442	1496543	452127.00	300151.00	1758333.00	4384374.00	6894985.00
ଘ	बयो-पेरिटसाईडों															
	की आपूर्ति	106	139 5	577 1	1592	2414	180 29	299.98	1611	3819.4	5910.38	20213.00	33735.00	108774.00	257837.00	420559.00
ю	ग्रीन हाऊस/पॉली															
	हाऊस के निर्माण	:	:	. 7	110	136	:	:	27	114	141	::	:	10342.00	43661.00	54003.00
띠	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों															
	की आपूर्ति	:	:	:	:	:	:	:	:	÷	000026	i	i	÷	i	727500.00
þ	बाजरा & जेवर															
	वीजों की आपूर्ति	:	:	÷	:	925	:	:	:	÷	2097	÷	:	÷	÷	83133.00
	उप कुल					11144										12604587.00

										19	उपलब्धियाँ	-				
₩.	योजना का नाम		ไก	लाभभोगियों	ज्			'db	भौतिक (यूनिट)	यूनिट)			कि	वित्तीय (सब्सिडी रै	ो ₹ में)	
ਯ		एस भी	एस सी एस टी	महिला	अन्य	ક જ	एस सी	एस दी	महिला	अन्य	ख स्थ	एस स्री	ਦਕ ਨੀ	महिला	अन्य	<u>ख</u>
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि															
8	ऊर्जा संरक्षण उपाय															
क1	ग्लास बूल छत पृथक्करण / पेड्डी स्ट्रा छत पृथक्करण	47	48	366	1265	1726	41.5	45	349.1	1177.4	1613	228184.00	237909.00	2073365.00	6796347.00	9335805.00
Ф2	लूज लीफ बखार का पृथक्करण	•••	:	1	1	2	•••	:	1	_	2	10	:	300000.00	300000.00	90.000009
क3	वेंन्दुरी फर्नेस का पृथक्करण	9	÷	39	127	172	9	:	31	101.75	138.75	30000.00	:	151436.00	508750.00	690186.00
ফ্র	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईधन को रेज करना	:	:	:	::	::		:	:	÷	8700		:			157140.00
	उप कुल					1900										10783131.00
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पातीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	278	118	747	2630	3773	278	118	747	2630	3773	328400.00	130400.00	747000.00	2630000.00	3835800.00
4	पीएचपीएम उपाय बल्किंग शेड मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण	0	0	-	11	12	0	0	-	17	12	0.00	0.00	15000.00	150000.00	165000.00
	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम															
S	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण															
	कार्यशाला	:	:	::		348	:	:	::	:	4	:		::		168576.00
:	ग्रोयरों को नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	:	:	:	:	8494	Ē	:	:	:	166	Ē	:	8		503516.00

		ज क्श	1255048.00	000.009	2400.00	83967.00	243807.00	44233.00	2362517.00	2041344.00	1060335.00	32852714.00
			125)9	2.	8	24:	44	236	204	106	328
	ो ₹ में)	अन्य	E	: :	:	:	:			:		
	वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)	महिला	i	÷	:					***		
	क्ति	ਦੁਲ ਟੀ	÷	÷	:	÷	:	•••		::	÷	
		ਦੁਲ ਲੀ	:	·	:			***				
उपलब्धियाँ		ह १ १	4	-	~	37000	15	3		122.45	30	
19	यूनिट)	अन्य	i .	÷	÷	:	÷	:		:	÷	
	भौतिक (यूनिट)	महिला	:	:	:	Ē	:	:		i	:	
		एस क	:	:	:	÷	:			÷	:	
		एस स्री	i i	Ē.	:	i	:	:		i	:	
		ন ক	182	275	20	÷	464	:	9783	170	:	26782
	प्यों	अन्य	:	:	:		:					
	लाभभोगियों	महिला	:	:	:	:	:	:		i.	:	
	15	एस सी एस टी	:	:	:	i	:	:		:	i	
		एस सी	:	÷	:	:	:	:		:	:	
	योजना का नाम		एनआईपीएचएम/ सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/ ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रोथर/कर्मचारियों को वर्गीकरण, पैकेज प्रथाओं, सीपीए अवशेष समस्याओं को रोकने पर प्रशिक्षण	अपेक्स समिति बैठक	प्रचार & विस्तार साहित्य	अध्ययन यात्रा	क्षेत्र मित्र दल	उप कुल	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	महा योग
	Æ.	स्रं	≔	>	>	ম	ᆔ	ਬ		9	7	

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

l) तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 81,500 एफसीवी तन्बाकू ग्रोयरों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में ''तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजनाएँ'' प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनाया है।

यह कल्याण योजना द्वारा मृत्यु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता और बालिका विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है को और प्राकृतिक आपित्तयों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बखारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रावधान करती है। तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 17,234 ग्रोयरों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। ₹ 48.51 करोड मूल्य के अनुदान 12,801 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 4,433 ग्रोयरों को ₹ 11.27 करोड मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किये गये।

इस योजना के प्रारंभ से 2020-21 के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि में ₹ **64.45** करोड की राशि उपलब्ध रही ।

2020-21 के दौरान, अनुदानों के रूप में ₹ 6.45 करोड और व्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 1.17 करोड रूपये, कुल मिलकर ₹ 7.62 करोड ऋण वितरित किये गये। 2020-21 के दौरान योजना वार दिये अनुदान / व्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 52 में दिये गये।

II) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

(क) मिट्टी व जल परीक्षण :

पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहित एवं विश्लेषण नियमित के आधार पर मुफ्त में कराती है। बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए बोर्ड द्वारा मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग्रोयरों को सलाह देती है। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,301 मिट्टी नमूनाओं को केवीके, दर्शी में और 557 जल नमूनाओं को केवीके, दर्शी की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा विश्लेषित करवाये गये। कर्नाटका राज्य में आरसीएफ लिमिटेड, गौडहल्ली, कोलार जिला की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा 4,200 मिट्टी नमूनाओं को विश्लेषित करके परिणाम संबंधित ग्रोयरों को सूचित किये गये। उक्त के अलावा 2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1,000 मिट्टी नमूनाओं को और कर्नाटका में 180 मिट्टी नमूनाओं को - एफई, जडएन, एमएन और सीयू आदि., की सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए विश्लेषण को अपनाये गये।

राज्य	माव्र	ो पोषकतत्व	सूक्ष्म पोषकतत्व
Cloq	मिट्टी नमूने	जल नमूने	मिट्टी नमूने
आन्ध्र प्रदेश	2,301	557	1,000
कर्नाटका	4,200		180
कुल	6,501	557	1,180

ख) एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 से कर्नाटका में स्टांडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंद्ध जोखिम पॉलसी) के जिरये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टाकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्रोयर भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दर्घटना पालसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सूरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 33,179 ग्रोयरों को तथा उनके 32,187.94 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 1.83 करोड राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी थी। यूनाईटेड इंडिया इन्सूरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 34,851 ग्रोयरों को तथा उनके 43,082.50 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2.15 करोड राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी।

योजना प्रारंभ से दि. 31 मार्च, 2021 तक मंजूर किये गये अनुदान / ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता को दशनिवाला विवरण

		योजना	योजना का प्रारंभ से 31/03/2020 तक	31/03/20	20 तक		2020	-21 के दौर	ज (01/04/	'2020 से 31	2020-21 के दौरान (01/04/2020 से 31/03/2021 तक)	(ф
	आन्ध्र प्रदेश	ग्देश	कर्नाटका	टका	<u>क</u>	डा	आन्ध्र प्रदेश	प्रदेश	कर्नाटका	टका	<u>छ</u>	ज्य
त्वाबवा का सवत	लाभ- भोगियों की संख्या व	नाभ- राशि नाभ- भोजियों (र्) भोजियों की संख्या नाखों में की संख्य		राशि (रै) लाखों में	ा लाभ- भोगियों में की संख्या	याशि (है) प्रबों में	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	साशि (है) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	याशि (है) लाखों में
					अनुदान							
सहज मृत्यु	5130	1668.20	2665	2244.22	11127	3912.42	586	293.00	658	329.00	1244	622.00
दुर्घटना मृत्यु	260	181.50	147	112.00	407	293.50	10	10.00	13	13.00	23	23.00
कुल अनुदान (क)	5390	1849.70	6144	2356.22	11534	4205.92	296	303.00	671	342.00	1267	645.00
	-			B	ब्याज मुक्त ऋग	अधा	_		_	_		
(क) बालिका विवाह	78	24.00	1219.00	476.50	1297	500.50	3	1.5	192	96.00	195	97.50
(ख) प्रधान वीमारी	39	14.65	63.00	18.74	102	33.39	1	0.5	3	1.50	4	2.00
(ग) बखार ऋण	2228	261.45	199.00	95.80	2427	357.25	0	0	29	12.10	29	12.10
(घ) शिक्षा ऋण	246	73.87	122.00	44.50	368	118.37	2	_	6	4.50	7	5.50
কুল সম্ঘ (স্ব)	2591	373.97	1603	635.54	4194	1009.51	9	3.00	233	114.10	239	117.10
महायोग (अनुदान + ऋ्टा)	7981	2223.67	7747	2991.76	15728	5215.43	602	306.00	904	456.10	1506	762.10

प्लौटफार्मों में नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पिधा की भावना पैदा करने, ग्रोयरों को सही भ्रुगतान तथा तम्बाकू के लिए ठीक तौलन को सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्रोयरों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बीक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा हैं।



एफसीवी तम्बाकू का ई-नीलाम

।. आन्ध्र प्रदेश में २०१९-२० एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

क) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2019-20 वित्तीय वर्ष में 17/02/2020 को प्रारंभ हुए और समापन 2020-21 वित्तीय वर्ष में दि.21/10/2020 को समाप्त हुए । नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 123.95 प्रति किलो औसतन मूल्य में कुल 128.65 मि.कि.ग्रा. विपणन हुआ था, जिसमें दि.01/04/2020 से 21/10/2020 तक याने., 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 122.84 प्रति कि.ग्रा औसत मूल्य में 124.18 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण का विपणन हुआ था। 01/04/2020 से 21/10/2020 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त ऑसत मूल्य पृष्ठ सं 65 में दिये गये।

ख) न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी):

बोर्ड की संगठित प्रयासों से, अनेक वर्षों के अन्तराल के बाद भारतीय तम्बाकू संघ ने आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 फसल मौसम से एफसीवी तम्बाकू फसल के लिए न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) देने के लिए सहमत हुई तथा घोषित की। भा तं सं द्वारा 2019-20 से 2021-22 तक घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) नीचे दिये गये:

	एफसीवी तम्बाकू के लिए एमजीआईपी					
श्रेणी	पारंपरिक मिट्टियों मे (दहमि, दकामि & उकामि) (₹/कि.)		उत्तर हलकी कर्नाटका हल्की नि	ि मिट्टी (उहिम) / नट्टी (केएलएस) (₹/कि.)		
	से	तक	से	तक		
चमकील	122.50	132.50	142.50	152.50		
मध्यम	107.50	117.50	122.50	132.50		
निम्न*	62.50	72.50	62.50	72.50		

^{* &#}x27;एनओजी' श्रेणी को अलग कर दिया गया है।

ग) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2019-20 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश केलिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था । इस के लिए अनुमानित उत्पादन 135.84 मि.कि.ग्रा. रहा था ।

फसल पैदावार के चरण (जनवरी के पहले सप्ताह) के दौरान अकाल बारिश स्थायी फसल को हानी पहुँचाया, जिसके परिणामस्वरूप कम श्रेणी आऊटटर्न याने., निम्न श्रेणी के अधिक अनुपात में उत्पादन हुआ था। दहिम & दकामि क्षेत्रों में इस अकाल बारिश का प्रभाव अधिक था। इस के साथ-साथ श्रीमक की तीव्र कमी ने उत्पादन की लागत को बढा दिया था।

घ) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 27%: 29%: 44% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 33%: 30%: 37% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये ।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना 2019-20 में नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2019-20 मौसम			2018-19 मौसम		
4171	चमकीला%	मध्य %	निम्न %	चमकीला%	मध्य%	निम्न%
उकामि	48	32	20	43	45	12
दकामि	31	19	50	18	23	59
दहिम	25	34	41	20	29	51
उहिम	42	37	21	42	36	22
समग्र	33	30	37	27	29	44

ङ) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 मौसम केलिए एकसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 5 दशाओं में नीचे दिये सारणी के अनुसार प्रारंभ हुए :

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
क्र. सं.	दशा	नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ की तारीख	क्षेत्र	नीलाम प्लैटफार्म	
	पहली	17/02/2020	दहमि क्षेत्र	नी.प्ले.सं. 22, पोदिली-I, नी.प्ले.सं. 29, डी.सी. पल्ली, नी.प्ले.सं. 35, कनिगिरी	
1	दशा	(सोमवार)	दकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. २०, ओंगोल-I, नी.प्लै.सं. २५, कोंडेपी, नी.प्लै.सं. ३१, वेल्लमपल्ली-II	
2	दूसरी दशा	26/02/2020 (बुधवार)	दहिम क्षेत्र	नी.प्लै.सं. २६, कन्दुकुरू-I, नी.प्लै.सं. २७, कन्दुकुरू-II, नी.प्लै.सं. २८, कलिगिरी	
3	तीसरी दशा	11/03/2020 (बुधवार)	दकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. २३, ओंगोल-II, नी.प्लै.सं. २४, टंगुटूर-I, नी.प्लै.सं. ३४, टंगुटूर-II	
4	चौथी दशा	19/03/2020 (शुक्रवार)	उहिम क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 17, देवरपल्ली, नी.प्लै.सं.18, जे.आर.गूडेम-I, नी.प्लै.सं. 30, कोय्यलगूडेम, नी.प्लै.सं.32, जे.आर. गूडेम-II, नी.प्लै.सं.33, गोपालपुरम	
5	पाँचवी दशा	13/05/2020 (बुधवार)	उकामि क्षेत्र	नी.प्ले.सं. 15, तोर्रेडू	

च) बाजार प्रवृत्तियाँ :

2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि.17/02/2020 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ हुए । 4.47 मि.किग्रा की बिक्री के बाद, कोविड-19 महमारी और बाद में लॉकडाऊन के कारण दि.22/03/2020 से नीलामियाँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। प्रारंभ में दि.27/04/2020 से 5 नीलाम प्लैटफार्मों में पुनः प्रारंभ हुए और दि.13/05/2020 तक अन्य सभी 13 नीलामी प्लैटफार्मों में फेजेड तरीके से पुनः प्रारंभ हो गयी।

कोविड-19 महामारी के प्रसार/संस्पर्श से बचने के लिए एफसीवी तम्बाकू की नीलामी के लिए विशिष्ट एसओपी को अपनाने के द्वारा नीलामियों को आयोजित किये गये थे ।

अप्रैल की अंतिम सप्ताह में आन्ध्र प्रदेश में नीलामियाँ पुनः प्रारंभ होने के बाद चमकीला श्रेणियों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होने पर भी दकामि और दहिम क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के लिए मूल्य में गिरावट आयी थी। विशेष रूप से निम्न श्रेणी के लिए कोई क्रेता नहीं है और अधिकांश निम्न श्रेणी बेल नीलामियों में तिरस्कृत हो गये थे। निम्न श्रेणी बेलों की अधिक तिरस्कृति प्रतिशतता की कारण ग्रोयर आंदोलन शुरू कर दिये।

छ) एपीमार्कफेड द्वारा तम्बाकू की बिक्री :

निम्न श्रेणियों के विपणन में समस्याओं को ध्यान में रखते हए, चालू नीलामियों पर दि.18/06/2020 को तम्बाकू ग्रोयरों & व्यापारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बाजार में हस्तक्षेप करने और नीलामियों में तम्बाकू को आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघलिमिटेड(एपीमार्कफेड) के द्वारा खरीदने का निर्णय लिया। तदनुसार एपीमार्कफेड ने खरीददार के रूप में बाजार में प्रवेश किया और 1 जुलाई, 2020

से नीलामियों में तम्बाकू की खरीद को शुरु कर दी है। एपीमार्कफेड द्वारा मध्यम और निम्न श्रेणियों की खरीदों के साथ, अस्वीकृत की प्रतिशतता कम हुए और नीलामियाँ सुचारू रूप से चल रहे है। मौसम के दौरान एपी मार्कफेड ने ₹81.00 प्रति किग्रा. के औसत मूल्य में कुल 12.93 मि.किग्रा. तम्बाकू खरीद लिया है।

मिट्टी क्षेत्र वार और श्रेणी वार एपीमार्कफेड की विक्रियाँ नीचे दिये थे :

मिट्टी		2020-2	21
क्षेत्र	श्रेणी	विपणित परिमाण	औसत मूल्य
		(कि.ग्रा.)	(₹/कि.ग्रा.)
	चमकीला	119.20	145.00
उकामि	मध्यम	7161.20	102.21
Odyllot	निम्न	105338.60	75.84
	कुल	112619.00	77.59
	चमकीला	132.20	156.00
उहिम	मध्यम	87399.60	118.41
Ogier	निम्न	866011.90	100.23
	कुल	953543.70	101.90
	चमकीला	257.30	140.00
दकामि	मध्यम	79059.90	129.84
ффлот	निम्न	7286846.90	78.89
	कुल	7366164.10	79.44
	चमकीला	0.00	0.00
दहिम	मध्यम	116759.20	106.49
40101	निम्न	4382503.70	78.48
	कुल	4499262.90	79.21
	चमकीला	508.70	145.33
कुल	मध्यम	290379.90	116.33
3	निम्न	12640701.10	80.19
	कुल	12931589.70	81.00

एपीमार्कफेड द्वारा मिट्टी क्षेत्र वार और विशेष श्रेणी वार क्रय विवरण पुष्ठ सं. 71 & 72 में दिये गये :

नीलाम विक्रियाँ दि.21/10/2020 को समाप्त हुए । 128.65 मि.किग्रा परिमाण को ₹ 123.95 प्रति कि.ग्रा., औसत मूल्य में विपणन हुआ था । 2019-20 मौसम के दौरान प्राप्त ₹ 123.95 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य जो पिछले वर्ष के लिए प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 2.42 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था । गुणवत्ता वाली तम्बाकू के लिए ₹ 217/- प्रति कि.ग्रा. का उच्चतम कीमत दर्ज प्राप्त हुआ था ।


2019-20 नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये हैं :

		2020 नीला	म (अंतिम)	2019 नीला	म (अंतिम)	2019 नीलाम की
मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	तुलना में 2020 के औसत मूल्य में अन्तर
उकामि	चमकीला	1.31	158.68	1.06	160.15	-1.47
(उत्तरी	मध्यम	0.87	123.57	1.12	102.64	20.93
काली	निम्न	0.56	73.77	0.31	71.01	2.76
मिट्टियाँ)	कुल	2.74	130.17	2.49	123.24	6.93
दकामि	चमकीला	13.35	173.02	7.93	168.65	4.37
(दक्षिण	मध्यम	8.49	130.97	9.73	125.10	5.87
काली	निम्न	21.88	75.57	25.58	84.78	-9.21
मिट्टियाँ)	कुल	43.73	116.09	43.24	109.24	6.85
दहिम	चमकीला	10.00	167.46	7.84	168.87	-1.41
(दक्षिण	मध्यम	13.78	130.24	11.46	136.49	-6.25
हल्की	निम्न	16.40	71.73	20.59	83.07	-11.34
मिट्टियाँ)	कुल	40.19	115.62	39.89	115.28	0.34
उहिम	चमकीला	17.84	170.72	16.15	172.10	-1.38
(उत्तरी	मध्यम	15.36	142.58	13.87	140.86	1.72
हल्की	निम्न	8.80	71.87	8.44	85.10	-13.23
मिट्टियाँ)	कुल	41.99	139.71	38.46	141.74	-2.03
सभी	चमकीला	42.50	170.31	32.98	170.12	0.19
मिट्टी	मध्यम	38.50	135.17	36.19	134.05	1.12
क्षेत्र	निम्न	47.65	73.54	54.92	84.11	-10.57
	कुल	128.65	123.95	124.09	121.53	2.42

ज) क्रेता निष्पादन :

2020 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 60 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये :

		2020 नीलामियाँ			2019 नीलामियाँ		
क्र. सं.	क्रेता संवर्ग	परिमाण	%	औसत	परिमाण	%	औसत
સ.		(मि. कि.ग्रा)	शेयर	मूल्य (₹/कि.ग्रा)	(मि.कि.ग्रा)	शेयर	मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	67.21	52.25	140.02	67.37	54.29	129.53
2	निर्यातक	40.18	31.22	118.01	45.73	36.85	112.93
3	डीलर	21.26	16.53	84.38	10.99	8.86	108.33
	कुल	128.65	100.00	123.95	124.09	100.00	121.53



2019-20 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदें निम्नानुसार रहे हैं :

कुल मिलाकर पिछले वर्ष में रहे 135 दिनों के लिए 175 नीलाम दिनों में नीलामियाँ समाप्त हुए ।

झ) कुल विपणित मूल्य :

क्रेताओं द्वारा २०१९-२० आन्ध्र प्रदेश फसल के दौरान क्रयित तम्बाकू के कुल मूल्य ₹ 1,594.57 करोड था ।

ङ) आधिक्य एवं अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए ग्रोयरों को अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 2121 (ई) & 2122 (ई), दि.26 जून, 2020 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 5% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर अनुमति और पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री के लिए अनुमति तथा प्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रति अप्राधिकृत ग्रोयर, जो 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया था, को भी 10% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमित दी ।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा विक्रित अधिक्य तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्रोयरों द्वारा विक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू परिमाण विवरण निम्ननुसार रहे हैं :

क्र सं	ग्रोयरों का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	19,012	93,96,097.6	76.40
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	6	4,478.0	66.56

॥. कर्नाटका में २०१९-२० एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ दो वित्तीय वर्षों में समय का विस्तार हुआ था । 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ वित्तीय वर्ष 2019-20 को याने., 16/09/2019 को प्रारंभ हुआ था और वित्तीय वर्ष में याने., 2020-21 को समाप्त हुआ था । 2020-21 वित्तीय वर्ष को याने., 01/04/2020 से 09/06/2020 तक अविध के दौरान ₹ 87.79 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में कुल 4.07 मि.कि.ग्रा. पिरमाण का विपणन हुआ था । 01/04/2020 से 09/06/2020 के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित पिरमाण और औसत मूल्य पृष्ठ सं. 66 में दिये गये :

कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलाम बिक्रियाँ अधिकतर एक ही वित्तीय वर्ष में समापन होंगे । लेकिन कोविड-१९ महामारी के कारण नीलामियाँ 22/03/2020 से 20/05/2020 तक स्थिगत कर दिये गये थे के कारण 09/06/2020 तक नीलाम बिक्रियाँ बढाये गये ।

III. कर्नाटका में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

बोर्ड ने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मॉंग और आपूर्ति की स्थित को देखते हुए कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के लिए 88 मिलियन कि.ग्रा. एफसीवी तम्बाकू के लिए फसल परिमाण को तथ किया है । इस मौसम में 88 मि.कि.ग्रा लक्षित फसल परिमाण केलिए केवल 100.41 मि.कि.ग्रा. का उत्पादन अनुमानित था । प्रारंभ में 99 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया था और विश्व में कोविड-19 महमारी के परिमाण स्वरूप पूर्वानुमानित कमी आभा माँगा को दृष्टि में रखते हुए 88 मि.कि.ग्रा. तक कम किया गया था ।

ख) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पिछले वर्ष रहे 14% : 44% : 42% की तुलना में 2020-21 फसल के लिए 15% : 41% : 44% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

ग) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

नीलामियाँ दो दशाओं में प्रारंभ हुए थे। 2020-21 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए प्रथम दशा में नीलामियाँ दो नीलाम प्लैटफार्मों में याने., चिलकुन्दा और पेरियपट्ना-॥ में दि.30/09/2020 को प्रारंभ हुआ था और दूसरी दशा में नीलामियाँ कर्नाटका के बाकी 09 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 07/10/2020 को प्रारंभ हुए थे।

घ) बाजार प्रवृत्तियाँ :


कुल 88.42 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था और औसत मूल्य ₹119.87 प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुई । वर्तमान मौसम के लिए प्राप्त औसत मूल्य ₹119.87, जो पिछले वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹4.19 प्रति कि.ग्रा. कम रहा था । गुणवत्ता वाली तम्बाकू के लिए उच्चतम मूल्य ₹ 264/- प्रति कि.ग्रा. दर्ज हुआ था और यह मूल्य भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में रिकार्ड उच्चतम मूल्य रहा था ।


चालू फसल मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू के विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये थे :

	2020 व		नीलाम 2019		ी लाम	2019 नीलाम की
क्र. सं.	श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	तुलना में 2020 के औसत मूल्य में अन्तर
1	चमकीला	13.49	182.77	14.60	175.22	+ 7.55
2	मध्य	35.81	138.76	46.44	139.82	- 1.06
3	निम्न	39.12	80.88	45.14	91.29	- 10.41
	कुल	88.42	119.87	106.18	124.06	- 4.19

- पैदावार समय के दौरान अनियमित वर्षा के कारण मध्यम और निम्न श्रेणी तम्बाकू का अधिक अनुपात में उत्पादन हुआ था ।
- इस मौसम के दौरान, चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन क्रमशः 15%, 41%, 44% रहा था ।
- निम्न श्रेणी उत्पादन की अधिक प्रतिशत की स्थिति किसानों को औसत मूल्य प्राप्त पर नकारात्मक प्रभाव पडा था ।
- आधिक्य प्राधिकृत और अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए नवंबर महीने में ही अनुमित दिये गये । इससे अप्राधिकृत ग्रोयर अपने तम्बाकू को लंबे समय स्टोरेज के दौरान होने वाली गुणवत्ता के नुकसान से बचने में सक्षम बनाया ।

2020-21 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदी नीचे दिये गये हैं।





ङ) पिछले 10 वर्षों के लिए कर्नाटका नीलामियों में ग्रोयरों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य :

नीलाम विक्रियाँ पिछले वर्ष की 160 नीलाम दिनों की तुलना में 135 नीलाम दिनों में 22/03/2021 को समाप्त हुई।

च) खरीददार का निष्पादन :

चालू नीलाम मौसम के दौरान निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा किये क्रय विवरण निम्नानुसार

हैं	:
-	

क्र. सं.	संवर्ग	क्रयित परिमाण (कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1.	निर्माणकर्ता	48.73	55.12	126.79
2.	निर्यातक	34.93	39.50	111.02
3.	डीलर	4.76	5.38	113.89
	कुल	88.42	100.00	119.87

2020-21 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शानेवाले विवरण पुष्ठ सं. **68** में दिये गये ।

छ) आधिक्य फसल एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्रोयरों को अनुमित :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 4209 (ई) & 4210 (ई), दि. 25 नवंबर, 2020 द्वारा कर्नाटका राज्य में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 5% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर अनुमति और पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्रोयर, जो 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन किया था, को भी 10% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क को भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमित दी।

कर्नाटका में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा विक्रित आधिक्य तम्बाकू परिमाण और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा विक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र सं	ग्रोयरों का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	17,795	8.36	92.88
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	12,537	11.87	101.08

IV. आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 115 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है। इस के लिए 109.63 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन होने का अनुमान है ।

इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश के किसानों ने पिछले वर्ष की तुलना में 14,291 है. (18%) में प्लानटेशन को कम किया। रोपण के समय में चक्रवातों के कारण पूरे राज्य में ट्रान्सप्लानटेशन में देरी हुई । 10,000 हेक्टार क्षेत्र 'निवार' चक्रवात के कारण डामेज हुई । देरी से रोपित फसल के कारण दहिम & दकामि क्षेत्रों में पैदावार में भारी कमी आई। फिर भी, फसल की गुणवत्ता अच्छी रही और अधिक चमकीला श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन हुआ था ।

फसल उत्पादन में छोटे परिमाण और कर्मचारियों की तीव्र कमी के कारण अनिवार्य सेवाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से वितरित करने में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, इस मौसम के लिए थोर्रेंडू & टंगुटूर-II नीलाम प्लैटफार्मों में प्रचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था । थोर्रेंडू नीलाम प्लैटफार्म को देवरपल्ली नीलाम प्लैटफार्म के साथ मिला दिया गया और टंगुटूर-II नीलाम प्लैटफार्म के अधिकार क्षेत्र को दकामि क्षेत्र के अंतर्गत अन्य नीलाम प्लैटफार्मों को समायोजित किया गया था । पिछले वर्ष में संचालित 18 नीलाम प्लैटफार्मों में से 2020-21 नीलाम मौसम के दौरान 16 नीलाम प्लैटफार्म संचालन में हैं ।

इस वर्ष के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)
1	दकामि क्षेत्र	37.20	36.98
2	दहिम क्षेत्र	34.14	32.25
4	उहिम क्षेत्र	43.66	40.40
	महा योग	115.00	109.63

नोट : उकामि क्षेत्र में 3 मि.कि.ग्रा लक्षित फसल और 2.5 मि.कि.ग्रा. आकालित उत्पादन उहिम क्षेत्र में शामिल है।

2019-20 फसल की तुलना में 2020-21 फसल में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी की प्रतिशतता का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्षेत्र	202	20-21 मौसम	•	20	19-20 मौसम	•
জাস	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %
द का मि	53	27	20	31	19	50
द ह मि	59	23	18	25	34	41
उह मि	54	32	14	42	37	21
कुल	55	28	17	33	30	37


ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

ग्रोयरों, भातंसं & व्यापार प्रतिनिधियों की सर्वसम्मित के अनुसार नीलामियाँ 2 दशाओं में प्रारंभ हुए । पहली दशा में नीलामियाँ दहिम & दकामि क्षेत्रों में सभी 11 नीलामी प्लैटफार्मों में दि.15/03/2021 को और 2वीं दशा में नीलामियाँ उहिम क्षेत्र के सभी 5 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.24/03/2021 को प्रारंभ हुए । नीलामियों को कोविड-19 महमारी के प्रसार/संस्पर्श से बचने के लिए एसओपी को अपनाने के द्वारा नीलामियों को आयोजित किये गये थे।

ग) परिमाण और मूल्य :

नीलामियाँ सभी नीलाम प्लैटफार्मों में दकामि क्षेत्र में गुणवत्ता तम्बाकू के लिए ₹ 183/- प्रति किलो, दहिम क्षेत्र में ₹ 180/- प्रति कि.ग्रा. और उहिम क्षेत्र में ₹ 185/- प्रति कि.ग्रा. के उच्चतम मूल्य के सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए । दि.31/03/2021 तक ₹ 173.98 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 5.35 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था । 2020-21 नीलामियों के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 173.98 प्रति किलो, जो अनुरूप मात्रा विपणन के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 19.53 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था ।

मिट्टी क्षेत्र	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	प्राप्त और (₹ /िक		पिछले वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अंतर
	2020-21	2020-21	2019-20	मूख म अतर (₹/कि.ग्रा.)
दकामि	2.41	173.06	154.64	+ 18.42
दहिम	2.55	175.05	152.38	+ 22.67
उहिम	0.39	172.68	166.38	+ 6.30
कुल	5.35	173.98	154.45	+ 19.53



2011 से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में ग्रोयरों को प्राप्त औसत मूल्य

(दि. 31/03/2021 तक)

घ) दि. 31/03/2021 तक चमकीला, माध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य निम्नानुसार है
--

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
चमकीला	4.71	87.93	175.57
माध्यम	0.64	12.03	162.50
निम्न	0.002	0.04	135.16
कुल	5.35	100.00	173.98

दि. 31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड पृष्ठ सं. ६७ में दिये गये।

v) 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफार्मीं में दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण २२२.०२ मि.कि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ १२२.२५ प्रति कि.ग्राम रहा था । विवरण पृष्ठ सं. ६५ & ६६ में दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में दि.01/04/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि के दौरान निर्माणकर्ता, निर्यातक और डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और प्रदत्त औसत मूल्य के विवरण पृष्ठ सं. 69 & 70 में दिये गये ।

01/04/2020 से 31/03/2021 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण

		2020 आन्ध्र प्रदेश				कुल विपणित	
豖.	नीलाम प्लैटफार्म	01/04/2020 से 2 ਕਰਮਿ के ਟੀਸ਼ਰ ਗਿ		15/03/2021 से 3 अवधि के दौरान विप		01/04/2020 से 3 अवधि के व	I
सं.	का नाम			विपणित परिमाण			_
		(कि.ग्रा.)	(₹/कि.ग्रा.)		(₹/कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(₹/कि.ग्रा.)
I.	आन्ध्र प्रदेश						
1	तोर्रेडू	2733178.8	130.17	0.0	0.00	2733178.8	130.17
	कुल (उकामि)	2733178.8	130.17	0.0	0.0	2733178.8	130.17
2	वेल्लमपल्ली-II	7634127.1	115.43	291355.5	171.37	7925482.6	117.49
3	ओंगोल-I	7888930.8	119.24	648844.4	173.16	8537775.2	123.34
4	ओंगोल-II	7614055.5	119.39	353560.1	174.29	7967615.6	121.83
5	टंगुटूर-I	5655707.3	116.26	544654.9	172.73	6200362.2	121.22
6	टंगुटूर-II	5144702.9	109.32	0.0	0.00	5144702.9	109.32
7	कोंडेपी	7797336.0	104.27	574887.5	173.37	8372223.5	109.01
	कुल (दकामि)	41734859.6	114.15	2413302.4	173.06	44148162.0	117.37
8	पोदिली-I	8800123.9	101.49	523835.4	172.20	9323959.3	105.46
9	कन्दुकुरू-I	8598416.8	120.35	645318.1	175.81	9243734.9	124.22
10	कन्दुकुरू-II	7051403.2	120.35	397586.4	176.37	7448989.6	123.34
11	कनिगिरी	4099798.3	105.46	354120.5	175.16	4453918.8	111.00
12	कलिगिरी	4031154.3	118.37	175054.8	175.81	4206209.1	120.76
13	डी.सी. पल्ली	5204906.7	113.99	453758.3	175.70	5658665.0	118.94
	कुल (दहिम)	37785803.2	113.25	2549673.5	175.05	40335476.7	117.16
14	देवरपल्ली	6518581.5	144.60	57167.1	172.22	6575748.6	144.84
15	जे.आर. गूडेम-I	9381471.2	133.92	61190.9	171.55	9442662.1	134.16
16	जे.आर. गूडेम-II	9621866.3	139.34	142195.4	174.23	9764061.7	139.85
17	कोय्यलगूडेम	9637011.1	136.33	79865.1	170.46	9716876.2	136.61
18	गोपालपुरम	6764066.6	148.08	51438.7	173.71	6815505.3	148.27
	कुल (उहिम)	41922996.7	139.66	391857.2	172.68	42314853.9	139.97
	उप कुल	124176838.3	122.84	5354833.1	173.98	129531671.4	124.96

01/04/2020 से 31/03/2021 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण

		२०१९ कर्नाटका		२०२० कर्नाटका		कुल विपणित	
_	नीलाम प्लैटफार्म	01/04/2020 से 0		30/09/2020 से 2		01/04/2020 से 3	
क्र. इं		अवधि के दौरान विप	गणित परिमाण	अवधि के दौरान विष	पणित परिमाण	अवधि के व	ौरान
सं.	का नाम	विपणित परिमाण	औसत मूल्य	विपणित परिमाण	औसत मूल्य	विपणित परिमाण	औसत मूल्य
		(कि.ग्रा.)	(₹/कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(₹/कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(₹/कि.ग्रा.)
H.	कर्नाटका						
1	एच.डी. कोटे-ा	0	0	6652041.7	115.30	6652041.7	115.30
2	हुन्सूर-I	0	0	7333517.0	122.70	7333517.0	122.70
3	हुन्सूर-॥	0	0	6480308.4	119.20	6480308.4	119.20
4	हुन्सूर-III	0	0	6361710.0	122.17	6361710.0	122.17
5	कंपलापुरा	0	0	8278541.8	118.96	8278541.8	118.96
6	चिलकुंदा	851973.5	90.21	9660923.4	121.33	10512896.9	118.81
7	पेरियपट्ना-I	1047812.8	87.53	8367075.5	119.74	9414888.3	116.16
8	पेरियपट्ना-II	1020416.8	87.83	10707546.6	123.75	11727963.4	120.62
9	पेरियपट्ना-III	1147193.3	86.18	8748920.4	120.29	9896113.7	116.34
10	रामनाथपुरा-1	0	0	8340251.6	117.27	8340251.6	117.27
11	रामनाथपुरा-11	0	0	7494022.9	115.92	7494022.9	115.92
	उप कुल	4067396.4	87.79	88424859.3	119.87	92492255.7	118.46
महा	योग (आं.प्र. & क.)	128244234.7	121.73	93779692.4	122.96	222023927.1	122.25

2021 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2021 तक नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्ततम बोली (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	वेल्लमपल्ली-11	31	6.90	6.70	15.03.2021	2151	183.00	291355.5	49929592.04	171.37
2	ओंगोल-I	20	7.67	8.64	15.03.2021	4908	183.00	648844.4	112353896.30	173.16
3	ओंगोल-॥	23	6.61	5.74	15.03.2021	2695	183.00	353560.1	61621989.83	174.29
4	टंगुदूर-I	24	8.07	8.40	15.03.2021	4213	183.00	544654.9	94078240.88	172.73
5	कोंडेपी	25	7.95	7.50	15.03.2021	4475	181.00	574887.5	99668245.88	173.37
	कुल (दकामि)		37.20	36.98		18442	183.00	2413302.4	417646113.34	173.06
6	पोदिली-I	22	8.08	7.10	15.03.2021	3943	181.00	523835.4	90204455.88	172.20
7	कन्दुकुरू-I	26	7.04	7.80	15.03.2021	5059	183.00	645318.1	113453375.16	175.81
8	कन्दुकुरू-॥	27	6.04	6.44	15.03.2021	3041	182.00	397586.4	70122313.37	176.37
9	कनिगिरि	35	3.79	3.01	15.03.2021	2667	181.00	354120.5	62027746.78	175.16
10	कलिगिरि	28	4.01	3.10	15.03.2021	1371	181.00	175054.8	30776384.39	175.81
11	डी.सी. पल्ली	29	5.18	4.80	15.03.2021	3414	181.00	453758.3	79725333.31	175.70
	कुल (दहमि)		34.14	32.25		19495	183.00	2549673.5	446320346.18	175.05
12	देवरपल्ली	17	9.47	8.20	24.03.2021	411	185.00	57167.1	9845317.96	172.22
13	जे.आर.गूडेम-ा	18	8.45	8.10	24.03.2021	466	185.00	61190.9	10497298.90	171.55
14	जे.आर.गूडेम-II	32	8.74	7.50	24.03.2021	1098	185.00	142195.4	24774704.54	174.23
15	कोय्यलगूडेम	30	8.48	8.60	24.03.2021	594	185.00	79865.1	13613804.95	170.46
16	गोपालपुरम	33	8.52	8.00	24.03.2021	380	185.00	51438.7	8935416.58	173.71
3	कुल (उहिम)		43.66	40.40	24.03.2021	2949	185.00	391857.2	67665901.30	172.68
	महा योग		115.00	109.63		40886	185.00	5354833.1	931633862.74	173.98

2020 कर्नाटका नीलाम - दि.31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण

										,
ंसॱ <i>.</i> अ	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	ंसः यो जे	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दज किय उत्ततम बोली (र/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (ह)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
_	एच.डी. कोटे-I	_	7.85	8.15	07.10.2020	70211	260.00	6652041.7	766980408.01	115.30
2	दुन्सर-।	2	6.31	8.33	07.10.2020	76884	262.00	7333517.0	899822535.90	122.70
3	द्वन्सूर-॥	3	6.20	7.85	07.10.2020	68459	259.00	6480308.4	772452761.28	119.20
4	हुन्सूर-!!!	64	5.35	6.40	07.10.2020	67894	261.00	6361710.0	777210110.70	122.17
2	कंपलापुरा	61	6.64	8.49	07.10.2020	87807	263.00	8278541.8	984815332.53	118.96
9	चिलकुंदा	62	9.35	10.80	30.09.2020	103295	262.00	9660923.4	1172159836.12	121.33
7	पेरियपट्ना-I	4	10.55	10.57	07.10.2020	82988	262.00	8367075.5	1001873620.37	119.74
8	पेरियपट्ना-II	2	9.85	11.80	30.09.2020	108142	261.00	10707546.6	1325058891.75	123.75
6	पेरियपट्ना-III	9	9.13	10.11	07.10.2020	88048	264.00	8748920.4	1052407634.91	120.29
10	रामनाथपुरा-I	7	9.25	9.87	07.10.2020	87487	262.00	8340251.6	978061305.13	117.27
7	रामनाथपुरा-II	63	7.52	8.04	07.10.2020	29006	261.00	7494022.9	868707134.57	115.92
	महा योग		88.00	100.41		923221	264.00	88424859.3	10599549571.28	119.87

दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार क्रय विवरण

2020 1 वाक में मित प्रेट 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69			2019-20 आं.प्र. फसल	आं.प्र. फ	स्रव	2020-21 आं.प्र. फसल	आं.प्र. फ)सल	2019-20 कर्नाटका फसल	नटिका प	प्रसल	2020-21 कर्नाटका फसल	न्टिका प	फस ल	เชา	स्त्र स्व	
<u>प्रकार का का का क्रिक्स के द्वाप का का क्रिक्स के स्वर्धिक को क्रिक्स कि कि का क्रिक्स के स्वर्धिक को क्रिक्स कि कि का क्रिक्स के स्वर्धिक को क्रिक्स कि कि का क्रिक्स के स्वर्धिक का क्रिक्स के स्वर्ध के स्वर्धिक का क्रिक्स के स्वर्ध के स्वर क</u>	18		屠. 01/0	04/2020	ক	दि. 15/0	13/2021	₩	席. 01/0	14/2020	₹ 5	दि. 30/0	9/2020	₩	(席. 01/6)4/2020	你」
प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्व प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्व प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्व प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्व प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वत्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्तित्वे प्रिक्त	·F		21/10/	2020 ਜਥ		31/03/.	2021 ਜਫ		./90/60	2020 ਜਥ		22/03/2	2021 ਕਥ		31/03/2	021 तक	_
महि सिमिरेड (53366475 137.93 4459 2743678 172.28 10.2 277588 82.06 6.82 7503675.7 126.58 46.63 1000555815 133.91 136.9	5		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत. दर (रॅ/कि.ग्रा)		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर रॅ/कि.ग्रा)		परिमाण (मि.कि.ग्रा)				औसत. दर (रॅ/कि.ग्रा)			औसत.दर (रॅ/कि.ग्रा)	% हिस्सा
होसी सिमिटेड	नु	र्गणकर्ता															
政制 (日間 大き) (389 (149.3) (387 (149.3) (38.4) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.2853751.7) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (1.28 (1.28) (3.285751.7) (3.285751.7) (3.285751.7) (3.285751.7) (3.285751.7) (3.28 (1.28)	<u></u>	आईटीसी लिमिटेड	55366475.8		44.59	2743678.8	172.28	51.24	713565.5	95.99	17.54	41231861.4	126.58	46.63	100055581.5		43.56
श्री हि सोमधुंदरम 154548608 130.37 12.45 3285751.7 172.87 613.86 991153.5 920.9 24.36 48735537.1 126.79 55.12 116910871.8 134.66 श्रीहि सोमधुंदरम 15454860.8 130.37 12.45 320877.4 179.23 5.99 811874.8 95.65 19.96 8665410.10 12.15 9.80 25253023.30 12.68 ल्ला तक्वाकु से. सि. 3521865.2 92.63 2.84 179.32 2.31 199129.4 60.90 4.90 3349570.80 104.05 3.79 1794013.40 98.56 सर बोको 4640380.17 15.18 3.74 9092719 174.30 16.98 74.05 13.94 4.90 3349570.80 104.05 3.79 7194013.40 98.56 सर बोको 10.2020.1 15.32 0.97 3249.3 158.4 0.06 571199.0 73.58 14.04 3943934.40 6.30 4.46 5724582.30 6.210 सम्प संग्रिकेट अंग्रिके अर	7	जीपीआई लिमिटेड	8531953.7	149.03	6.87			10.12	277588	82.06	6.82	7503675.7	127.96	8.49	16855290.3	139.41	7.34
154548608 130.37 12.45 320877.4 179.23 5.99 811874.8 95.65 19.96 8665410.10 121.56 9.80 25253023.10 126.85 19.86 231		उप-कुल	63898429.5	139.41		285751.7		61.36	991153.5	92.09	24.36	48735537.1	126.79	55.12	116910871.8		50.89
प्रिलिशोह सोमसुंदरम 15454808 130.37 12.45 370877.4 179.23 5.99 8118748 95.65 19.96 8665410.10 12.15.6 980 25253023.0 126.85 विकरनन तम्बाकु कं. यूप 6027635.4 99.74 4.85 3019203 173.94 5.64 5.0814.8 74.75 12.80 11241700.20 131.01 12.71 18092070.70 119.69 प्रिलिग्टन्स वन इं. लि. 3521865.2 92.63 2.84 1234480 179.32 2.31 199129.4 60.90 4.90 3349570.80 104.05 3.79 7194013.40 98.56 मिहमुष्टि एयो प्रोडक्स्य ए.प्रा.लिनिट्ड (आ.) 155.18 3.74 909271.9 174.10 16.98 74225 70.97 1.82 1813662.00 130.66 6.3.09 4.46 5724582.80 6.2.10 प्रा. लिनिट्ड (आ.) 147.41 1.14 6.2895.3 179.94 1.17 276433.4 109.32 6.80 2346572.90 100.49 9.357 0.31 1119465.50 86.51 मिहमुष्टि अपलिन्ट (आ.) 147.41 1.14 6.2895.3 175.20 0.18 2.4258.6 113.53 2.90 276334.90 93.57 0.31 1119465.50 86.51 विकर सरतान साहेब विकर सर्वाच साहेब विकर सरतान साहेब विकर सर्वाच साहेब विकर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्व	框	र्यातक												•			
स्परकान तस्ताक् कं. भूप 6027635.4 99.74 4.85 3019203 173.94 5.64 520814.8 74.75 12.80 112.17 12.07 12.07 119.69 पिलिएन्स वन इं. लि. 3521865.2 92.63 2.84 123448.0 179.32 2.31 199129.4 60.90 4.90 3349570.80 104.05 3.79 7194013.40 98.56 पिलिएन्स वन इं. लि. 3521865.2 92.63 2.84 123448.0 179.32 2.31 199129.4 60.90 4.90 3349570.80 104.05 3.79 7194013.40 98.56 पिलिएन्स वन इं. लि. 3521865.2 92.63 2.84 123448.0 179.3 2.34 179.0 179.3 188.42 0.06 571199.0 73.58 14.04 3943934.4 63.04 4.46 5724582.80 62.10 प्रात्तिमंदेद आर.) मोहस्माद द्रोगा प्राप्तिमंदेद आर.) मोहस्माद द्रोगा प्राप्तिमंदेद आर.) मोहस्माद द्रोगा प्राप्तिमंदेद आर. विविध्य प्राप्तिमंदित प्राप्तिमंदित स्राहेत्व श्री हत्य प्राप्तिमंदित स्राहेत्व	3	पोलिशेट्टि सोमसुंदरम	15454860.8	130.37	12.45		179.23	5.99	811874.8	95.65	19.96			9.80	25253023.10		10.99
पिलिएक्स वन इं. लि. 3521865.2 92.63 2.84 1234480 179.32 2.31 199129.4 60.90 4.90 349570.80 104.05 3.79 7194013.40 98.56 मिलिक्स वन इं. लि. 3521865.2 92.63 3.74 909271.9 174.10 16.98 74222.5 70.97 1.82 1813662.00 130.66 2.05 7437518.10 150.67 पिलिक्स व्योधान्यर व्योधा प्रोडक्ट्स रि. 1206200.1 53.32 0.97 3249.3 158.42 0.06 571199.0 73.58 14.04 3943934.40 63.04 4.46 5724582.80 62.10 मिलिक्स व्योधान्यर व्योधान्य व्योधान्यर व्योधान्यर व्योधान्य व्योधान्यर व्योधान्य व्याधान्य व्	4	दक्कन तम्बाकू कं. गूप	6027635.4	99.74	4.85	301920.3	173.94	5.64	520814.8	74.75	12.80	11241700.20	131.01		18092070.70	119.69	7.88
भीनियर द्रबोकी 4640361.7 155.18 3.74 909271.9 174.10 16.98 74222.5 70.97 1.82 18362.00 130.66 2.05 7437518.10 150.67 भानियर द्रबोकी प्रा. लिमिटेड (आर) 53.32 0.97 3249.3 158.42 0.06 571199.0 73.58 14.04 3943934.40 63.04 4.46 5724582.80 62.10 भार लिमिटेड (आर) अ. (अ.) 3249.3 179.94 1.17 276433.4 109.32 6.80 2346572.90 100.49 2.65 4106834.70 118.54 म्रालिनेवड (आर) अ. (अ.) 1.85 1.86 9496.5 175.20 0.18 2.06 276334.90 93.57 0.01 318610.20 118.75 प्रालिनेवड (अ.) अ. (अ.) 1.85 1.86 9496.5 175.20 0.18 2.06 276334.90 93.57 0.31 1119465.50 86.61 प्रालिक मस्तानेव (अ.) 6.80 0.55 2.80 2.813409.90 42.85 0.32 970871.90 55.48 <th>2</th> <th>.lvi,</th> <th>3521865.2</th> <th>92.63</th> <th>2.84</th> <th></th> <th>179.32</th> <th>2.31</th> <th>199129.4</th> <th>06.09</th> <th>4.90</th> <th>3349570.80</th> <th>104.05</th> <th>3.79</th> <th>7194013.40</th> <th>98.56</th> <th>3.13</th>	2	.lvi,	3521865.2	92.63	2.84		179.32	2.31	199129.4	06.09	4.90	3349570.80	104.05	3.79	7194013.40	98.56	3.13
मिहुपछी एगो प्रोडक्ट्स 1206200.1 53.32 0.97 3249.3 158.42 0.06 571199.0 73.58 14.04 3943934.40 63.04 4.46 5724582.80 62.10 प्रा. लिमिटेड (आर.) प्रा. लिमिटेड (आर.) 1.14 62895.3 179.94 1.17 276433.4 109.32 6.80 2346572.90 100.49 2.65 4106834.70 118.54 प्रगति दोवेको ट्रेडर्स इं. 2304855.1 118.52 1.86 9496.5 175.20 0.18 2.90 276334.90 93.57 0.03 118.54 18.54 18.54 18.55 18.54 18.54 18.55 18.54 18.54 18.55 18.55 18.54 18.55	9	प्रीमियर दुबोको	4640361.7	155.18	3.74	909271.9		16.98	74222.5	70.97	1.82	1813662.00	130.66	2.05	7437518.10	150.67	3.24
मोहम्मद एं.प्रा.िलिमेटेड 1420933.1 1.14 62895.3 179.94 1.17 276433.4 109.32 6.80 2346572.90 100.49 2.65 4106834.70 118.54 प्रणित टोबेको ट्रेडर्स इं. 2304855.1 118.52 1.86 9496.5 175.20 0.18 276433.4 109.32 6.80 2346572.90 100.49 2.65 4106834.70 118.75 मिहपछी अगदिनारायण 725076.1 79.57 0.58 28.34 118054.5 113.53 2.90 276334.90 93.57 0.31 1119465.50 86.61 प्रे.प्र.िलिमेटेड केक मस्तान साहेब 687462.0 60.69 0.55 283409.90 42.85 0.32 970871.90 55.48	7	मिट्टपल्ली एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड (आर)	1206200.1	53.32			158.42	90:0	571199.0	73.58	14.04	3943934.40		4.46	5724582.80		2.49
प्रणित टोबेको ट्रेडर्स इं.2304855.1118.521.869496.5175.200.18118054.5113.532.90276334.9093.570.311119465.50118.75पेट.प्र.िलिमेटेडपेट.प्र.िलिमेटेडपेट.प्र.िलिमेटेडकेक मस्तान साहेब687462.060.690.559.559.559.032970871.9055.48	∞	मोहम्मद एं.प्रा.लिमिटेड	1420933.1	147.41	1.14		179.94	1.17	276433.4	109.32	08.9	2346572.90	100.49	2.65	4106834.70	118.54	1.79
मिड्पाड़ी आदिनारायण725076.179.570.580.58118054.5113.532.90276334.9093.570.311119465.5086.61एं.प्र.ितिमेटेडपे.प्र.ितिमेटेडपे.प्र.ितिमेटेडकेक मस्तान साहेब687462.060.690.559.559.05970871.9055.48	6	प्रगति टोबेको ट्रेडर्स इं.	2304855.1	118.52	1.86		175.20	0.18				4258.60		0.00	2318610.20	118.75	1.01
षेक मस्तान साहेब 687462.0 60.69 0.55 0.35 970871.90 55.48	10		725076.1	79.57	0.58				118054.5	113.53	2.90	276334.90	93.57	0.31	1119465.50		0.49
	=	षेक मस्तान साहेब टोवेको	687462.0	69.09	0.55							283409.90	42.85	0.32	970871.90	55.48	0.42

दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार क्रय विवरण

		2019-20 आं.ਸ.	आं.प्र. फ	फसल	2020-21 зп. я.	आं.प्र. फ	फसल	2019-20 कर्नाटका फसल	क क्य	सल	2020-21 कर्नाटका फसल	निटका प	फसल	<u>ক</u>	ब्र	
l€ , .	क्रेता का नाम	屠. 01/0 21/10/	尾. 01/04/2020	<u>م</u>	屠. 15/ 31/03/	दि. 15/03/2021 से 31/03/2021 तक	ر در به	दि. 01/04/2020 से 09/06/2020 तक	/2020 ਵੇ)20 ਰक	4-	दि. 30/09/2020 से 22/03/2021 तक	दे. 30/09/2020 डे 22/03/2021 तक	本。	(ਫ . 01/04/2020	4/2020 3	4 5 –
ਯ		परिमाण औसत.दर % (मि.कि.ग्रा) (र्रिक.ग्रा) हिस्सा	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)		परिमाण औसत.दर (मि.कि.ग्रा)(रिकि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण औसत.दर (मि.कि.ग्रा) (र/कि.ग्रा)	+	% हिस्सा (परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (र/कि.ग्रा)	% हेस्सा	परिमाण अ (मि.कि.ग्रा) (र	औसत.दर (रॅ/कि.ग्रा)	% हिस्सा
12	एम.एल. 🎖 कं. ग्रूप	742388.3	83.06	09.0							804106.90	76.14	0.91	1546495.20	79.46	19.0
13	यालीगङ्घा एक्सपोर्टस	1132287.2	100.53	0.91	951.3	154.91	0.02	67829.9	74.10	1.67	184646.90	152.38	0.21	1385715.30 106.18	106.18	09:0
14	वाणी टोबाकोस							62563.5	49.63	1.54	73189.90	137.78	0.08	135753.40	97.17	90:0
15	तेजा टोबाको ट्रेडर्स	402679.6	80.00	0.32							239758.40	55.01	0.27	642438.00	79.07	0.28
16	अविनाश टोबेकोस	393027.1	139.29	0.32							84988.80	143.50	0.10	478015.90 140.04	40.04	0.21
17	कार्टेल टोबाको										419488.60	34.34	0.47	419488.60	34.34	0.18
18	पांचजन्या टोबेकोस	6131.1	186.80	00.00							14540.90	129.51	0.02	20672.00 146.50	146.50	0.01
19	प्रपल्षा आग्रोस लिमिटेड	53839.1	80.90	0.04							67740.80	58.30	0.08	121579.90	68.31	0.05
20	हमिद एक्सपोर्टस										224736.50	39.13	0.25	224736.50	39.13	0.10
21	मोडल राज एक्सपोर्टस										67874.80	144.02	80.0	67874.80 144.02	144.02	0.03
22	प्रकाशम एंटरप्रैजेस				91305.7	177.08	1.71				509646.10	127.51	0.58	600951.80 135.04	35.04	0.26
23	एम.के. ट्रेडिंग										315978.50	47.57	0.36	315978.50	47.57	0.14
24	के.के. मोहन				17804.0	165.41	0.33							17804.00	165.41	0.01
25	के.आर. ४ कं.	197236.3	41.14	0.16										197236.30	41.14	0.09
26	वेंकट साई टोबाको कं.	377479.6	34.20	0.30										377479.60	34.20	0.16
	उप कुल	39294317.8	117.01	31.63	1841219.7	175.55	34.39	2702121.8	84.29	66.43	34931550.9	111.02	39.50	78769210.20	114.60	34.29
	अन्य (डीलर)	20984091.0	83.31 16.91	16.91	227861.7	177.25	4.25	374121.1 101.63	01.63	9.21	4757771.3	113.89	5.38	26343845.10	89.91	14.82
	कुल योग	124176838.3	122.84	100	5354833.1	173.98	100	4067396.4	87.79	100	88424859.3 119.87	119.87	100	222023927.10 122.25		100.00
									-							

2019-20 आ.प्र. नीलाम - एपीमार्कफेड द्वारा श्रेणीवार & मिट्टी क्षेत्र वार क्रय विवरण

	दहिम		दक	ामि	उह	मि	उक	ामि	सभी	क्षेत्र
श्रेणी	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)								
बीजीएस	44.7	85.00							44.7	85.00
वीएमजी	32282.3	85.22							32282.3	85.22
बीएमजीएस	80.8	85.00							80.8	85.00
बीपीएल	604.5	75.00	430.1	75.00					1034.6	75.00
एफ02			145.2	140.00					145.2	140.00
एफ02एम			112.1	140.00					112.1	140.00
एफ02पी							119.2	145.00	119.2	145.00
एफ03	31895.7	131.41	68807.0	134.50			752.9	141.97	101455.6	134.53
एफ03एम	906.9	111.66	127.7	130.00			473.7	129.89	1508.3	118.94
एफ03पी							516.7	119.39	516.7	119.39
एफ04	18208.3	93.54	10125.2	98.12			4945.9	93.05	33279.4	94.86
एफ04एस	268.3	76.46							268.3	76.46
एफ05	997456.7	81.91	2773044.5	83.58			37479.1	77.00	3807980.3	83.07
एफ05एस	116.8	86.00	525.5	85.00					642.3	85.18
एफ07	3154.1	83.09					472	88.24	3626.1	83.76
एफ07एम			119.7	86.00					119.7	86.00
एफ07एस	134.6	85.00							134.6	85.00
एफ08	131794.0	83.90	135938	85.00			734.8	84.34	268467	84.46
एफ09	12409.5	78.16	6331.1	75.94					18740.6	77.41
एफ10			210.5	80.39					210.5	80.39
एल2ओ					132.2	156.00			132.2	156.00
एल3जे	75.6	130.00							75.6	130.00
एल3एल	102.7	140.00							102.7	140.00
एल3ओ					5903.9	152.71			5903.9	152.71
एल4एल					297.0	114.05			297	114.05
एल4ओ					3292.6	115.40			3292.6	115.40
एल5जे	350.0	82.07							350	82.07

2019-20 आ.प्र. नीलाम - एपी मार्कफेड द्वारा श्रेणीवार & मिट्टी क्षेत्र वार क्रय विवरण

	दर्हा	मे	दक	ामि	उह	मि	उक	ामि	सभी	क्षेत्र
श्रेणी	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)								
एल5एल	448.8	80.41			2137.4	101.09			2586.2	97.59
एल5ओ					22726.9	104.59			22726.9	104.59
एनडीजी	4546.8	80.97							4546.8	80.97
एनओजी	2669912.5	75.55	4370247.3	3 75.74			67124.7	75.10	7107284.5	75.66
पी3जे	218.2	135.37							218.2	135.37
पी3एल	1575.0	139.74							1575	139.74
पी4जे	96.1	100.00							96.1	100.00
पी4एल	757.8	94.26							757.8	94.26
पी5जे	24512.8	84.96			97.4	100.00			24610.2	84.96
पी5एल	42208.4	85.06							42208.4	85.10
टी3जे	530.6	139.64							530.6	139.64
टी3एल	1195.0	135.49							1195	135.49
टी4जे	1744.8	106.16							1744.8	106.16
टी4ओ					82.5	100.00			82.5	100.00
टी5जे	114172.9	84.91							114172.9	84.91
टी5ओ					65.8	100.00			65.8	100.00
टीएमजी	9025.2	85.54							9025.2	85.54
एक्स3जे	571.8	137.97							571.8	137.97
एक्स3एल	7116.2	135.19			55.6	101.00			7171.8	134.92
एक्स4जे	1703.8	97.85							1703.8	97.85
एक्स4एल	5195.6	104.23			61254.3	116.17			66449.9	115.23
एक्स4ओ					16513.7	115.29			16513.7	115.29
एक्स4एस	90.5	85.00							90.5	85.00
एक्स5जे	79812.7	84.86			517.1	100.00			80329.8	84.96
एक्स5एल	303843.4	85.08			762695.2	100.11			1066538.6	95.83
एक्स5ओ	98.5	85.00			77772.1	100.19			77870.6	100.17
कुल	4499263	79.19	7366164	79.44	953543.7	101.91	112619.0	77.59	12931589.7	81.00

व्यापार स्कंध

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड रुपयों की मार्जिन रिश के साथ 1984 में व्यापार रकंध को सृजन किया । 31/03/2021 तक ₹ 26.01 करोड की मार्जिन रिश बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है । तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार, यिद ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्मों में ग्रोयरों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यपार रकंध का उद्देश्य है। 2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यपार रकंध द्वारा कोई समर्थन मूल्य प्रचालन नहीं किये थे, जो कि बाजार उल्लासी और ग्रोयरों उत्तम मूल्य प्राप्त किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यक ग्रेडरों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेस, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से, फर्में अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालन करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्य है।

वर्ष 2020 के लिए तथा वर्ष 2021 के लिए (दि. 31/03/2021 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्निलिखत प्रकार है :

क्रम	સં वर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या			
सं.		2020	2021*		
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	11	03		
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	33	05		
3	तम्बाकू निर्यातक	164	141		
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक	376	303		
5	तम्बाकू डीलर	405	353		
6	तम्बाकू पैकर	23	07		
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	24	13		
	कुल	1036	825		


^{*}दि. 31/03/2021 तक

'डिजिटल इंण्डिया' पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारी को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रानिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली को प्रारंभ किया । सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रिजस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था ।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2020-21 के दौरान ₹ 6,305.94 का उत्तुंग रिकार्ड दर्ज किये । 2020-21 के दौरान निर्यात एक बार ₹ 6,000 करोड मार्क पार किया, जो पहली बार 2013-14 के दौरान (₹ 6,092.86 करोड), दूसरी बार (₹ 6,058.13 करोड) 2015-16 के दौरान और तीसरी बार (₹ 6,001.02 करोड) 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए ।

भारत अनिर्मित तम्बाकू में विश्व में दूसरा बडा उत्पादक और तीसरा बडा निर्यातक है। भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 61.14%) में फ्लू क्यूरड़ वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू याने., बर्ली, एचडीबीआरजी, सूर्य अभिसाधित देशी (एससीसी), लाल चोपाडिया, रास्टिका, डार्क फायर क्यूरड़ तम्बाकू, ओरियंटल आदि., सिगरेट और सिगरिल्लोस (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 9.03%), अन्य तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 29.8%) याने., चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, हुक्का तम्बाकू पेस्ट, स्नफ और बीडी आदि., होते हैं। भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात पिछले छः वर्षों के दौरान सामान्य परिवर्तन के साथ ₹ 5,500 करोड़ से ₹ 6,000 करोड़ हो गया था।




भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2020-21 के दौरान भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उप्तादों के निर्यात क्रमश : मूल्य के शब्दों में ₹ 6,305.94 करोड (851.10 मिलियन यूएस डालरों) के साथ 2,11,631 मि.टन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात, जो 2019-20 के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में परिमाण के शब्दों में 3% गिर गये । फिर भी, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 1% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये गये ।


		अप्रैल १	2020 - माच		अप्रैल 2	मूल्य में परिवर्तन		
क्रम संख्या	संवर्ग	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹करोड में	मूल्य.िम. यू एस \$. में	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	पारवतन % (मि.यूएस \$)
I	अनिर्मित तम्बाकू (ए	चएस कोड	2401)					
क	एफसीवी तम्बाकू	1,05,406	2,726.91	367.43	1,06,310	2,681.81	378.73	-2.98
ख	नॉन-एफसीवी तम्बाकू	68,775	1,128.38	152.28	74,406	1,134.37	160.20	-4.94
	कुल	1,74,181	3,855.29	519.71	1,80,716	3,816.18	538.93	-3.57
II	तम्बाकू उत्पाद							
क	सिगरेट & सिगरिल्लोस (एचएस कोड 2402)	9,300	569.64	77.03	10,782	571.74	80.74	-4.59
ख	अन्य उत्पाद (एचएस कोड २४०३)	28,150	1,881.01	254.36	25,895	1,581.67	223.37	13.87
	कुल उत्पाद	37,450	2,450.65	331.39	36,677	2,153.41	304.11	8.97
	महा योग	2,11,631	6,305.94	851.10	2,17,393	5,969.59	843.04	0.96
	2019-20 की तुलना में % परिवर्तन (+/-)	-3	6	1	-1	-1	-2	

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड सांख्यकी-निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत रिटनों के आधार पर



I.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात :

वर्ष 2020-21 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में 1,74,181 मेट्रिक टनों से 4% तथा मूल्य डालरों के शब्दों में \$ 519.71 मिलियन यूएसडी से निर्यात 4% तक गिर गये । रूपये के शब्दों में ₹ 3,855.29 करोड से 1% की वृद्धि प्राप्त किये । यह 2019-20 के दौरान ₹3,816.18 करोड या यूएस \$ 538.93 मिलियन मूल्य में निर्यातित 1,80,716 मेट्रिक टन के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रहा है ।




1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात :

2020-21 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से 60.52% शेयर के साथ परिमाण के शब्दों में एफसीवी तम्बाकू प्रधान निर्यात किस्म प्रकार रहा है, साथ बर्ली 15.31% का रहा है। अन्य निर्यातित तम्बाकू प्रकारों में से एचडीबीआरजी (6.84%), सन क्यूरड़ देशी (3.01%), लाल चोपाडिया (4.56%) और रिस्टका (1.38%) है। मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 70.73% और शेष 29.27% के लिए नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यातों का हिसाब रहा है।

(परिमाण में.टनों में, मूल्य : ₹ करोड़)

		2020)-21		201	9-20
तम्बाकू प्रकार	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूरड वर्जीनिया	1,05,406	-0.85	2,726.91	1.68	1,06,310	2,681.81
(एफसीवी) तम्बाकू						
नॉन-एफसीवी तम्बाकू						
वर्ली	26,666	-12.07	465.27	-7.11	30,326	500.89
एचडीबीआरजी	11,908	50.22	188.63	61.24	7,927	116.99
सन क्यूरड देशी	5,242	-15.84	81.65	-11.95	6,229	92.74
लाल चोपडिया	7,941	-11.54	103.04	5.63	8,976	97.55
रस्टिका	2,403	-19.77	45.42	6.59	2,995	42.61
अन्य	14,614	-18.60	244.37	-13.83	17,953	283.59
उप-कुल	68,774	-7.57	1,128.38	-0.53	74,406	1,134.37
(नॉन-एफसीवी प्रकार)						
कुल	1,74,181	-3.62	3,855.29	1.02	1,80,716	3,816.18



एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2019-20 के दौरान किये 1,06,310 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 2,681.81 करोड (यूएस \$ 378.73 मिलियन) के लिए 2020-21 के दौरान 1,05,406 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 2,726.91 करोड (यूएस \$ 367.43 मिलियन) था । 2020-21 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में और मूल्य डालरों के शब्दों में क्रमशः 1% और 3% अवनित आई है । फिर भी, मूल्य रूपये के शब्दों में 2% बढ गये है ।

_	व-द-व मूल्य		
वर्ष	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	(यूएस\$) में परिवर्तन %
2015-16	3,495.81	534.0	9
2016-17	3,428.45	512.0	-2
2017-18	3,059.60	474.6	-11
2018-19	2,863.87	409.7	-6
2019-20	2,681.81	378.7	-6
2020-21	2,726.91	367.4	2

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2015-16 से 2020-21 तक परिमाण के शब्दों में 22% तक बहुत वडा गिरावट रहा हैं। गिरावट की ट्रेन्ड पिछले पाँच सालों में जारी रही है। फिर भी, 2020-21 के दौरान, मूल्य रूपयों के शब्दों में 2% की धनात्मक वृद्धि, जो मूल्य डालरों के शब्दों में यह 3% घट गयी।


2020-21 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 68,775 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 1,128.38 करोड (152.28 मिलियन यूएस \$) था । 2020-21 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 8% की अवनित दर्ज की है और मूल्य के शब्दों में, पिछले वर्ष के निर्यातों की तुलना में रूपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 1% और 5% की अवनित दर्ज की है ।

1.2.2 अनिर्मित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

पश्चिम यूरोप, जो कुल निर्यातों में मूल्य के शब्दों में लगभग 38.42% हिस्सा के साथ भारतीय तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र को निर्यात में 2.03% वृद्धि हुई हैं। 2020-21 के दौरान मध्य पूर्व, पूर्व यूरोप और आफ्रिका को क्रमशः 38.75%, 10.36% और 1.91% वृद्धि दर्ज किये हैं। फिर भी, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया (22.50%), उत्तर & दक्षिण अमेरिका (10.15%) क्षेत्रों में गिरावट की स्थित देखी गयी। आस्ट्रेलेशिया को निर्यात यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोडों में)

		2020-21		2019-20			%
क्षेत्र	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	परिवर्तन (मूल्य)
पश्चिम यूरोप	59,092	33.93	1,481.40	60,502	33.48	1,451.95	2.03
पूर्व यूरोप	25,785	14.80	673.67	24,163	13.37	610.42	10.36
मध्य पूर्व	30,333	17.41	528.12	24,002	13.29	380.62	38.75
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	26,499	15.21	622.68	36,471	20.18	803.44	-22.50
अफ्रीका	22,149	12.72	389.96	23,265	12.86	382.64	1.91
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	10,318	5.92	159.30	12,056	6.67	177.30	-10.15
आस्ट्रेलेशिया	5	0.003	0.15	257	0.14	9.82	-98.43
कुल	1,74,181	100.00	3,855.29	1,80,716	100.00	3,816.18	1.02



I.2.3 अनिर्मित तम्बाकू का देश वार निर्यात (शीर्ष 10 बाजार) :

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड में)

豖.	_	2020	-21	201	₹ करोडों के शब्दों में	
सं.	देश का नाम	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	% मूल्य परिवर्तन
1	बेलजियम	43,599.24	1,148.86	43,052.03	1,086.36	5.75
2	ईजिप्ट	16,173.18	233.82	15,881.41	207.08	12.91
3	यूएई	14,797.95	249.78	9,036.76	161.73	54.45
4	येमन	7,748.05	105.40	7,964.60	87.06	21.07
5	बेलारस	7,070.03	132.90	3,460.56	65.01	104.43
6	कोरिया आरपी	6,503.18	167.68	7,653.96	200.91	-16.54
7	फिलिपैन्स	6,301.40	102.54	11,290.58	169.28	-39.43
8	इंडोनेशिया	6,007.98	157.91	6,378.55	148.37	6.43
9	पोलान्ड	5,346.00	154.23	4,068.90	105.90	45.65
10	नेपाल	5,161.46	132.66	7,149.20	189.15	-29.87

बेलजियम, जो शीर्ष आयात देश है, को 2020-21 के दौरान मूल्य रूपये के शब्दों में निर्यात में 5.75% की वृद्धि दिखाई गई है । अन्य प्रमुख बाजारों में बेलारस (104.43%), यूएआई (54.45%), पोलान्ड (45.65%), येमन (21.07%), ईजिप्ट (12.91%) और इंडोनेशिया (6.43%) जो उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई ।

अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में से फिलिपैन्स (-39.43%), नेपाल (-29.87%) और कोरिया आरपी (-16.54%), जो गिरावट दिखाई गई ।

I.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :


वर्ष 2020-21 के दौरान, सिगरेट और सिगरिल्लोस (एचएस कोड 2402) के निर्यात परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 13.75%, 0.37% और 4.59% नकारात्मक वृद्धि के साथ 9,300 मेट्रिक टनों के क्रम में रहा था, जब कि 2019-20 के दौरान निर्यातित 10,782 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 571.74 करोड (यूएस \$ 80.74 मिलियन) रहा था।

अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2403), जो 2019-20 के दौरान निर्यातित ₹ 1,581.67 करोड (यू एस \$ 223.37 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 25,895 मेट्रिक टनों की तुलना में ₹ 1,881.01 करोड (यू एस \$ 254.36 मिलियन) के 28,150 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था। अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2403) परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 8.71%, 18.93% और 13.87% के साथ धनात्मक वृद्धि दिखाई गई।

कुल तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2402 & 2403) 2019-20 की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 2%, 14% और 9% वृद्धि दिखायी गयी ।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड में)

			2020-21		2019-20			
क्र. सं.	उत्पाद संवर्ग	परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य	परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य	
	सिगरेट & सिगारिल्लोस	(एचएस ट	कोड 2402)					
1	सिगरेट	9,235	-13.83	561.05	-0.61	10,717	564.47	
2	सिगार	65	0.88	8.59	18.16	64	7.27	
	उप कुल	9,300	-13.74	569.64	-0.37	10,782	571.74	
	अन्य उत्पाद (एचएस क	ੀਂਡ 2403)						
1	चर्वण तम्बाकू	23,071	31.14	1,718.24	24.10	17,592	1,384.53	
2	कट तम्बाकू	3,712	-22.11	85.10	-14.91	4,766	100.02	
3	हुक्का तम्बाकू पेस्ट	1,080	-66.87	3,4.84	-41.00	3,261	59.05	
4	वीडी	219	1.05	32.29	-1.36	216	32.74	
5	स्नफ	55	-5.85	3.60	-32.53	59	5.33	
6	अन्य	13		6.94		0	0.00	
	उप कुल	28,150	8.71	1,881.01	18.93	25,895	1,581.67	
	महा योग	37,450	2.11	2,450.65	13.80	36,677	2,153.41	



2. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

2.1. तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

कोविंड-19 महामारी के कारण विश्व में कोई मेले और प्रदर्शनियाँ आयोजित नहीं किये गये अतः तम्बाकू बोर्ड कोई मेले और प्रदर्शनियों में भाग नहीं लिये ।

2.2 तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मण्डली का विजिट :

कोविड-१९ महामारी के कारण तम्बाकू बोर्ड द्वारा व्यापारी प्रतिनिधि मण्डलियों को नहीं अपनाये गये ।

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2020 - 2021

राजभाषा कार्यन्वयन

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन अविध के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- 'क' क्षेत्र में रिथत कार्यालयों के साथ पत्र व्यावहार हिन्दी में किया गया। 'ख' & 'ग' क्षेत्र में रिथत कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टी, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया ।
- वोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया ।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., लिफाफें, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया ।
- सारे रवड मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा 'ग' क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम

वोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के ऑन-लाईन हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया । जनवरी, 2021 सत्र के दौरान क्रमशः पारंगत (06), प्रबोध (03) और प्रवीण (01) कर्मचारियों को ऑन-लाईन कक्षाओं के लिए नामित किये गये ।

''हर दिन एक शब्द सीखो'' हिन्दी योजना का प्रचार

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदार्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताहः

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 18 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 14 से 17 सितम्बर, 2020 तक चार मेज कार्यशालाएँ (चार अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढाने केलिए आयोजित किये गये ।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालयः

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक ''हिन्दी मिलाप'' अखबार उपलब्ध किया गया । कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये ।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लोड किया गया तथा उनका उपयोग किया जा रहे हैं ।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अविध के दौरान चार (04 दिन - प्रतिदिन 01 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 14 से 17 सितम्बर, 2020 तक आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करता है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। 1991-92 से तम्बाकू बोर्ड, केन्द्र सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

1) आंतरिक स्रोत :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए 'सेवा प्रभार' के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्रोयर के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, ''प्राधिकार शुल्क'' को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्रोयरों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करता है।

वोर्ड पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर सरकार प्रित वर्ष अपने राजपत्र अधिसूचना द्वारा जुर्मानाएँ लगायेगी। 2020 नीलामियों के दौरान, प्रिधकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अधिक्य तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 2/- प्रित किलो के हिसाब से और बिक्री प्रोसीडों से 5% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त प्रभार लगाये है । आगे, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र सूचना के आदेशों के अनुसार, पंजीकृत ग्रोयरों और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू से प्राधिकृत कोटा के अतिरिक्त 10% तम्बाकू की बिक्री पर ₹ 2/- प्रित किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीडों से 10% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त शुल्क लगाये गये है ।

॥) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृती के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

बजट प्राप्तियाँ याने., सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्रोयरों से रिजस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर व्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर व्याज आदि., बोर्ड के आन्तरिक स्रोत शामिल हैं ।

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2020 - 2021

बजट व्यय को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्मों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने पूँजीगत व्यय के रूप में और नीलामियों और विस्तार एवं विकास योजनाओं के कल्याण योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार रकंध योजनाओं आदि., को आयोजित करने के लिए स्थापना और प्रशासनिक के राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाता है।

तदनुसार 2020-21 के लिए बजट प्रस्तावों को तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये। बजट आकलन और संशोधित आकलन क्रमशः प्राप्तियों के लिए ₹ 9,462.70 लाख और ₹ 10,500 लाख और व्यय के लिए ₹ 20,566.50 लाख और ₹ 18,330.00 लाख है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान के लिए आन्तरिक संसाधनों के रूप में ₹ 12,777.00 लाख राशि की वसूली और बजट आऊटले के ₹ 18,330.00 के लिए व्यय के रूप में ₹ 13,631.81 लाख राशि खर्च किये गये हैं।

2009-10 से 2020-21 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तिविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका **पृष्ठ सं. 119** में दी गई है ।

वर्ष 2020-21 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि के लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नथा पेंशन योजना (टैयर-1), तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सिम्मिलत करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, दि. 31 मार्च, 2021 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकर (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बेंगलूर के लेखें शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।

- 2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धितयों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि., के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल है । न्याय, नियम एवं विनियम (सम्पित एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्तव्यों, यिद कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है ।
- 3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है । इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, तािक वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके । लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धित पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शािमल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शािमल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
- 4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है ।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बिहयों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बिहयों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया हैं।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :
- क. लेखाओं पर टिप्पणियाँ टिप्पणी क. 1 तुलन पत्र अनुसूची 8, अचर परिसंम्पत्रियाँ प्रगताधीन कैपिटल कार्य ₹ शून्य ।
 - क.1 उक्त में, आन्ध्र प्रदेश के गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म से संबंधित प्रगताधीन पूँजी कार्य से संबंधित ₹ 2.99 करोड राशि शामिल नहीं है । इस राशि को चालू परिसंपत्तियों (बिन्दु सं.5 में अनुसूची 11(ख) अन्य) के अंतर्गत प्रगताधीन पूँजी कार्य के रूप में, जिसके फलस्वरूप प्रगताधीन पूँजी कार्य की न्यूनोक्ति और चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों की ₹ 2.99 करोड राशि की अत्युक्ति हुई है ।

टिप्पणी क. 2

तुलन पत्र

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-11)

विविध देनदार

अन्य देयताएँ (प्राप्य) ₹ 87.29 करोड

उक्त राशि में, 22/03/2021 से 31/03/2021 तक की अविध के लिए तम्बाकू ग्रोयरों को तम्बाकू क्रेताओं से देय नीलाम राशि चित्रित है । फिरभी, तम्बाकू बोर्ड केवल इन बिक्रियाँ और क्रयों को फेसिलिटेट करती है, इस राशि को प्राप्य और देय राशि के रूप में दिखाना भ्रमजनक होती है और इसके फलस्वरूप चालू परिसंपित्तयों और चालू देयताओं में ₹ 87.29 करोड राशि की अत्युक्ति हुई हैं ।

ख. प्रबंध पत्र

किमयों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के ध्यान में लाया गया ।

- पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, वशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र
 और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बिहयों के साथ मेल खाते हैं ।
- vi हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढे जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धातों के अनुसरण में एक सच्चा और तटस्थ दृश्य देते हैं:
 - क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2021 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड के मामलों की स्थिति का; तथा
 - ख. जहाँ तक आय & व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से

> ह/- xx xx xx 02/12/2021

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 दिसंबर, 2021.

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड में कोई अलग लेखा-परीक्षा विंग नहीं है । तम्बाकू बोर्ड को मुख्य कार्यालय के अलावा 35 कार्यालय (आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित 29 नीलाम प्लैटफार्म, ओंगोल, राजनहेन्द्री, मैसूर और पेरियपट्ना में 4 प्रादेशिक कार्यालय, नई दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय और वेंगलूर में एक नीलाम निदेशालय कार्यालय) आदि., हैं । वित्तीय वर्ष 2019-20 तक आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्म/प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालयों के लेखाओं की आन्तरिक लेखा-परीक्षा पूरी हो गयी थी । वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्म/प्रादेशिक प्रवंधक कार्यालयों के आन्तरिक लेखा-परीक्षा पूरा किया गया था और आन्ध्र प्रदेश में नीलाम प्लैटफार्म के लिए नवंबर, 2021 महीन में पूरा करने का योजना बनायी गयी थी । फिर भी, मौजूदा आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त और अनुरूप नहीं है ।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

उक्त बिन्दु सं. 1 के अंतर्गत घोषित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में किमयों पर अवलोकन के विषय में तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, जो संस्था के परिमाण तथा प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. अचर परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

संपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष कार्यालय के प्रमुख की पर्यवेक्षण में किया जाता है और रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को प्रस्तुत की जाती है । अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्टों की जाँच के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड नियमित अन्तरलों में सत्यापन आयोजित करती है और नीलाम प्लैटफार्मी/प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत कुछ भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में नही उल्लिखित भूमि और भवनों के विवरण के अलावा कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पाये गये । इस विषय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाओं की प्रबंध पत्र में सूचित किया गया था । मुख्य कार्यालय और नीलाम निदेशालय कार्यालय, बेंगलूर सिहत आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी कार्यालयों के रिपोर्ट और रिजस्टरों के संबंध में प्रबंध ने स्पष्ट किया गया कि कोविड महामारी रिथति के कारण बोर्ड के सभी परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और इसका 2020-21 में किया जायेगा । प्रबंध ने भौतिक सत्यापन सिमित की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी में आवश्यक प्रकटीकरण करने का भी आश्वासन दिया । इस प्रकार, अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त और अनुरुप है ।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है । बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अंत में लागत के आधार पर लेखन- सामग्री की अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया । इस प्रकार, तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है ।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियों जैसे., संपत्ति कर और सेवा कर आदि., को निर्धारित तारिख के अंदर प्रेषित (भूगतान) किया ।

ह/- xx xx xx

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 दिसंबर, 2021.

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2020 - 2021

तम्बाकू बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ दि. 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

A	-		
विवरण	अनु-	वर्तमान वर्ष	पूर्व
	सूची	dA	वष
कार्पस / पूंजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूँजी निधि	1	65702	63097
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ	3	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि		2676	2522
(व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)			
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1913	2271
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		16530	14963
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		30	37
ङ) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना		6445	6268
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
असुरिक्षत ऋण और उधार	5	0	0
अस्थागित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	19771	14884
कुल		113067	104042
संपत्तियाँ संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	10168	10429
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9	0	0
क) बाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि			
(व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2676	2522
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1913	2271
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		16530	14963
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		30	37
ङ) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना		6445	6268
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	75305	67552
5. विविध व्यय		0	0
कुल		113067	104042
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसुचियों	में रखा गया
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	••	में रखा गया
	l	- 33	

ह/- XX XX XX (के. मधुसूधन राव) सचिव (प्रभारी) ह/- XX XX XX (अद्दंकि श्रीधर बाबू) कार्यपालक निदेशक

तम्बाकू बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्दूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ दि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

					(रे लाखो मे)	
		विवरण	अनु- सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	
1.	311	य				
	1	बिक्रियों / सेवाओं से आय	12	5444	5895	
	II	अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0	
	III	शुल्क / चन्दे	14	258	329	
	IV	निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	10	12	
	V	रॉयल्टी, प्रकाशानों आदि, से आय	16	4	10	
	VI	अर्जित व्याज	17	3364	4094	
	VII	अन्य आय	18	3253	5185	
	VIII	संपूर्ण वस्तुओं के स्टाकों में बढती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0	
		कुल		12334	15525	
2.	व्य	य				
	ı	स्थापना खर्च	20	7204	7646	
	II	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2185	4156	
	III	अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0	
	N	व्याज	23	0	0	
	V	मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	339	408	
		कुल		9728	12210	
3.	व्य	योपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		2605	3315	
	I	विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0	
	II	सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0	
	III	पूर्व वर्षों के भुगतान		0	0	
4.		र्पस / पूंजी निधि को ले गये गरि / घाटे के रूप में शेष		2605	3315	
5.	30	लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा गया		
6.	चा	लू देयताएँ और लेखों पर टिप्पण	25	अनुसुचियों	में रखा गया	

ह/- XX XX XX (के. मधुसूधन राव) सचिव (प्रभारी) ह/- XX XX XX (अइंकि श्रीधर बाबू) कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष - तुलन पत्र

अनुलग्नक-। 1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंध को अनुदान सहायता) लेखा (₹ लाखों में)

			(१ लाखा म
क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2521.98	2355.92
ख	निधि लेखा को जोड :		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & ववैं खाता पर व्याज)	154.32	166.06
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	2676.30	2521.98
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क+ख-ग)	2676.30	2521.98

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

(₹ लाखों में)

	The transfer change that a land cron		(र लाखा म)
क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2271.44	2478.20
ख	निधि लेखा को जोड :		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & ववैं खाता पर व्याज)	113.02	151.76
	ख) अंशदन	538.66	655.39
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	0.00	0.25
	घटाये :		
	क) निकासी	-1109.66	-1014.16
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	1913.46	2271.44
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	1913.46	2271.44

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

豖.	विवरण	वर्तमान	पूर्व
सं.		वर्ष	वर्ष
क	अथशेष	14963.06	15581.56
ख	निधि लेखा को जोड :		
	क) निवेशों से आय (एलआईसी &		
	बबै खाता के साथ जमा पर व्याज)	1184.58	967.86
	ख) पेंशन निधि अंशदान	4000.00	3000.00
	घटाये :		
	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-3618.02	-4586.36
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	16529.62	14963.06
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी /		
	व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	16529.62	14963.06

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

			(((((((((((((((((((((
क्र. सं.	विवरण	वर्तमार्न वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	36.65	29.85
ख	निधि लेखा को जोड :		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & ववैं खाता पर व्याज)	1.48	1.96
	ख) पेंशन निधि अंशदान	153.29	144.26
	घटाये :		
	क) एनएसडीएल, मुंबई को		
	प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-161.31	-139.42
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	30.11	36.65
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	30.11	36.65

तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा :

स	•					40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
	विवरण	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	क	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	क ्
S	अयशेष	3721.33	2546.21	6267.54	3472.96	2439.21	5912.17
ম	निधि लेखा को जोड :						
	क) निवेशों से आय						
	(मीआदी जमा & ववें खाता पर व्याज)	213.84	116.63	330.47	232.74	134.94	367.68
	ख) ग्रोयर अंशदान	13.02	22.15	35.17	19.77	13.70	33.47
	ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	29.11	44.30	73.41	45.56	30.63	76.19
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	187.45	194.84	382.29	189.01	229.56	418.57
	ङ) स्विपिंगों का ग्रोयर का शेयर	00:00	7.74	7.74	26.58	8.46	35.04
	च) जुर्मानाएँ	0.27	0.03	0.30	0.20	00:00	0.20
	छ) ऋणों पर त्याज	00:00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00
	ज) विविध भुगतान	00:00	2.02	2.02	0.00	2.91	2.91
	ञ. ग्रोयर अंशदान						
	(ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन)	5.90	3.14	9.04	0.00	00:00	0.00
	घटाये :						
	क) ग्रोयरों को मृत्यु राहत	-302.20	-360.90	-663.10	-265.50	-313.20	-578.70
	ख) अन्य भुगतान	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00
	कुल (क + ख)	3868.72	2576.16	6444.88	3721.32	2546.21	6267.53
ন	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय						
	i) पूँजी व्यय	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
	॥) राजस्य व्यय	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
	कुल (ग)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	3868.72	2576.16	6444.88	3721.32	2546.21	6267.53

अनुसूची - 24 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार है :

- 1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा ।
- 2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा ।
- 3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा ।
- वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा । (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
- 5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धित पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा ।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया । लेखन सामाग्री और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है ।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

- 1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
- 2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा ।
 - परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आविधक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।
 - स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्धेश्य में 'राष्ट्रीयकृत बैंक', जो बेंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत है)।
- बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया
 जाएगा ।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपकरण, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेथिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईिकल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं । इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया गया है ।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्लयूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ती के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया गया है।

6. मूल्यह्नासः

मूल्यह्नास की पद्धित, जो एसएलएम पद्धित के अंतर्गत और कंपेनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपितयों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यह्नास पिरसंपित की कुल मूल्य में, जो संपित पर 95% तक मूल्यह्नास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपित्त) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में पिरसंपित मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यह्नास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कौपियर मशीन आदि., को छोडकर पिरकिलत किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कॉपियर मशीन के लिए पिरसंपित का उपयोग और अविध के आधार पर मूल्यह्नास पिरकिलत किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यह्नास को भी पिरगणना किया जाता है। प्रत्येक पिरसंपितयों के लिए मूल्यह्नास दरों को नियत पिरसंपित तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय:

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थिगत राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अविध से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है । आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्बलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है ।

8. बिक्री के लिए लेखा:

क) बिक्रियाँ :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

ख) सेवाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार है :

- क) धारा 14 क (1) के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;
- ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा ।

14-क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

धारा 14-क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

उक्त को ध्यान रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयर द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा खरीद किये तम्बाकू के मूल्य पर ग्रोयर और क्रेता से प्रत्येक से @ 1% से समान रूप से सेवा प्रभार वसूल करता है। यह सेवा प्रभार आय और व्यय लेखा की अनुसूची-11 के अंतर्गत लिये गये कार्रवाई के अनुसार वसूल किया जाता है। आगे, बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम/विनिमय के प्रावधानों के अनुसार ग्रोयर, बखार प्रचालक, नर्सरीमेन के रूप में रिजस्ट्रेशन/रिजस्ट्रेशन नवीकरण को प्रदान करने और व्यापारियों से तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू वाणिज्यक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रिजस्ट्रेशन को प्रदान करने और नीलामियों में भाग लेने क्रेता प्राधिकरण शुल्क वसूल करता है । इसे आय और व्यय लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत शुल्क/अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है ।

सावधिक जमाओं पर, जो तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के अनुसार निवेश किया जाता है, से आर्जित ब्याज को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 17 के अंतर्गत आर्जित ब्याज के आय के रूप में दिखाया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों से अधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू बिक्री के लिए बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों को अन्य आय के रूप में लिया जाता है। विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। यह विवरणों को आय और व्यय खाते की अनुसूची 18 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिये गते हैं।

2020 नीलाियों के दौरान, पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अंशदान और विक्री प्रोसीडों से 5% (जिसमें 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से 10% प्राधिकृत परिमाण सीमा तक अनुमति दी गयी थी। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत 10% परिमाण की सीमा से परे उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत द्वारा उत्पादित तम्बाकू को ₹ 2/- प्रति किलो और 10% (जिसमें 1% सामान्य सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से विक्री प्रोसीडों में अंशदान लगाने के द्वारा विक्री के लिए अनुमति दिया गया था।

तम्बाकू बोर्ड का प्रथान व्यय, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की 8 के अंतर्गत अनुसार स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति वाले प्रकार्यों को मीट करने के लिए हैं, जिसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों पर नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री भी शामिल हैं। यह व्यय को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 20 और 21 के अंतर्गत स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों के रूप में लिये जाते हैं। पूँजी व्यय के बोर्ड को मौजूदा परिसरों में नीलामियों को निर्विध्न आयोजित करने इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। विस्तार एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत तम्बाकू की गुणता & उपज की वृद्धि, ईधन, क्यूरिंग लागत & समय का बचत और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाना आदि., विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को, जो यह व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में किया गया हो, को भी अलग से दिखाये गये हैं।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि व्दारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे ।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रूपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगी। भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगी।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की विक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जीएफआर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार व्दारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्ते भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्ते :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संन्निर्माण और अन्य बातें हैं, यि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थित के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची 25 :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकिस्मक देयताएँ और टिप्पणी ।

- 1. **आकिस्मक देयताएँ** : आकिस्मक देयताओं के विवरण को 2020-21 वर्ष के वार्षिक लेखाओं के लेखाओं की टिप्पणी में बिन्दु सं. 3 मे दिये गये ।
- 2. **पूँजी प्रतिबद्धताएँ** : शून्य ।
- 3. पट्टे (लीज) बद्याताएँ :

तम्बाकू बोर्ड ने निम्निलिखत परिसरों जैसे., आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल-II, कोंडेपी तथा प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, राजमहेन्द्रवरम और कर्नाटका में कंपलापुरा-I, नीलाम निदेशालय, वेंगलूर कार्यालय & प्रादेशिक प्रंवधक कार्यालय, पेरियपट्ना आदि., को लीज पर लिये गये I

4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :

बोर्ड द्वारा अपनाये चालू संपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (29) (क) (घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर के भुगतान से छूट दी गई ।

लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया ।

ख) उद्देश्य :

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजिनक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार स्कंध का सृजन किया गया। व्यापार स्कंध का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

- क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
- ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :
 - i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
 - vi) आन्ध्र प्रदेश सरकार;
 - vii) कर्नाटका सरकार;
 - viii) गुजरात सरकार;
- घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;
- ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले *दस से अनिधक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी है), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।
 - * परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी ।

- च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;
- ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी :-

- क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;
- ख) इस अधिनियम के प्रोयजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;
- ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
- घ) धारा ८ में निर्दिष्टि उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-
- क) धारा ८ में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
- ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
- घ) किन्ही उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

- (1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।
- (2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक -महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।
- (3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक

- महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बिहयों, लेखा सम्बन्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सिहत, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी ।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर:

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे ।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

- बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ
 और भुगतान विवरण में लेखा ऑकडों को लाखों रूपये तक पूर्ण करने (रॉऊडेड आफ) को उपनाया था ।
- 2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,042.77 लाख है ।
- 3. तम्बाकू बोर्ड की अनिश्चित देयताएँ निम्नानुसार है : अपर महानिदेशक, जी एस टी खुफ़िया का महा निदेशक (डीजीजीआई), चेन्नई क्षेत्रीय यूनिट, चेन्नई ने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटी/सीजडयू/एसटी/31/2018, दि.19/04/2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार 2013-14 से 2017-18 तक अविध केलिए ₹1,83,83,73,622/- राशि के लिए अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹24,86,69,972/- सेवा कर केलिए और ₹9,98,83,002/- की राशि के लिए विविध रसीदों के अंतर्गत दर्शाये सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹1,29,98,928/- राशि की सेवा कर आदि., को भुगतान नहीं अदा करने केलिए तम्बाकू बोर्ड को शो-कॉज नोटीस सं. 20/2019 जारी किया था ।

इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम/सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत रहे प्रावधानों/नियमों के अनुसार उक्त अविध के लिए समय-समय पर ग्रोयरों से सेवा कर की नॉन-कलेक्शन केलिए कमीशनरेट (अप्पील), वस्तु & सेवा कर, गुण्टूर को एक अप्पील करने का प्रस्ताव किया है। इस को आयुक्त, केन्द्रीय शुल्क, गुण्टूर द्वारा डिस्पोज किया गया और शो-कॉज नोटीस में बताये अनुसार कर डिमाण्ड की पुष्टि करते हुए आर्डर-इन- ओरिजनल सं. गुण्टूर-एक्सेस-000-कम-026/19-20 से.कर, दि.13/12/2019 को जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने आर्डर-इन-ओरिजनल के लिए केन्द्रीय कर अप्पीलेट न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय शाखा-हैदराबाद को अप्पील दायर की है, और सीईएसटीएटी, हैदराबाद में अप्पील को स्वीकार करने पूर्व-जमा के रूप में ₹1,96,25,168/- राशि को जमा की थी और यह मामला उप-न्यायालय के अधीन है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए ग्रोयरों द्वारा खेच्छा से किये गये बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों पर तम्बाकू बोर्ड को कोई देयता नहीं होने के कारण 2018-19 से 2020-21 तक अविध के लिए लेखा बाहियों में आगे कोई आकिस्मक देयता नहीं किया गया हैं। अंशदान की किसी भी रसीद पर कोई सेवा कर और तम्बाकू बोर्ड द्वारा सेवा कर वसूल करने के लिए कोई सेवा कर का प्रावधान नहीं है।

- 4. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-। से III (अनुसूची-8) के अंदर रिथर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया ।
- 5. दि. 31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 25.63 लाख पर मूल्यांकित लेखन सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया ।
- 6. 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹60,111.12 लाख हैं । लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा । सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया ।

बोर्ड के साथ उपलब्ध सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया ।

 रिथर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रोरेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार है:

1. भूमि-पट्टधृति : 360 महीनों की अविध

2. भवन : पट्टाधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि

3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आरसीसी छत)& 3.17% गैर - आरसीसी

4. फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण : 9.50%

साईकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टार्पालीन, : 9.50%

ट्राली, वेयिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%

5. कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण : 19%,

वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन : 19%

6. अग्नि शामकों : 19%

7. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है। इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यह्नास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिन्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे । आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोडे जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है ।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है । 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालाविध के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है ।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यह्लास के साथ दि. 31/10/2021 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 339.40 लाख की कुल रकम का मूल्यह्लास किया गया है।

- 3. दि.31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों केलिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज/समायोजित किया गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 से दौरान, सिविल, विधुत और रखरखाव प्रकृति के अंतर्गत कवर किये गये पूर्ण कार्यों के लिए सीपीडब्लूडी/ राईट्स को अग्रिम के लिए व्यय के रूप में ₹ 422.94 लाख राशि को समयोजित किया गया और ₹ 299.45 लाख राशि को प्रगताधीन पूँजीगत कार्यों के रूप में समयोजित किया गया था ।
- 9. दि.31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹83.67 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।
 - दि.31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 263.32 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्रोयरों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस ब्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं।
- 10. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्रोयरों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 5,444.27 लाख राशि प्राप्त हुई ।
- 11. 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।
- 12. दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी को व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में कोई राशि खर्च नहीं की गयी है ।
- 13. वर्ष 2020-21 के दौरान, सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये है, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने केलिए देयताएँ भी सम्मिलित है, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹1,680.97 लाख की राशि रही है।
- 14. दि. 31/03/2021 तक तुलन पत्र के अनुसूची-11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 75,305.14 लाख की राशि उपलब्ध रही है ।

15. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकद्दमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय न्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले न्यायाधीन (सब-जुिडस) रहा है। बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही।

अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढे याने., 85 से 90 उम्र के हो गये है और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है। बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँिक कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है। जहाँ पर बोर्ड ने न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था।

हैदराबाद में दि.28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बट्टे-खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुस्मारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की स्वीकृती प्रतिक्षित है।

- 16. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू वोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर-1) तथा तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य केलिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2020-21 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था ।
- 17. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंगर्तत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बिहयों के अनुसार ₹ 2,676.29 लाख राशि उपलब्ध रहा था। व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 लाख मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया। 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों केलिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2021 तक नियत जमाओं पर व्याज के रूप में ₹ 2,459.89 लाख प्राप्त हुए।
- 18. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बिहयों के अनुसार ₹ 1,913.45 लाख की रिश उपलब्ध रहा था। स.भ.नि. ब्राड शीट के अनुसार (जिसमें अंशदान के व्याज को मिलाकर) पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 1,853.79 लाख राशि था। वित्तीय वर्ष के अंत तक सा.भ.नि खाता में ₹ 59.66 अधिशेष राशि उपलब्द रहा है। सावधिक जमाओं पर उपार्जित व्याज की अधिशेष राशि, जो सा भ नि के लिए पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय व्याज से अधिक रहा है।

- 19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत, लेखा बिहयों में ₹ 16,529.63 लाख उपलब्द रहा है । भा.जी.िन, के साथ ₹ 16,524.73 लाख रिश और रोकड बही के अनुसार बैंक में नकद के रूप में ₹ 4.90 लाख की रिश उपलब्ध रहा है । तम्बाकू बोर्ड ने मौजूदा कर्मचारियों की डेटा जीवीिन को प्रस्तुत किया और भा.जी.िन ने दि.31/03/2021 तक ₹ 19,025.00 लाख रिश को एक्चूयेरिपल मूल्यांकन द्वारा पेंशन देयता को परिकलित किया है । पेंशन देयता के लिए भा.जी.िन के पास जमा रिश को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवित बीमा निगम को ₹ 2,501.00 लाख की रिश शेष रहा है, इसको दि.31/03/2021 तक लेखा बिहयों में देयता के रूप में उपनाया गया है ।
- 20. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बिहयों के अनुसार ₹30.11 लाख की राशि निधि में उपलब्ध रहा था। इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोकता अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है। उक्त राशि में दि. 31/03/2021 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती/निकासी पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन (प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अन्तर्गत अधिशेष (सरप्लस) की राशि शामिल है।
- 21. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 6,444.88 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 3,868.72 लाख + कर्नाटका ₹ 2,576.16 लाख) उपलब्ध रहा था ।
 - भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आग्रि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा 2009-10 के दौरान अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग्रोयरों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्रोयर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया।
- 22. उपदान (ग्राट्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युटी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआऊट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा। इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 वर्षों केलिए अवकाश वेतन, ग्राट्युटी और अर्ध वेतन भुगतान के संबंध में ₹ 30.00 करोड़ की कुल देनदारी प्रदान की गई है।

यह लेखा निधि सृजन करने की मामला को बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा गया । बोर्ड इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से अध्ययन करने और निधि लेखा सृजन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया । निधि लेखा सृजन प्रस्ताव पर अध्ययन प्रगताधीन है ।

आगे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तम्बाकू बोर्ड ने उपदान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं के कारण बीमांकित मूल्यांकन द्वारा देयता की गणना के लिए मौजूदा कर्मचारियों की डेटा प्रस्तुत किया है। जी.बी.िन (एलआईसी) ने मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट दर और वेतन अंशदान आदि., को ध्यान में रखते हुए दि.31/03/2021 तक ₹ 4,150.69 लाख (उपदान की राशि ₹ 2,506.86 लाख और अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,643.83 लाख) राशि की देयता के साथ प्रस्ताव दिया है। इस निधि लेखा के अंतर्गत छूट और जमा राशि पर ब्याज आर्जित करना आदि., के लिए जी.बी.िन के साथ कोई रिश निवेश नहीं किया गया है।

अतः बोर्ड ने 30/03/2021 तक मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देयता को परिकलित किया और इसे दि.31/03/2021 तक सी.सी.ए. (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ₹ 4,418.67 लाख रिश (उपदान ₹ 2,612.35 लाख + अवकाश नकदीकरण = ₹ 1,816.32 लाख) के लिए बाहियों में इसे परिकलन किया था। भारतीय जीवित बीमा निगम के साथ निधि लेखाओं को रखरखाव करने के लिए आवश्यक कदम अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निधि लेखाओं की सामान्य प्रक्रिया अनुसार करने के द्वारा किया जायेगा।

- 23. नीलामकार की सेवाएँ (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाडा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹. 178.44 लाख की राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सी ई एस टी ए टी, हैंदराबाद के अधीन हैं । कंपेनियों से देय राशि ₹. 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया ।
- 24. दि. 31/03/2021 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को और अन्य लेखा शीर्षों के साथ देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
- 25. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कंपेनी, गुण्टूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (डी) के अंतर्गत आयकर को भुगतान करने से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्नों को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए आय कर रिटर्न निस्तत की है।
- 26. तम्बाकू बोर्ड ने, जीएसटी मानदण्डों के अनुसार लेखा-परीक्षा पूरा होने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर कर देयताओं को चुकाने के बाद अधिकृत लेखाकार मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, गुण्टूर द्वारा 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-7 की मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 सी की वार्षिक रिटर्न निस्तित किया है।
- 27. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रही है । 2008-09 तक, ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं को अपना ली थी ।
 - 2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्रोयरों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और इस कर पर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यक कर, बेंगलूर को अप्पील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अप्पीलेट न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर रिशा ₹ 91,36,703/- को जमा करने पर मामला को स्वीकार किया I आगे, उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, वीएटी लेखा परीक्षा-I, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975/- की रिशा को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था I अतः पूरा कर + जुर्माना रिशा को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, मैसूर को दि.25/11/2016 को चुकाई गई I डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर रिशा की प्राप्त होने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- रिशा के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अविध के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को दूसरा डिमान्ड नोटीस जारी किया था I इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर के सामने दायर किया I

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, बीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805/- की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटिरम स्टे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा बीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना को केवल 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है।

उक्त मामला की स्थित को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जिर्थ ₹32,69,805/- की रिश भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को निस्तत किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसिमस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया । बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ उठाकर डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमान्ड नोटीस की 10% रिश ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त रिश को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को डिस्पोज किया था । डीसीसीटी-वीएटी विभाग से समाशोधन प्रमाण पत्र अभी तक प्रप्त नहीं हुआ है और यह मामला प्रगताधीन है ।

- 28. आय कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा आय कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है ।
- 29. विक्री कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा विक्री कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है ।
- 30. नगर निगम कर संपत्ति कर को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकायों और निगमों के प्राधिकारियों से डिमाण्ड नोटीस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डिमाण्ड नोटीस प्राप्त नहीं होने पर संपत्ति कर से संबंधित देय राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रावधान किया जाता है।

- 31. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, किनिगरी नीलाम प्लैटफार्म में अग्निशमन उपकरणों के लिए बैंक गारंटी के मुद्दे को समाशोधन के लिए लिया जायेगा, क्यों कि गारंटी की अविध समाप्त हो गयी थी।
- 32. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, नीलाम की 10वीं दिन को संबंधित नीलाम प्लैटफार्म लेखा को इलेक्ट्रानिक फन्ड ट्रान्सफर के द्वारा क्रेताओं से प्राप्त तम्बाकू खरीद मूल्य और नीलाम की 11वीं दिन को संबंधित वैयक्तिक ग्रोयरों के खाता को बिक्री प्रोसीडों को ई-भुगतान द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्मों में एसबीआई फास्ट सीएमपी आन्तरिक पोर्टल खाता की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा किया जाता है।
- 33. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, नीलाम तारीख के अनुसार सेवा शुल्क की उपार्जित प्राप्ति, वस्तु एवं सेवा कर की देयता और क्रेताओं से तम्बाकू मूल्य की उपार्जित प्राप्ति को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आय व व्यय लेखा में लिया गया है।
- 34. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक देयता का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, तुलना पत्र की देयता के पक्ष में प्रोजेक्ट किया गया ।
- 35. सीपीडब्लूडी को अग्रिम जैसे पूँजीगत और राज्यस्व प्रकृति पर व्यय और इसके कार्यों के समापन को ध्यान में रखा गया और इसे परिसम्पत्ति पर मूल्यह्नास के रूप में गणना की जाती हैं ।
- 36. सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उपादान का भुगतान, अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश लेखा के लिए देयता की गणना की जाती है और इसे मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट, निवेश पर ब्याज आदि., मान्यताओं के साथ बीमांकित मूल्यांकन द्वारा भारतीय जीवित बीमा निगम द्वारा देयता की गणना के अनुसार लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रोवैड किया जाता है अतः इसे खाता बाहियों में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है।
- 37. बजट रसीद और व्यय-तम्बाकू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आन्तरिक संसाधनों (रसीदों) से ₹12,777.00 लाख की प्राप्ती और ₹13,631.81 लाख राशि को व्यय किया है ।
- 38. महानिदेशक, महानिदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा वोर्ड, हैदरावाद के अ. स. पत्र दि.29/12/2020, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2019-20/1.42/204 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लेखाओं पर प्रबंध-पत्र में रैज किये विन्दओं पर रेमिडिकल कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2020-21 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये:
- क) लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, सेवाओं पर आय, रिजस्ट्रेशन शुल्क, अर्जित ब्याज और अन्य आय के साथ-साथ स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्यय पर किये गये व्यय का विवरण लेखा नितियों की अनुसूची 24 में प्रक्षपित हैं।
- ख) लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, सावधिक जमा पर अर्जित आय पर ब्याज की गणना वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाती हैं।

- ग) अभी तक दिखाये गये भूमि मूल्यों को लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा भवनों के साथ भूमि की अधिग्रहण/खरीद की बिक्री विलेखों (डीड) के अनुसार सही किया गया है । भूमि मूल्यों को भवन लेखा के अंतर्गत लिया जाता है, को भवनों से हटा दिया गया है, जो बिक्री विलेख (डीड) के अनुसार भूमि और भवन के लिए कोई अलग मूल्य नहीं हैं । इसी क्रम में, दि.31/03/2020 तक उपलब्ध कराये गये भवनों के खाताओं पर मूल्यह्नास को भी भवन खाता से हटा दिया गया है ।
- घ) आय और व्यय खाता में अचल संपत्तियों पर मूल्यह्नास की द्विशाखन को चालू वर्ष और पिछले वर्ष की राशियों के लिए अलग से दिखाये गये ।
- ड.) सीपीडब्लूडी को भुगतान किये अग्रिमों से प्रगताधीन कैपिटल कार्यों की सीमा तक की गयी राशियों को लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, प्रगताधीन कैपिटल कार्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रक्षपित किया गया है । राजस्व और कैपिटल प्रकृति के लिए सीपीडब्लूडी/राईट्रस के साथ बकाया राशि की द्विशाखन को अलग से दिखाया गया है ।
- 2013-14 से 2017-18 तक अविध के लिए जुर्माना के साथ कुल सेवा कर संभाव्य देयता पर संक्षिप्त विवरण को लेखा टिप्पणियों में दिया गया है । 2018-19 से 2020-21 तक की अविध के लिए अंशदानों पर जीएसटी देयता को लेखा बिहयों में प्रेवैड नहीं किया गया है, जो कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू/अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अपंजीकृत तम्बाकू पर वसूली बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों पर जीएसटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, के विवरण नीचे दिया गया है :
 - (i) ग्रोयरों से विक्री प्रसीडों के अंशदानों को ग्रोयरों के मुद्रित विक्री नोटों में अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्माना के रूप में और ग्रोयरों से जुर्माना के रूप में आय और व्यय लेखा में दिखाया गया था ।
 - (ii) ग्रोयरों से जानबूझकर किया गया अंशदानों कर योग्य सेवा के अंतर्गत नहीं आयेगा, क्योंकि यह बोर्ड द्वारा किया गया सेवा नहीं है ।
 - (iii) लेखा बाहियों में दिखाये गये नामावली की भिन्नता माननीय सर्वोद्य न्यायालय द्वारा कानूनी मामले के अनुसार कर देयता के लिए गणन योग्य नहीं है ।
 - (iv) वित्त अधि नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सेवा/कर योग्य सेवा, अनिर्मित तम्बाकू की कृषि उत्पाद की बिक्री, कृषि विपणत सिमितियों से समान कार्यों/गतिविधियों/सेवाओं और तम्बाकू बोर्ड एक सरकार आदि., के परिभाषा के अनुसार कर और कर पर जुर्माना के लिए उत्तरदायी नहीं है ।
 - (v) एससीएन के अंतर्गत लगाये गये दण्ड तम्बाकू बोर्ड पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि 2006-07 से 2013-17 तक वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरणियाँ, जिस में संबंधित अनुसूचियों के साथ तुलन-पत्र, आय व व्यय लेखा, रसीदें & भुगतान विवरणों को सेवा कर विभागों को पहले ही प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने 01/05/2006 से समय-समय पर सेवा कर रिटर्नों के संदर्भ में लेखाओं को लेखा परीक्षा भी किया है।

उक्त वित्तीय विवरणियों में दण्ड सिहत प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत आय और व्यय राशियों को दिखाया गया है। आय शीर्षों पर कोई कर देयता नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी लागू करों को भुगतान किया है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, शो-कॉज नोटीस में सूचितानुसार कर से बचने के लिए तम्बाकू बोर्ड की ओर से अभिलेखों को छिपाना की कोई आवश्यकता नहीं था।

(vi) अतः बोर्ड ने शो-कॉज नोटीस में दिखाये अनुसार गैर-लागू कर और दण्ड के लिए केन्द्रीय कर आयुक्त, गुण्टूर द्वारा पारित आर्डर-इन-ओरिजनल के लिए सीईएसटीएटी के सामने अपील दायर की ।

ह/- xx xx xx

(वी. वेंकटराव)

प्रंबधक (वि व ले)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्दूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

₽	दि 31 मार्च 2021	न को समाप्त अ	को असाप्त अवधि / वर्ष के लिए पादिवर्गे एवं भगवान		
			9		(राशि रै लाख में)
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
।. अथशेषः			। स्थापना अर्च		
क) बैंक शेष			1. वेतन और मजदूरी	4403.33	4790.71
1. चालू खाताएँ	3168.37	8708.48	2. भत्ते और बोनस	25.16	15.21
2. जमा खाताएँ	66.99609	58486.41	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00	00.00
3. बचत खाताएँ	00.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	4000.00	3000.00
ख) अद्धष्ट / धर्मस्य निधियाँ			5. पेशन निधि को अंशदान (न पें यो)	81.43	86.92
1. चालू खाताएँ			6. कर्मचारी कल्याण त्यय	0.00	00.00
і) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन	0.05	0.02	7. सेवानिवृत्ति और दर्मिनल लाभ	1971.81	1784.54
(व्यापार स्कंध को अनुदान)			8. अन्य :		
2. जमा खाताएँ	00.00	0.00	क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान	15.71	12.96
3. बचत खाताएँ			ख) चिकित्सा दावें (अधिकारीगण व स्टाफ)	06.99	79.19
i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य	10.16	8.33	ग) छुरिया दावें	46.22	12.89
भविष्य निधि			घ) स्टाफ को वर्दी	2.60	3.05
ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन फंड	4.74	4.55	॥ अन्य प्रशासनिक व्यय		
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन योजना	12.59	0.61	1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए	0.00	00.00
iv) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण नधि योजना	228.31	155.84	2. या.भ.अधिकारियों और कर्मचारियों केलिए	150.58	214.36
॥. प्राप्त अनुदान	00.00	0.00	3. या.भ.बोर्ड के सदस्यों के लिए	1.65	2.69
III. निवेश और जमाएँ			4. प्रशासनिक भवन / कर्टर्स /		
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि (एफ डी आर)			नी. प्लेटफार्म का रखरखाव	39.37	29.06
			5. भवनों का किराया	179.98	111.84

帮	दि. 31 मार्च, 202 ′	। को समाप्त अ	2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान		(टाशि ₹ लाख में)
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि			6. मुद्रण और स्टेशनरी	65.51	52.31
(व्यापार ख्कंथ को सहायता अनुदान)	2433.01	2266.95	7. विद्युत शुल्क	99.48	120.39
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य	2189.93	2391.27	8. डाक और टेलीफोन शुल्क	41.62	33.86
भविष्य निधि			9. बैठकों पर त्यय	7.52	14.61
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	14958.32	15577.02	10. विविध व्यय	83.22	137.51
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी			11. मनोरंजन त्यय	4.70	8.06
नई पेंशन निधि	22.97	27.87	12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	2.86	3.69
४) तम्बाकू उत्पादक कत्याण			13. फर्नीचर और अन्य संपित्तयों की मरम्मत	8.48	11.01
निधि योजना	5570.88	5260.17	14. परिवहन प्रभार	3.13	4.20
ख) निजी निधि	0.00	0.00	15. कार्यशालाएँ और सेमिनार	0.00	00.00
।V. निवेश पर आय			16. दरें और कर	23.60	17.00
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि			17. बेंक शुत्क	0.14	0.61
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन	168.71	166.06	18. कानूनी शुल्क	6.20	6.71
(ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)			19 वाहनों का आड़ा	107.49	107.28
ii) तम्बाकू वोर्ड के कर्मचारी सामान्य	672.05	814.66	20. वाहनों का रखरखाव	24.62	34.55
भविष्य निधि			21. बीमा	37.29	19.38
iii) तम्बाकू वोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	5184.58	3967.86	22. लेखा-परीक्षा शुल्क	8.03	7.95
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी	155.80	146.50	23. सा भ नि को व्याज योगदान	0.00	00.00
नई पेशन निधि			24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00	00.00
प) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण			25. ऋण वसूली व्यय	0.00	00.00
निधि योजना	1051.87	1128.32	26. पुस्तकालय किताबें	0.07	0.54
			27. कंप्यूटर का रखरखाव	21.11	22.53

फ़ि	दि. 31 मार्च, 2021	को समाप्त अ	2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान		A RECEIPT OF THE PARTY OF THE P
•	,				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख) निजी निधि	00.00	0.00	28. वेयिंग स्केल केलिए सेवा शुल्क	30.71	25.63
ग) किराए			29. मुटा श्रामिक शुल्क	339.66	345.50
ध) परिसर पट्टा पर किराए	98.6	11.85	30. अस्थायी संस्चनाओं का निर्माण	00:00	0.00
V. प्राप्त किया व्याज			31. मानव संसाधन विकास	00:00	5.61
1. बैंक में जमा राशि	3973.26	4122.26	32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यन्वयन	394.66	507.45
2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी)	1.84	3.51	33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस)		
VI. अन्य आय			ऑनलाइन	3.01	1.99
1. ग्रोयर पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र,			34. एफसीवी तम्बाकू का		
बार्न ऑपरेटर और नर्सरीमेन)	194.01	265.19	विनियमन और विकास	90.9	4.83
2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क	22.93	20.01	35. विपणन सुविधाओं का कार्या. और रखरखाव	3.93	12.88
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	17.34	13.79	36. विपणन सुविधाओं का कार्यान्वयन 🛭 रखरखाव	0.38	1.19
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	10.29	12.26	37. ग्रोयरों को वित्तीय राहत (फसल/बखार डामेज)	0.00	0.00
5. पैकर्स पंजीकरम शुल्क	0.38	0.55	38. किसान अध्ययन दूर : विदेश	0.00	0.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	2.34	1.34	39. बाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	0.64	0.76	निर्यात प्रोत्साहन		
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	6.45	8.33	40. विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	0.00	14.69
9. मूल्यवान प्रकाशनों की विक्री			41. मेले और प्रदर्शनी (बिदेश)	0.00	25.49
(टीजीपीबीएस)	4.49	9.61	अन्य		
10. विविध आय	307.87	456.67	42. प्रसार और प्रचार	4.14	20.86
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	5285.13	5895.49	43. फार्म मशीनीकरण	00:00	0.00
12. पंजीकृत से @ 4% अंशदान	298.79	294.41	44. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	118.23	165.75
13. पंजीकरण ग्रोयरों स अंशदान ₹ @ 6.5%	0.00	82.70	45. क्यूरिंग प्रथाओं में सुधार	107.83	253.21
14. एक किलो को अंशदान ₹ 2/-	635.60	680.29	46. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन	38.36	52.98
पंजीकृत अपंजीकृत ग्रोयरों से			47. पीहेचपिएम उपाय-बल्किंग शेड/	1.65	2.36
15. पंजीकृत अपंजीकृत ग्रोयरों से			नमूना भंडारण सुविधाएं		
14% अंशदान	0.00	3671.44	48. अन्य विस्तार कार्यक्रम	23.60	32.41

₫ Z	द्रै. 31 मार्च, 2021	को समाप्त अ	दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान		(राशि ₹ लाख में)
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
16. पंजीकृत & अपंजीकृत ग्रोयरों से			49. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	20.41	13.75
9% अंशदान	1998.28	0.00	50. नमूना परियोजना क्षेत्र	10.60	6.87
17. खरीदारों प्राधिकरण शुल्क	5.02	5.89	51. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	59.11	88.06
18. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम	13.33	16.99	52. वाणिज्यिक कर दंड और व्याज	0.52	00.00
19. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	53. सेवा कर, जुर्माना और व्याज	21.88	0.03
VII. उधार ली गई राशि			III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए	0.00	00.00
VIII. कोई अन्य रसीदों	0.00	0.00	निधि के खिलाफ किए गए भुगतान		
1. अन्य देनदारियां	793.12	910.11	. अनुदान और सिव्सिडी पर व्यय	0.00	0.00
2. एसीटीओ और अब्य के साथ जमा	66.57	9.24	IV. निवेश और जमा		
			क) नियत जमा		
			i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंथ के लिए अनुदान)	2601.66	2433.01
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1858.61	2189.93
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	16524.73	14958.32
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड	22.39	22.97
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5841.32	5570.88

(राशिः ₹ लाख में)	ार्ष पूर्व वर्ष			0.00 0.00		1014.16	02 4586.36	31 139.42	00.0 0.00	745.15		85 52.85		55 579.86	00	00.00	0.00 0.00	0.00 0.00		07 12.38	00.00	94 6485.82	
	चालू वर्ष			0.0		1009.66	3618.02	161.31	0.00	804.40		22.85		883.55	0.00	0.00	0.0	0.0	C	70.12	0.00	1108.94	
2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान	भुगतान	ख) अन्य भुगतान	i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि	(ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य	भविष्य निधि	iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	🗤) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	ii) निजी निधि	🕠 तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना	 जिश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगाताधीम कार्य 	1. निश्चित संपत्तियों की खरीद	2. अग्रिम केलिए	क) सीपीडल्ल्यूडी	ख) रैट्स	३. प्रगताधीन कैपिटल कार्यों पर व्यय	W. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	VII. वित्तीय शुत्क (व्याज)	VIII. अन्य भुगतान :	।) कमचाारवा का ऋण जार जाजूम	2) किसानों को ऋण और अग्रिम	3) अन्य देनदारियाँ	
को समाप्त अत	पूर्व वर्ष																						
दि. 31 मार्च, 2021	चालू वर्ष																						
	प्राप्तियाँ																						

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			IX. अन्तशेष		
			क) बैंक शेष		
			1. चालू खाताएँ	2873.32	3168.38
			2. जमा खाताएँ	60111.11	66.99609
			3. बचत खाताएँ	0.00	0.00
			ख े उद्दिष्ट / राजस्व निधि		
			1. चालू खाताएँ		
			i) वा. प्रचालनों के लिए माजिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	0.10	0.05
			2. जमा खाताएँ	0.00	0.00
			3. बचत खाताएँ		
			i) तम्बाकू वोर्ड के कर्मचारी सामान्य भनित्य निष्धा	7 8 7	10 16
					2
				4.90	4.74
			iii) तम्बाकू वोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	7.67	12.59
			iv) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना	205.33	228.31
	110446.77	115603.62	कुल	110446.77	115603.62
ह/- XX XX XX (के. मधुसूधन राव)					×

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2020 - 2021

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्गिन राशि (व्यापार रकंद्य को अनुदान सहायता) लेखा (₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	् पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद	0.05	0.05
	(चालू खाता) (एस वि आई, गुण्टूर)		
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	2433.01	2266.95
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & ववें खाता पर व्याज)	168.70	166.06
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	2601.76	2433.06
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा)	2601.66	2433.01
	ख) बैंक में नकद (चालू खाता)	0.10	0.05
	(एस बी आई, गुण्टूर)		
	कुल भुगतान (ग + घ)	2601.76	2433.06

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

(₹ लाखों में)

			(((((((((((((((((((((
क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एसवीएच, गुण्टूर)	10.16	8.33
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	2189.93	2391.27
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & ववें खाता पर व्याज)	133.39	159.02
	ख) अंशदान	538.66	655.39
	ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली	0.00	0.25
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	2872.14	3214.26
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	1009.66	1014.16
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	1858.61	2189.93
	ख) बैंक के नगद (बचत खाता)		
	(एस वी आई - गुण्टूर)	3.87	10.16
	कुल भुगतान (ग + घ)	2872.14	3214.26

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद		
	बचत खाता (एस वि आई, गुण्टूर)	4.74	4.55
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	14958.32	15577.02
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा ववैं खाता पर व्याज)	1184.58	967.86
	ख)पेंशन निधि अंशदान	4000.00	3000.00
	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	20147.64	19549.43
ग.	भुगतान		
	क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	3618.02	4586.36
	ख) बैंक प्रभार	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	16524.72	14958.33
	र्ख) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर)	4.90	4.74
	कुल भुगतान (ग+घ)	20147.64	19549.43

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

	-		(((((((((((((((((((((
क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष(₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	12.59	0.61
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	22.97	27.87
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & ववैं खाता पर व्याज)	2.52	2.24
	ख) पेंशन निधि अंशदान	153.29	144.26
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	191.37	174.98
ग.	भुगतान		
	एनएसडिएल, मुंबई को प्रोषित राशि		
	(पेंशन अंशदान)	161.31	134.70
	ख) अन्य भुगतान	0.00	4.71
	(एनपीएस पदाधिकारियों को रिफन्ड)		
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	22.39	22.97
	ख) बैंक में नकद		
	(बंचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	7.67	12.60
	कुल भुगतान (ग + घ)	191.37	174.98

5. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

경 .		चालू वर्ष			पूर्व वर्ष	
मं.	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क. अथशेष क) वैंक में नकद (बचत खाता)						
(एस बि आई गुण्टूर) (एस बी एम, बेगलूर)	61.49	166.81	228.30	70.97	84.86	155.83
	3528.51	2042.36	5570.87	3246.52	2013.65	5260.17
ख. प्राप्तया : क) निवेशों से आय						
(मीआदि जमा और वर्षे खाता)	244.89	131.32	376.21	254.85	141.32	396.17
ख) ग्रोयर अंशदान	13.02	22.15	35.17	19.77	13.70	33.47
ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान	29.11	30.00	59.11	46.96	41.10	88.06
घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	187.46	194.84	382.30	189.01	229.57	418.58
ङ) स्वीपिंग का ग्रोयर हिस्सा	0.00	7.74	7.74	26.58	8.46	35.04
च) जुर्माना	0.28	0.03	0.31	0.21	00.00	0.21
छ) ऋणों पर त्याज	0.00	0.00	00:00	00.00	00.00	0.00
ज) विविध रसीद	0.00	2.02	2.02	00.00	2.91	2.91
झ) ग्रोयर अंशादान (ब्रेकइन रजि.)	2.90	3.14	9.04	00.00	00.00	0.00
अ) विवाह ऋण	2.85	123.29	126.14	2.70	112.04	114.74
ट) शिक्षा ऋण	4.96	11.33	16.29	4.19	9.85	14.04
ठ) प्रधान वीमारी ऋण	1.10	1.84	2.94	1.30	1.90	3.20
ड) बखार डामेज ऋण	0.20	34.41	34.61	1.45	20.46	21.91
कुल रसीद (क + ख)	4079.77	2771.28	6851.05	3864.51	2679.82	6544.33
ग. भुगतान						
क) ग्रोयरों को मृत्यु राहत	302.20	360.90	663.10	265.50	313.20	578.70
ख) विावह ऋण	1.50	115.00	116.50	4.50	97.55	102.05
ग) शिक्षा ऋण	1.00	00.9	7.00	3.50	12.20	15.70
घ) प्रधान वीमारी ऋण	0.50	1.50	2.00	1.00	1.50	2.50
	0.00	15.80	15.80	00.00	46.20	46.20
घ. अन्तशेष १०५४						
क) ।नवश् (माआदाजमा) खो केंक्र में नकद (बचन खाता)	3743.08	2098.24	5841.32	3528.52	2042.36	5570.88
(एसबीआई, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर)	31.49	173.84	205.33	61.49	166.81	228.30
कल भगतान (ग + घ)	77 9707	20 1770	C0E1 0E	2064 64	00 00	6544 22

2009-10 से 2020-21 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दशनिवाला विवरण

													(₹ लाखों में)
ਲ਼.सं.	. विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
_	अथशेष												
	(योजना & गैर-योजना)	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09
7	प्राप्तियाँ												
	क) गैर-योजना	11900.92	11689.90	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60	14477.23	15395.93	15558.10	12777.00
	ख) योजना	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
က	सहायता अनुदान												
	क) गैर-योजना	00.00	0.00	00:00	00:00	00.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) योजना	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल (आई ई बी आर)												
	(1 से 3)	30769.26	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57	74444.29	74270.09
2	ब्यय												
	क) गैर-योजना	1703.68	1148.77	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81
	ख) योजना	6,343.72	7394.64	5547.67	7351.08	8179.71	8540.79	10550.30	10849.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल त्यय (5)	8047.40	8543.41	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81
9	अन्तशेष (४-५)	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28
		-					1						

संकेताक्षर

आं.प्र एपीएफ/ए.पी.एफ

औ.मू. बीएटी

बीजी सीएसीपी

सीबीएस सीएमओ सीपीडब्ल्यूडी सीपीए'एस सीटीआरआई

साटाआरआइ इएलएस दरा

इयू एफसीवी जीआई जीआरएल जीएसपी

हेचए/हे. आईएलटीडी

आईपीएम आईएसओ आईटीए आईटीसी आईटीडीए

केके के.के केएल एस एलएसआई

एम.के जीएस/एम.के जीएस

एमइपी एमजीपी एमकेटीडी.

एमपीए एमएसपी एनबीएस एनपीडेना

एनऐपीहेचएम एनएलएस

एनपीवी एनटीआरएम

ओएफटी'एस ओएलआईसी

पीहेचपीएम क्यूटीवाई.

क्यूटावाइ. आरसीएमसी

<u>आरस</u>ीराज

आरऐटीइएस एसएलएस

एसबीएस एसटीएल टीबीएस टीओएलऐसी टीक्यूसी

टापपूरा यूएइ यूके यूएस आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म औसत मूल्य

ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको

बैंक गारंटी

कृषि लागत और मूल्य आयोग

केन्द्रीय काली मिट्टी आम बाजार संगठन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग फसल सुरक्षा एजेंट

केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान

पूर्वी हल्की मिट्टी यूरोपीय संघ फ्लू कूरिड वर्जीनिया गात्वनैजिड आईरन गाइडेंस अवशिष्ट स्तर सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली

हेक्टर

भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन

एकीकृत कीट प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन भारतीय तम्बाकू संघ भारतीय तम्बाकू कंपनी भारतीय तम्बाकू डीलर संघ

कर्नाटका

कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ स्थायी निर्देश के पत्र मिलियन किलोग्राम न्यूनतम निर्यात मूल्य न्यूनतम गारंटी मूल्य

विपणित

मोडल परियोजना क्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तरी काली मिट्टी

राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान

उत्तरी हल्की मिट्टी

न्यूविलयर पालि हेन्द्रासिस वैरस गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री

आन-फार्म परीक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन समिति फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध

परिमाण

पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र

रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं

दक्षिणी हल्की मिट्टी दक्षिणी काली मिट्टी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पारंपरिक काली मिट्टी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

तम्बाकू गुणवत्ता मंडल संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड किंगडम

अमेरिका

The preferred choice world wide



With its diverse range of tobaccos, consistent volumes and favourable quality-price ratio, Indian tobacco is the preferred choice of all word major cigarette manufacturers.

Sustainable Tobacco Production program, Natural farming initiatives for Organic FCV Tobacco Production, state-of-art processing facilities have placed India as the favoured destination of the world cigarette industry for compliant and quality tobaccos.





TOBACCO BOARD INDIA

Ministry of Commerce & Industry

Dept. of Commerce, Government of India

Guntur - 522 004 (A.P.) India | Ph:+91 863 2358068, 2358399 | Fax:+91 863 2354232 e-mail: info@tobaccoboard.co.in | exports@tobaccoboard.co.in | website: www.tobaccoboard.com

